बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर परिनिर्वाण विशेषांक

वर्ष : 13 अंक : 12 दिसम्बर 2015 ₹ 20

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित बाबासाहेब के 60वें महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसम्बर, 2015 को संसद भवन के प्रांगण में स्थित बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित बाबासाहेब के 60वें महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसम्बर, 2015 को संसद भवन के प्रांगण में स्थित बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी, उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री एवं डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री थावरचंद गेहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर।

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

वर्ष : 13 ★ अंक : 12 ★दिसम्बर 2015 ★ कुल पृष्ठ : 72

सम्पादक
सुधीर हिलसायन

सम्पादक मंडल
चन्द्रवली
प्रो. शैलेन्द्रकुमार शर्मा
डॉ. प्रभु चौधरी

सम्पादकीय कार्यालय
सामाजिक न्याय संदेश
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
15 **जनपथ, नई दिल्ली**-110001
सम्पादकीय सम्पर्क 011-23320588
सब्स्क्रिप्शन सम्पर्क 011-23357625
फैक्स : 011-23320582
ई.मेल : hilsayans@gmail.com
editorsnsp@gmail.com
वेबसाईटः www.ambedkarfoundation.nic.in
(सामाजिक न्याय संदेश उपर्युक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है)

व्यापार व्यवस्थापक
जगदीश प्रसाद

प्रकाशक व मुद्रक **जी.के. द्विवेदी**, निदेशक (डॉ.अ.प्र.) द्वारा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) के लिए इंडिया ऑफसेट प्रेस, ए-1, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली 110064 से मुद्रित तथा 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित व **सुधीर हिलसायन**, सम्पादक (डॉ.अ.प्र.) द्वारा सम्पादित।

सामाजिक न्याय संदेश में प्रकाशित लेखों/रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। प्रकाशित लेखों /रचनाओं में दिए गए तथ्य संबंधी विवादों का पूर्ण दायित्व लेखकों /रचनाकारों का है। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए भी सामाजिक न्याय संदेश उत्तरदायी नहीं है। समस्त कानूनी मामलों का निपटारा केवल दिल्ली/नई दिल्ली के क्षेत्र एवं न्यायालयों के अधीन होगा।

RNI No. : DELHIN/2002/9036

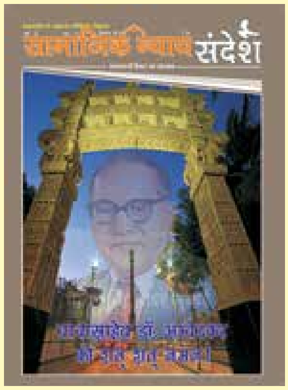

इस अंक में

❖ सम्पादकीय/बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर को शत् शत् नमन!	सुधीर हिलसायन	2
❖ पुस्तक अंश/कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया?	डॉ. भीमराव अम्बेडकर	4
❖ आकाशवाणी द्वारा प्रसारित 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा उद्बोधन		15
❖ बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की स्मृति में डॉ. अम्बेडकर स्मारक सिक्के जारी करने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मादी का सम्बोधन		20
❖ महान् अर्थशास्त्री – डॉ. बी.आर. अम्बेडकर	कन्हैयालाल चंचरीक	25
❖ डॉ. अम्बेडकर का मानववाद	सुधांशु शेखर	32
❖ राष्ट्र निर्माता : डॉ. भीमराव अम्बेडकर	डॉ. प्रभु चौधरी	39
❖ पुस्तक अंश/डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर – जीवन चरित	धनंजय कीर	41
❖ आदिवासी जीवन एवं संस्कृतिः एक सिंहावलोकन	शीला नरेन्द्र त्रिवेदी	50
❖ ''संविधान के घेरे में हिन्दी की बिन्दी''	बलराम प्रसाद	56
❖ जनमानस के विकास व अधिकार के मसीहा–बाबासाहेब	रामफेर	60
❖ बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी : डॉ. भीमराव अम्बेडकर	सपना मांगलिक	63
❖ लोक अधिकारों के प्रबल समर्थक डॉ. भीमराव अम्बेडकर	सिल्वी पासा	67

ग्राहक सदस्यता शुल्क : वार्षिक ₹ 100, द्विवार्षिक : ₹ 180, त्रैवार्षिक : ₹ 250

*डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर **डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन**, 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 के नाम भेजें। चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।*

सम्पादकीय सम्पर्क 011-23320588 सब्स्क्रिप्शन सम्पर्क 011-23357625

सम्पादकीय

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर बहुआयामी प्रतिभा के ऐसे 'राजा' थे जिन्होंने जीवन पर्यन्त समाज और देश के लिए चिन्तन-मनन व लेखन किया। डॉ. अम्बेडकर तकरीबन 65 वर्ष भौतिक रूप से जीवित रहे। परिनिर्वाण के तकरीबन 60 वर्ष बाद उनका चिन्तन-लेखन, देश-समाज में ऐसा परचम लहरा रहा है, जिससे ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर अभी जीवित ही हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि बाबासाहेब भले ही भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है परन्तु उनका 'विचार दर्शन' हमें अपने बीच उनका एहसास दिलाता है। अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके देश-समाज के लिए अपने आपको खपा देने वाला प्रखर मानववादी चिंतक अपने महापरिनिर्वाण के तकरीबन 60 साल बाद जब देश उनकी 125वीं जयंती वर्ष को सोल्लासपूर्वक मना रहा है और यदि यह कहा जाए कि हर तरफ बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की धूम है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। दरअसल आजादी के बाद डॉ. अम्बेडकर की विरासत को आगे बढ़ाने का काम सामाजिक आन्दोलन के माध्यम से हुआ है। इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं की परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उस आन्दोलन का ही यह परिणाम हुआ है कि आज 'डॉ. अम्बेडकर की विरासत' का दावा करने की होड़ दिखाई पड़ती है।

और यदि यह कहा जाए कि उनकी जयंती वर्ष में डॉ. अम्बेडकर को समग्रता से समझने के लिए किए जा रहे प्रयासों का यह असर हो रहा है कि डॉ. अम्बेडकर के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित किया जा रहा है। उनके योगदान को समझा जा रहा है, निःसंदेह इसमें बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के लाखों अनुयायियों का बहुत बड़ा योगदान है, इसे समझने के लिए उनके कार्य का सिंहावलोकन करना होगा जब कोई बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर को दलितों या आरक्षण के प्रवर्तक के तौर पर देखता या समझता था, अब वो जमाना लद गया है। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को अब देश समाज समझ रहा है।

उन्होंने देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बराबर ध्यान दिया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसके साथ ही स्वतंत्र भारत की श्रम नीति, बिजली एवं जल नीति में उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। वास्तव में 1927 में आए हिल्टन यंग कमीशन के पहले बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के बनाए प्रारूप पर ही आर.बी.आई. की अवधारणा बनी। 'भारतीय मुद्रा एवं वित्त के रॉयल कमीशन' में बाबासाहेब की पुस्तक 'रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान' का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसके बाद वायसराय की समिति में 1942-46 के दौरान बतौर श्रम, सिंचाई और ऊर्जा मंत्री डॉ. अम्बेडकर ने केन्द्रीय नहर एवं सिंचाई समिति की स्थापना को

को शत् शत् नमन!

मंजूरी दी थी, साथ ही भारत में हाइड्रो-पावर (पन बिजली) और बिजली उत्पादन के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए केन्द्रीय तकनीकी ऊर्जा बोर्ड का गठन किया था।

समाज की आधी आबादी अर्थात् महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का ही परिणाम था कि भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पर उनके सभी प्रयास महिलाओं के लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए ही थे। उनकी प्रतिबद्धता को इस बात से समझा जा सकता है कि हिन्दू कोड बिल पर सहमति न जुटा पाने के कारण उन्होंने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया।

डॉ. अम्बेडकर के जीवन और मिशन पर विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि उन्होंने सभी क्षेत्रों में समानता, चाहे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या आर्थिक क्षेत्र में हो, के मौलिक मापदंड के आधार पर अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्षरत रहे।

5 दिसम्बर 1956 की रात 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली स्थित आवास पर अपनी अंतिम पुस्तक 'भगवान बुद्ध और उनका धम्म' को अंतिम रूप देने के बाद जब वे सोने के लिए गए तो 6 दिसम्बर की सुबह उनकी आंख नहीं खुली। 6 दिसम्बर की सुबह यह खबर पूरे देश में फैल गई। डॉ. अम्बेडकर के पार्थिव शरीर को 6 दिसम्बर की रात मुम्बई ले जाया गया। 7 दिसम्बर 1956 को सुबह 5 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके मुम्बई निवास राजगृह में रखा गया। 7 दिसम्बर 1956 को उनका अंतिम संस्कार दादर के समुद्र तट पर किया गया। उस स्थल को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। 6 दिसम्बर को महापरिनिर्वाण दिवस पर देश भर से लाखों की संख्या में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अनुयायी उन्हें अपना श्रद्धासुमन अर्पित करने आते हैं। 11 अक्टूबर 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इन्दु मिल परिसर स्थित विशाल खंड पर 400 करोड़ की लागत से डॉ. अम्बेडकर महा स्मारक का शिलान्यास किया है।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली स्थित डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक (परिनिर्वाण स्थल) को भव्य तरीके से 95 करोड़ रुपये की लागत से बनाएगा। शीघ्र ही इसका शिलान्यास किया जाना है।

बाबासाहेब को 60वें महापरिनिर्वाण दिवस पर शत् शत् नमन!

(सुधीर हिलसायन)

"डॉ. अम्बेडकर तकरीबन 65 वर्ष भौतिक रूप से जीवित रहे परन्तु परिनिर्वाण के तकरीबन 60 वर्ष बाद उनका चिन्तन-लेखन देश-समाज में ऐसा परचम लहरा रहा है, जिससे ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर अभी जीवित ही हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि बाबासाहेब भले ही भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है परन्तु उनका 'विचार दर्शन' हमें अपने बीच उनका एहसास दिलता है। अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके देश-समाज के लिए अपने आपको खपा देने वाला प्रखर मानववादी चिंतक अपने महापरिनिर्वाण के तकरीबन 60 साल बाद जब देश उनकी 125वीं जयंती वर्ष को सोल्लासपूर्वक मना रहा है और यदि यह कहा जाए कि हर तरफ बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की धूम है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। दरअसल आजादी के बाद डॉ. अम्बेडकर की विरासत को आगे बढ़ाने का काम सामाजिक आन्दोलन के माध्यम से हुआ है। इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं की परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उस आन्दोलन का ही यह परिणाम हुआ कि 'डॉ. अम्बेडकर की विरासत' का दावा करने की होड़ दिखाई पड़ती है।"

कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया?

■ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

अध्याय : 2
तुच्छ प्रदर्शन
कांग्रेस ने अपनी योजना त्याग दी।

श्री गांधी ने भारतीय राजनीति में 1919 में प्रवेश किया। तत्पश्चात् शीघ्र ही वह कांग्रेस पर हावी हो गए। उन्होंने न केवल कांग्रेस पर अधिकार किया बल्कि उसका कायाकल्प कर कांग्रेस का स्वरूप ही बदल दिया। उन्होंने तीन मुख्य परिवर्तन किए। पुरानी कांग्रेस को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। वह कांग्रेस केवल प्रस्ताव पास करके ही यह अपेक्षा करती थी कि ब्रिटिश सरकार उस प्रस्ताव को क्रियान्वित करेगी। यदि ब्रिटिश सरकार उस प्रस्ताव पर कोई अमल करती तो साल-साल भर बाद उसी प्रस्ताव को दोहराया जाता। पुरानी कांग्रेस वास्तव में बुद्धिजीवियों का जमावड़ा थी। तत्कालीन कांग्रेस राजनैतिक आंदोलनों में भाग लेने के लिए जनता के बीच में नहीं जाती थी क्योंकि उसका जनशक्ति में विश्वास नहीं था। पुरानी कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं थी। नई कांग्रेस ने तो कायापलट ही कर दी। उसने सब के लिए कांग्रेस सदस्यता का दरवाजा खोल कर उसे जनसाधारण की संस्था बना दिया। सिर्फ चार आने वार्षिक देकर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बन सकता था। प्रस्ताव में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा की नीति अपनाकर कांग्रेस ने अपनी स्थिति काफी सुदृढ़ कर ली। कांग्रेस ने असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं "जेल भरो" आंदोलन की नीति बनाई। उसने देशव्यापी संगठन बनाया और कांग्रेस के पक्ष कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इन कार्यकलापों के वित्तपोषण के लिए एक करोड़ रुपये धनराशि जुटानी आरंभ कर दी और इसे "तिलक स्वराज" निधि का नाम दिया। इस प्रकार श्री गांधी ने 1922 तक आते-आते कांग्रेस का स्वरूप ही बदल दिया। नई कांग्रेस अपने नाम के अतिरिक्त पुरानी कांग्रेस से एकदम भिन्न हो गई।

समाजोत्थान का रचनात्मक कार्यक्रम कांग्रेस की महत्त्वपूर्ण विशेषता थी। फरवरी 1922 में बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति ने इसकी रूपरेखा तैयार की। इसे "बारदोली कार्यक्रम" के नाम से भी जाना जाता था। प्रस्ताव में तैयार किया गया कार्यक्रम का ब्यौरा इस प्रकार था-

"कार्य समिति समस्त कांग्रेस संगठनों को सलाह देती है कि वे निम्नलिखित कार्यकलापों को क्रियान्वित करने में लग जाएं-

1. कांग्रेस के कम से कम एक करोड़ सदस्य बनाए जाएं।
2. चरखे को लोकप्रिय बनाएं तथा खादी का जनसाधारण में प्रचार कर बढ़ावा दिया जाए।
3. राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाए।
4. दलित वर्गों को बेहतर जीवनयापन करने के लिए संगठित करना, उनकी सामाजिक, मानसिक एवं नैतिक उन्नति करना, उन्हें अपने बच्चों को राष्ट्रीय स्कूलों में भेजने के लिए प्रेरित करना और उन्हें वे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जो अन्य नागरिकों को उपलब्ध हैं।
5. जिन वर्गों में शराब पीने की लत है उनसे संयम से काम लिया जाए। उनके घरों पर जाकर धरना (पिकेटिंग) देने के बजाए उनसे शराब न पीने की अपील की जाए।
6. आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए गांवों तथा शहरों में पंचायतें स्थापित की जाएं, जिनमें जनमत सर्वोपरि हो और पंचायत के फैसलों में निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा हो, ताकि उनका पालन सुनिश्चित किया जा सके।
7. सभी वर्गों और जातियों के बीच एकता और आपसी सदभाव लाने पर जोर दिया जाए जिसका उद्देश्य असहयोग आंदोलन को बल देना है। इस प्रकार के समाज सेवा विभाग की स्थापना की जाए जो बीमारी व दुर्घटना की स्थिति में बिना किसी भेदभाव के सबको सहायता दे।
8. "तिलक मेमोरियल स्वराज फंड" में धन एकत्र करना जारी रखा जाए तथा सभी कांग्रेसियों तथा कांग्रेस से सहानुभूति रखने वालों से कहा जाए

कि वर्ष 1921 की वार्षिक आय का कम से कम एक सौवां भाग कांग्रेस को दें। प्रत्येक प्रांत तिलक मेमोरियल स्वराज फंड में जमा धन का 25 प्रतिशत धन प्रतिमाह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेज दे।"

20 फरवरी, 1922 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में इस प्रस्ताव को पुष्टि के लिए लाया गया और उसकी पुष्टि हो गई। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि रचनात्मक कार्य के इस कार्यक्रम की विभिन्न मदों का क्या हुआ। मेरा संबंध तो केवल डिप्रेस्ड क्लासेस से संबंधित मद से है और मैं इस कार्यक्रम के उसी भाग पर विचार करना चाहूंगा।

मैं बारदोली प्रस्ताव के अस्पृश्यों से संबंधित भाग की चरणबद्ध कथा-व्यथा सुनाऊंगा। कथा का आरंभ इस प्रकार है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बारदोली प्रस्ताव की पुष्टि किए जाने के बाद कार्यवाही के लिए इसे कार्यसमिति के पास भेज दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने लखनऊ में जून 1922 को आयोजित बैठक में इस विषय को विचारार्थ लिया। समिति ने बारदोली प्रस्ताव के अछूतों के उद्धार से संबंधित उस भाग पर निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया-

"यह समिति देशभर के तथाकथित अस्पृश्यों की दशा सुधारने की दिशा में व्यवहारिक उपायों को साकार रूप देने की योजना बनाने हेतु एतदद्वारा एक उपसमिति का गठन करती है। स्वामी श्रद्धानंद जी, श्रीमती सरोजिनी नायडु, श्री आई.के. याज्ञनिक तथा श्री जी.बी. देशपांडे उस उपसमिति के सदस्य होंगे और समिति की आगामी बैठक के समक्ष उन उपायों को विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। इस योजना के लिए फिलहाल दो लाख रुपये की राशि जुटाई जाएगी।"

मैं बारदोली प्रस्ताव के अस्पृश्यों से संबंधित भाग की चरणबद्ध कथा-व्यथा सुनाऊंगा। कथा का आरंभ इस प्रकार है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बारदोली प्रस्ताव की पुष्टि किए जाने के बाद कार्यवाही के लिए इसे कार्यसमिति के पास भेज दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने लखनऊ में जून 1922 को आयोजित बैठक में इस विषय को विचारार्थ लिया। समिति ने बारदोली प्रस्ताव के अछूतों के उद्धार से संबंधित उस भाग पर निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया-

"यह समिति देशभर के तथाकथित अस्पृश्यों की दशा सुधारने की दिशा में व्यवहारिक उपायों को साकार रूप देने की योजना बनाने हेतु एतदद्वारा एक उपसमिति का गठन करती है। स्वामी श्रद्धानंद जी, श्रीमती सरोजिनी नायडु, श्री आई.के. याज्ञनिक तथा श्री जी.बी. देशपांडे उस उपसमिति के सदस्य होंगे और समिति की आगामी बैठक के समक्ष उन उपायों को विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। इस योजना के लिए फिलहाल दो लाख रुपये की राशि जुटाई जाएगी।"

कार्यसमिति का यह प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जून 1922 में लखनऊ में आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया गया। कार्यसमिति के इस प्रस्ताव को एक संशोधन के बाद स्वीकार कर लिया गया जिसमें कहा गया था कि "फिलहाल इस योजना के लिए पांच लाख रुपये की धनराशि जुटाई जाए" बजाए दो लाख के, जैसा कि कार्यसमिति के प्रस्ताव में कहा गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यसमिति द्वारा उस समिति का गठन करने संबंधी प्रस्ताव के स्वीकृत किए जाने से पहले एक सदस्य स्वामी श्रद्धानंद ने समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। जिस बैठक में कार्यसमिति ने उप-समिति का गठन करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया था उसी बैठक में उसी विषय पर एक अन्य प्रस्ताव पारित किया गया जो इस प्रकार है-

"दलित वर्गों के काम के लिए योजना बनाने हेतु अग्रिम राशि की व्यवस्था करने संबंधी स्वामी श्रद्धानंद जी का दिनांक 8 जून, 1922 का पत्र पढ़ा गया। प्रस्ताव पारित किया गया। श्री गंगाधर राव बी. देशपांडे को तत्प्रयोजनार्थ गठित उपसमिति का संयोजक नियुक्त किया जाए और उनसे अनुरोध किया जाए कि वे शीघ्र ही बैठक बुलाएं और यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि स्वामी श्रद्धानंद का पत्र उपसमिति को भेज दिया जाए।"

इस दिलचस्प प्रस्ताव के इतिहास में समिति का गठन दूसरा चरण माना जाता है। समिति के गठन संबंधी प्रस्ताव का कांग्रेस कार्यसमिति की जुलाई 1922 में बम्बई में आयोजित बैठक के कार्यवाही वृतांत में पुनः उल्लेख मिलता है। उस बैठक में समिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया था-

"कि महासचिव (जनरल सेक्रेटरी)

से अनुरोध किया जाए कि वह स्वामी श्रद्धानंद से अपने त्यागपत्र पर पुनर्विचार करने और उसे वापस लेने के लिए अनुरोध करें और डिप्रेस्ड क्लासेस उपसमिति के आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु संयोजक श्री जी.बी. देशपांडे को 500 रुपये की राशि दे दी जाए।"

जहां तक वर्ष 1922 का संबंध है, बात यहीं पर समाप्त हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ। वर्ष 1923 आरंभ हो गया। यह अनुभव करते हुए कि अस्पृश्यों के उत्थान तथा उनकी दशा सुधारने की योजना पर कोई अमल नहीं किया गया, जनवरी 1923 में गया था आयोजित अपनी बैठक में कार्यसमिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया–

"स्वामी श्रद्धानंद के त्यागपत्र के संदर्भ में समिति संकल्प करती है कि डिप्रेस्ड क्लासेस उपसमिति के शेष सदस्य समिति का गठन करेंगे और श्री याज्ञनिक उसके संयोजक होंगे।"

तत्पश्चात् अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 1923 में बम्बई में आयोजित बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया–

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अस्पृश्यों की स्थिति से संबंधित मामले को आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्यसमिति को भेज दिया जाए।"

इस प्रकार अस्पृश्यों की दशा से संबंधित मामले को विशेष समिति (स्पेशल कमेटी) को भेजने के प्रस्ताव से इतिहास का दूसरा चरण समाप्त हो जाता है। इसके बाद इतिहास का तीसरा चरण उस समय आरंभ हुआ जब मई 1923 में बम्बई में आयोजित कार्यसमिति की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया :

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि जबकि कांग्रेस की नीतियों के अनुसरण में अस्पृश्यों की दशा में कुछ सुधार हुआ है फिर भी यह समिति इस बात के प्रति सचेत है कि इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है और जहां तक अस्पृश्यता के प्रश्न का संबंध है, यह समिति हिंदू समाज विशेषकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा से अनुरोध करती है कि इस समस्या को अपने हाथ में ले और हिंदू समाज से इस कलंक को मिटाने के लिए जी तोड़ प्रयत्न करे।"

प्रस्ताव के आरंभ और अंत की यह दुखद गाथा है। अत्यधिक धूमधड़ाके से आरंभ किए गए प्रस्ताव की गाथा का ऐसा निर्लज्ज समापन!

इससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस ने अस्पृश्यों की समस्या से किस प्रकार अपना हाथ खींच लिया। अपने दायित्व को हिंदू महासभा पर थोपना जले पर नमक छिड़कने से अधिक और कुछ नहीं हो सकता। अछूतोद्धार के लिए हिंदू महासभा की अपेक्षा और कोई संस्था उस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं समझी गई। अस्पृश्यों की समस्या का समाधान करने में सबसे अधिक अयोग्य अगर कोई संस्था है तो वह हिंदू महासभा ही है। इसका लक्ष्य एवं उद्देश्य केवल हिंदू धर्म एवं हिंदू संस्कृति की रक्षा करना ही था। यह लड़ाकू हिंदू संगठन है। यह समाज सुधार संस्था नहीं है। यह पूर्णतया राजनैतिक संस्था है जिसका मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य भारतीय राजनीति में मुसलमानों के प्रभाव को समाप्त करना है। राजनैतिक शक्ति का संचय करने के लिए यह सामाजिक एकता को कायम रखना चाहती है और सामाजिक एकता को बनाए रखने का अर्थ जाति अथवा अस्पृश्यता के विषय में कोई बात नहीं करना था। तब अस्पृश्यों के हित में काम करने के लिए हिंदू महासभा को कांग्रेस द्वारा क्यों चुना गया, यह बात मेरी समझ से बाहर है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस अस्पृश्यों की असुविधाजनक समस्या से अपना पिंड छुड़ाना चाहती थी। हिंदू महासभा ने निःसंदेह अस्पृश्यों की समस्या का कार्य अपने हाथों में नहीं लिया क्योंकि उसे इसमें कोई रूचि नहीं थी और केवल इसलिए कि कांग्रेस ने बिना कोई वित्तीय व्यवस्था किए केवल पावन प्रस्ताव पास कर दिया था। अतः इस योजना की ऐसी भद्दी और घृणित परिणति हुई।

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले इस बात पर विचार करना असंगत न होगा कि कांग्रेस ने अस्पृश्यों की सामाजिक उन्नति के जो डंके पीछे बजाए थे उसे उसने क्यों त्यागे? क्या ऐसा इसलिए किया गया कि स्वामी श्रद्धानंद को इस विशाल समस्या से निपटने की अनुमति देने के बजाए जिसे कांग्रेस न तो स्वीकार कर सकती थी और ना ही रद्द, कांग्रेस अस्पृश्यों के लिए दो से पांच लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं करना चाहती थी बल्कि इसलिए कि उसने महसूस किया कि स्वामी श्रद्धानंद को समिति में रख कर उसने भूल की?1 कांग्रेस ने पहले तो स्वामी जी को सयोजक बनाने से इन्कार किया और बाद में समिति को भंग कर अस्पृश्योत्थान का काम हिंदू महासभा को सौंप देना बेहतर समझा। ऐसे परिणाम पर पहुंचने के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं थीं। स्वामी जी अस्पृश्यों के बहुत बड़े और सत्यनिष्ठ शुभचिंतक थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि स्वामी जी उस समिति में होते तो अस्पृश्योत्थान की एक बहुत बड़ी योजना प्रस्तुत करते। इसीलिए कांग्रेस उन्हें उस समिति में नहीं रहने देना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि स्वामी जी अस्पृश्यों के हित में कांग्रेस कोष से बड़ी धनराशि की मांग करेंगे। यह बात उस पत्रव्यवहार[2] से और अधिक स्पष्ट है जो कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव श्री मोतीलाल नेहरू तथा स्वामी जी के बीच हुआ था जो परिशिष्ट में छपा है। यदि यह निष्कर्ष सही है तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस, जिसने अस्पृश्योत्थान का प्रस्ताव पास किया था, के शब्द कितने अविश्वसनीय थे।

क्या कांग्रेस ने यह योजना इसलिए ताक पर रख दी कि वह क्रांतिकारी कार्यक्रम था? प्रस्ताव किसी भी दशा में क्रांतिकारी नहीं था। यह बात कार्य समिति की इस टिप्पणी से परिलक्षित हो जाती है जो उसने अपने प्रस्ताव के

साथ संलग्न की थी और जिसे कांग्रेस महासमिति ने स्वीकार किया था। वह टिप्पणी इस प्रकार थी–

"बहरहाल जहां अस्पृश्यों के प्रति भेदभाव बरता जाता है वहां कांग्रेस कोष से उनके लिए पृथक स्कूल तथा पृथक कुओं की व्यवस्था अवश्य की जाए। साथ-साथ उनके बच्चों को राष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजने के भरसक प्रयत्न किए जाएं तथा लोगों को समझाया जाए कि वे अस्पृश्यों को सार्वजनिक कुओं से पानी लेने दें।"

इस टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस अस्पृश्यता को समाप्त नहीं करना चाहती थी। उसने पृथक स्कूलों तथा पृथक कुओं की व्यवस्था की नीति अपनाई। कांग्रेस ने अस्पृश्योत्थान का प्रस्ताव पास करने के अलावा कुछ नहीं किया और कांग्रेस ऐसे भीरू – साधारण तथा न्यूनतम कार्यक्रम को भी लागू नहीं कर पाई और उसने अत्यंत निर्लज्जता और पश्चाताप के साथ इस कार्यक्रम को त्याग दिया। क्या कांग्रेस ने अस्पृश्योत्थान के कार्यक्रम को इसलिए त्याग दिया था कि उसके पास धन की कमी थी? बात ठीक इसके विपरीत थी। कांग्रेस ने 1921 में 'तिलक स्वराज फंड' आरंभ किया था। कांग्रेस ने कितना धन एकत्र किया? तालिका-I में इसका कुछ अनुमान मिल जाएगा। इस कोष में जनता ने एक करोड़ तीस लाख रुपये का चंदा दिया था। वह धन कांग्रेस के प्रचार के लिए एकत्र किया गया था तथा उसे कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम पर ही खर्च करना था जिसकी रूपरेखा कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा बारदौली में तैयार की गई थी। इतनी बड़ी धनराशि कांग्रेस ने कैसे खर्च की? वर्ष 1921, 1922 और 1923 के दौरान कार्यसमिति द्वारा स्वीकृत अनुदानों की सूची से यह अनुमान मिलता है कि यह धन किन प्रयोजनों पर खर्च किया गया था।

(क) वर्ष 1921 में स्वीकृत अनुदान1

(ख) 31 जनवरी तथा 1, 2 और 3 फरवरी 1921 को कलकत्ता में हुई बैठक में कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा स्वीकृत अनुदान –

(1) वकालत का पेशा छोड़ने वाले और आवश्यकता पड़ने पर समर्थन देने के लिए तैयार तैनात वकीलों की सहायता के लिए एक लाख रुपये महात्मा गांधी को सुपुर्द किए। (IV)

(2) श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से प्राप्त 31 जनवरी 1921 के तार को पढ़े–

"अफसोस है कि मैं बैठक में शामिल नहीं हो सकता। तमिल, केरल और कर्नाटक के कुछ भागों के लिए लगभग एक सौ पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है जिनमें 40 वकील हैं जिन्होंने अपनी वकालत बंद कर दी है। तिलक फंड में धन एकत्र किए जाने तक 5,600 रुपये प्रति माह देने की स्वीकृति दी जाए। विद्यार्थी आंदोलन जोर पकड़ रहा है यद्यपि समाचारपत्र पूरी खबरे नहीं देते हैं। कम से कम दो महीने तक अभिभावकों के विरोध का मुकाबला किया जाए। इसके लिए तीन हजार रुपये महीना निकाला जाए। खिलाफत की प्रतियां जैसी सुविधाजनक मूल्य वर्ग की तिलक स्वराज फंड की रसीदें कांग्रेस के नाम से जारी करने के नाम में जारी करने के लिए कमेटी अधिकारी को तुरंत तार भेजें। तीन महीने में सभी अग्रिम राशि पूरी करने सक्षम मद्रास से बहुत अधिक धन की आशा न करें।"

प्रस्ताव पारित किया जाता है कि तमिल, केरल, कर्नाटक तथा मद्रास के कुछ भाग को फिलहाल एक महीने के लिए 8,600 रुपये की राशि पेशगी प्रदान की जाए तथा भविष्य में दी जाने वाली पेशगी की राशि के लिए कार्यसमिति की दूसरी बैठक में मामला पेश किया जाए।(XX)

(II) कार्यसमिति ने बेजवाड़ा में 31 मार्च तथा 1 अप्रैल 1921 को आयोजित बैठक में निम्नलिखित अनुदान स्वीकार किया–

(3) संयुक्त प्रांत के प्रांतीय कांग्रेस के सेक्रेटरी पंडित मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस के प्रचार तथा धन एकत्र करने के लिए 6,000 रुपये की एकमुश्त धन राशि दी जाए (v)

(4) कांग्रेस अध्यक्ष, समस्त साथियों, कोषाध्यक्ष कार्यालय के कार्य का शेष वर्ष का खर्चा पूरा करने के लिए

तालिका-1 तिलक स्वराज फंड*

	1921			1922			1923			कुल धनराशि		
	रुपये	आना	पाई	रुपये	आना	पाई	रुपये	आना	पाई	रुपये	आना	पाई
जनरल कलेक्शन अनुबंध-1	64,31,779	15	10	3,92,430	2	6½	2,64,288	9	1	70,88,498	11	5½
विशेष (निश्चित धन) अनुबंध-2	37,32,230	2	10½	9,45,552	1	4½	7,10,801	10	3	53,88,583	13	6
	10,01,64,010	2	8½	13,37,982	3	11	9,75,090	3	4	1,24,77,082	9	11½
जोड़े – प्रकीर्ण प्राप्तियां, वर्ष 1921-1923 के लिए ब्याज, दूसरे फंड, अकाल, बाढ़, प्रांतीय सदस्यता से प्रतिनिधिमंडल प्रतिबद्धता आदि से										5,42,332	5	7.5
										1,30,19,415	15	7

*इंडियन ऐनुरल रजिस्टर – 1923 पृष्ठ 112

17,000 रुपये की राशि स्वीकृत की जाए और उपरोक्त धन राशि में से तीन सौ रुपये प्रतिमास श्री सी. राजगोपालाचारी को उनके सचिव और अध्यक्ष के स्टेनो-टाइपिस्ट के खर्च के लिए दिए जाएं। (VII)

(5) 1,000 डालर की धनराशि श्री डी.वी.एस. राव, इंडिया होम रूल लीग ऑफ अमरीका, 1400 ब्राडवे न्यूयार्क को तार द्वारा भेजी गई। (VIII)

(III) कार्य समिति ने अनुदानों के लिए प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का निपटारा करने हेतु अपने प्रस्ताव संख्या 18 के तहत अनुदान उपसमिति गठित की जिसमें श्री गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू और सेठ जमना लाल बजाज सदस्य थे। इस अनुदान उपसमिति ने अपनी बैठकों ने निम्नलिखित अनुदान पास किए-

(6) बिहार में स्वदेशी कार्य के लिए एक लाख रुपये का अनुदान और उसी प्रयोजन के लिए चार लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया जाए। (I)

(7) 85,000 रुपये का ऋण सी. पी. (हिंदुस्तानी) प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को स्वदेशी के लिए दिया जाए। (II)

(8) यू.पी. में अकाल सहायता के लिए 25,000 रुपये दिए जाएं। (III)

(9) पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को अकाल सहायता के लिए जगराव स्कूल को 25,000 रुपये। (IV)

(10) मालाबार में पीड़ितों की सहायता के लिए 50,000 रुपये तार द्वारा आवेदन करने पर दिए। (V)

(11) गांधी आश्रम, बनारस सिटी को 15,000 रुपये दिए। (VI)

(12) पल्लीपाद आश्रम को 10,000 रुपये। (VII)

(13) आंध्र जातीय कलाशाला, मसुलीपट्टनम को 15,000 रुपये। (VIII)

(14) सेक्रेटरी, तालुका कांग्रेस कमेटी, करजात (महाराष्ट्र) को 10,000 रुपये। (XX)

(15) अनाथ विद्यार्थी गृह, चिंचवाड़ (महाराष्ट्र) को 10,000 रुपये। (X)

(16) (I) श्री के.जी. पटाडे, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, डीप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसायटी ऑफ इंडिया (II) कुल्लड़ई कुरीची नेशनल स्कूल, विद्यासंगम तथा (III) राजमुद्री डीप्रेस्ड क्लासेस मिशन के प्रार्थनापत्र इसलिए रद्दकर दिए गए थे क्योंकि उनका समर्थन नहीं किया गया था तथा वे उपसमिति (सब-कमेटी) द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार नहीं थे। (XVII)

(17) केरल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को 10,000 रुपये मुख्यतया इसीलिए स्वीकार किए गए कि वह धनराशि स्वदेशी तथा खद्दर को लोकप्रिय बनाने के लिए खर्च की जाएगी। (XX)

(18) मद्रास प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को 60,000 रुपये। (XXII)

(19) यू.पी. प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को 1,15,000 रुपये (XXIII)

(20) सिंध प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को 63,000 रुपये (XXIV)

(21) आंध्र को सुपुर्द जिलों के अकाल राहत के लिए 25,000 रुपये (XXV)

(22) महाराष्ट्र प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को 20,000 रुपये (XXVI)

(23) स्वदेशी तथा हथकरघा एवं खद्दर को लोकप्रिय बनाने के लिए गंजम जिला कांग्रेस कमेटी को 20,000 रुपये स्वीकृत किए जाए। (XXVII)

वर्किंग कमेटी ने दिनांक 6 नवम्बर, 1921 के प्रस्ताव संख्या 8 द्वारा उपसमिति को भंग कर दिया और अनुदान स्वीकार करने का कार्य अपने हाथ में ले लिया।

(IV) वर्किंग कमेटी ने दिनांक 3, 5 व 6 नवंबर 1921 को दिल्ली में आयोजित अपनी बैठकों ने निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत किए-

(24) हाथ का कपड़ा बुनने तथा सूत कातने के लिए रूई खरीदने हेतु आसाम के श्री फूकन को 25,000 रुपये दिए गए (IX)

(25) आंध्र के गुंटूर जिले में कृष्णापुरम के लिए के 5,000 रुपये। (X)

(26) आंध्र जातीय कलाशाला को अतिरिक्त अनुदान के रूप में 10,000 रुपये (XI)

(27) राजामुंद्री डीप्रेस्ड क्लासेस मिशन को 1,000 रुपये। (XII)

(28) अगलुर जातीय परिश्रमालय के लिए 5,000 रुपये। (XIII)

(29) आंध्र में कोटारम के लिए 3,000 रुपये। (XIV)

(30) आंध्र प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को सामान्य स्वदेशी कार्य के लिए 15,000 रुपये। (XVI)

(31) मुसलीपट्टम जिला कांग्रेस कमेटी को 3,000 रुपये। (XVI)

(32) उत्कल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को सूत तथा खददर के लिए 30,000 रुपये। (XVII)

(33) थाना जिले में उन ताड़ी बनाने वालों की सहायतार्थ जो अपना पेशा छोड़ देना चाहते थे, 3,000 रुपये। (XVIII)

(34) नागपुर तिलक विद्यालय को 5,000 रुपये। (XIX)

(35) नागपुर असहायोगाश्रम को 5,000 रुपये। (XX)

(36) अजमेर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को खद्दर तथा हथकरघा सूत का उत्पादन बढ़ाने के लिए 25,000 रुपये। (XXI)

(37) यदि संभव हो तो गुजरात के लिए 18,00,000 रुपये तथा कम से कम 10,000 रुपये हर हालत में। (XXII)

(38) श्री सी. राजगोपालाचारी को मालाबर में पीड़ितों की सहायतार्थ 40,000 रुपये। (XXIII)

(V) वर्किंग कमेटी द्वारा अनुमोदित धनराशि।

दिनांक 22 व 23 नवंबर 1921 को बंबई में हुई अपनी बैठकों में वर्किंग कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदान-

(39) जाट एंग्लो संस्कृत हाईस्कूल,

रोहतक, पंजाब को 10,000 रुपये। (III)

(40) बीजापुर जिला कांग्रेस कमेटी को अकाल राहत तथा स्वदेशी कार्य के लिए 25,000 रुपये। (III)

(41) मद्रास की मिलों से निकाले गए श्रमिकों के सहायतार्थ स्वदेशी कार्य प्रदान करने के लिए सहायतार्थ 30,000 रुपये। (III)

(ख) वर्ष 1922 में स्वीकृत अनुदान

(I) 17 जनवरी 1922 को बंबई में आयोजित बैठक में वर्किंग कमेटी द्वारा स्वीकृत किए गए अनुदान

"(42) संयुक्त प्रांत प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 50,000 रुपये के लिए आवेदन पत्र पहले ही स्वीकृत किया गया और स्वदेशी कार्य के लिए 2 लाख रुपये की ओर अधिक अनुदान राशि के लिए आवेदन अंतिम निपटान के लिए महात्मा गांधी के पास भेजा जाए। (IV)

(43) 50,000 रुपये की स्वीकृत अनुदान राशि में से 25,000 रुपये प्रेषित करने हेतु असम प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का आवेदन पत्र अंतिम निपटान के लिए महात्मा गांधी के पास भेजा जाए। (IV)"

(II) 26 फरवरी 1922 को दिल्ली में आयोजित बैठक में वर्किंग कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदान –

"(44) महात्मा गांधी द्वारा तैयार विदेशी योजना पर प्रारंभिक व्यय के लिए 10,000 रुपये। (I)

(45) चालू वर्ष के दौरान कार्यालय खर्च के लिए 14,000 रुपये। (IV)

(III) 17 व 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में हुई बैठकों में वर्किंग कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदान –

(46) खद्दर का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने तथा उसके विपणन की व्यवस्था करने के लिए 3,00,000 रुपये। (I)

(47) संयुक्त प्रांत, प्रांतीय कमेटी के लिए पहले से स्वीकृत 50,000 रुपये में से 10,000 रुपये दिए गए (IX)

(48) केरल प्रांतीय कमेटी को कांग्रेस का सामान्य काम करने के लिए 5,000 रुपये जो मालाबार में सहायतार्थ स्वीकृत, 48,000 रुपये की धनराशि में से कम किए जाएंगे तथा 84,000 रुपये में से और 20,000 रुपये राहत कार्य के लिए भेजे जाएं। (X)

(49) रोहतक एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल को 10,000 रुपये। (XI)

केरल प्रांतीय कमेटी को कांग्रेस का सामान्य काम करने के लिए 5,000 रुपये जो मालाबार में सहायतार्थ स्वीकृत, 48,000 रुपये की धनराशि में से कम किए जाएंगे तथा 84,000 रुपये में से और 20, 000 रुपये राहत कार्य के लिए भेजे जाएं। (X)

(49) रोहतक एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल को 10,000 रुपये। (XI)

(50) आंध्र प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि श्री टी, प्रकाशम को सुपुर्द किए गए जिलों (सेडेड डिस्ट्रिक्ट्स)? में अकाल राहत कार्य के लिए 25,000 रुपये की राशि में से 10,000 रुपये दिए जाएं। (XII)

(IV) 20, 21 और 22 अप्रैल, 1922 को कलकत्ता में आयोजित बैठकों में वर्किंग कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदान।

(50) आंध्र प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि श्री टी, प्रकाशम को सुपुर्द किए गए जिलों (सेडेड डिस्ट्रिक्ट्स)? में अकाल राहत कार्य के लिए 25,000 रुपये की राशि में से 10,000 रुपये दिए जाएं। (XII)

(IV) 20, 21 और 22 अप्रैल, 1922 को कलकत्ता में आयोजित बैठकों में वर्किंग कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदान–

(51) गुजरात में डिप्रेस्ड क्लासेस में शिक्षा प्रसार के लिए अंत्यज कार्यालय अहमदाबाद को 5,000 रुपये। (V)

(52) हैदराबाद दक्कन के मौलवी बदरूल हसन को मुख्यतया खद्दर कार्य के लिए 40,000 रुपये ऋण के रूप में। (VI)

(53) नेशनलिस्ट जनरल लिमिटेड को "इंडेपेंडेंट" पत्र पुनः आरंभ करने तथा उसे कांग्रेस कार्यक्रम के अनुरूप चलाने के लिए 25,000 रुपये बशर्ते कि ऋण दी गई राशि के बराबर कंपनी की संपत्तियों पर स्वामित्व रहे। (XIX)

(V) 12, 13, 14 व 15 मई को बंबई में आयोजित बैठकों में वर्किंग कमेटी द्वारा निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत किए गए–

(54) अंत्यज कार्यालय अहमदाबाद को पहले ही स्वीकृत 5,000 रुपये के अतिरिक्त 17,381 रुपये। (X)

(55) प्रस्ताव पारित किया जाता है कि शाहदरा डिप्रेस्ड क्लासेज सेटलमेंट के लिए 1,25,000 रुपये पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के आवेदन पत्र पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वर्किंग कमेटी इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि योजना आरंभ करने के लिए स्थानीय साधनों से पर्याप्त मात्रा में धन एकत्र कर लिया गया है और इस प्रकार आरंभ की गई योजना

भली प्रकार कार्य कर रही है। (XI)

(56) प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अहमदनगर डीप्रेस्ड क्लासेस होम के लिए 5,000 रुपये निर्धारित किए जाएं और कि इस धन को देने की तब सिफारिश की जाए जब कि वर्किंग कमेटी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि होम ने स्थानीय साधनों द्वारा सुचारू रूप से करना आरंभ कर दिया है। (XII)

(57) मद्रास में डीप्रेस्ड क्लासेस कार्य के लिए 10,000 रुपये निर्धारित किए जाएं जैसा कि श्री निवास आयंगर ने आवेदन किया है और वह राशि तब दी जाये जब आवेदन पत्र प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के माध्यम से इस कमेटी को भेजा जाए और कमेटी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उतनी ही धनराशि स्थानीय संसाधनों से जुटा ली गई है। (XIII)

(58) श्री टी. प्रकाशम को आंध्र में डीप्रेस्ड क्लासेस कार्य के लिए 7,000 रुपये। (XXIV)

(IV) 6, 7 तथा 10 जून 1922 को लखनऊ में आयोजित बैठकों मे वर्किंग कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदान–

(59) सिंध प्रांत में खद्दर कार्य के लिए 50,000 रुपये। (VII)

(60) श्री सी. राजगोपालाचारी को आकस्मिक व्यय के लिए 1,000 रुपये की अग्रीम राशि दी जाए। (VIII)

(VII) 30 जून 1922 को दिल्ली में आयोजित बैठक में वर्किंग कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदान–

(61) बंगाल से असम में भेजे गए 6 कार्यकर्ताओं को सेवा कार्य के लिए स्वीकृत अगले तीन महीनों के लिए 180 रुपये प्रति माह व्यय। (VI)

(VIII) 18 और 19 जुलाई, 1922 को बंबई में आयोजित बैठकों में वर्किंग कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदान–

(62) असम के लिए 5,000 रुपये। (I)

(63) आंध्र तथा उत्कल में खद्दर कार्य के लिए प्रत्येक प्रदेश को 1, 50,000 रुपये के ऋण। (X)

(IX) 18, 19 व 25 नवंबर 1922 को कलकत्ता में आयोजित बैठकों में वर्किंग कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदान–

(64) गुजरात को अनुदान के रूप में 3,00,000 रुपये। (XII)

(65) सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति के खर्चे के लिए 16,000 रुपये। (XXI)

(x) वर्ष 1923 में स्वीकृत अनुदान (I) 1 व 2 जनवरी 1923 को गया में आयोजित बैठक में वर्किंग कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदान–

(66) अस्पृश्यता निवारण और शराबबंदी तथा अंतर्जातीय एकता को बढ़ावा देने के लिए इंडियन नेशनल सोशल कांफ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी को 3,000 रुपये। (XXII)

(67) इलाहाबाद से प्रकाशित हिंदी दैनिक "नवयुग" को इस शर्त पर सहायतार्थ 1,200 रुपये कि वह गया में कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुरूप प्रचार करेगा। (XXXI)

(68) कांग्रेस पब्लिसिटी ब्यूरो को 10,000 रुपये। (XXXII)

(II) 26 व 28 फरवरी 1923 को इलाहाबाद में आयोजित बैठक में वर्किंग कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदान –

(69) तमिल देश प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा दलित वर्ग कार्य के लिए 10,000 रुपये (VI)

(70) पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रार्थना पत्र पर संयुक्त प्रांत प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को 15, 000 रुपये का ऋण। (X)

(71) श्री सी. राजगोपालचारी के प्रार्थनापत्र पर तमिल देश प्रांतीय कांगेस कमेटी को 15,000 रुपये का ऋण। (X)

(72) बनारस में गांधी आश्रम के लिए संयुक्त प्रांत प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को 5,000 रुपये। (XI)

(III) 23, 24, 25, 26, 27, 28 मई 1923 के दौरान बंबई में आयोजित बैठकों में वर्किंग कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदान–

(73) गुजरात प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को देश के विभिन्न प्रांतों से खादी के फालतू भंडार को उठाने के लिए पांच लाख रुपये का ऋण। (V)

(74) बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को खादी कार्य करने के लिए 50,000 रुपये का ऋण। (VIII)

(75) बिहार राष्ट्रीय विद्यालय को 15,000 रुपये। (XII)

(76) सत्यवादी विद्यालय को 10,000 रुपये। (XIII)

(77) स्वावलम्बन राष्ट्रीय पाठशाला को 5,000 रुपये। (XIV)

(78) कांग्रेस लेबर कमेटी द्वारा निश्चित किए जाने वाले कार्यों के निपटाने के लिए डा. साठे को 5,000 रुपये। (XXXIV)

(IV) 7, 8, 11 व 12 जुलाई 1923 को नागपुर में आयोजित बैठकों में वर्किंग कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदान–

(79) मद्रास प्रेसीडेंसी में हिंदुस्तानी सिखाने के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन के सेक्रेटरी श्री बृजराज को 20,000 रुपये। (IX)

(80) नागपुर में विशेष रूप से सत्याग्रह के सहायतार्थ कांग्रेस के सामान्य प्रयोजनों के लिए व्यय करने हेतु मध्यप्रान्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को 2,000 रुपये। (XI)

कांग्रेस के उपरोक्त मदवार खर्च से पाठकगण कांग्रेस द्वारा जनता के धन के सही व्यय अथवा अपव्यय का ठीक अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। क्या वह कार्य किसी सिद्धांत द्वारा विनियमित किया गया था? क्या वह धनराशि प्रांतों की आवश्यकता के अनुसार आवंटित की गई थी? निम्नलिखित तालिका पर विचार करें–

क्या वह धनराशि सांस्कृतिक इकाइयों और उनके सापेक्ष के आधार पर वितरित की गई थी? कृपया निम्नलिखित तालिका के आकड़ों से तुलना करें –

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है

तालिका-2

प्रांतों का नाम	स्वीकृत धनराशि	जनसंख्या**	कुल जनसंख्या की तुलना में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर देय अनुदान की प्रतिशतता	वास्तव में दी गई धनराशि की प्रतिशतता
*सामान्य				
अखिल भारत	4,94,000	227,238,000	–	10
बम्बई	26,90,381	16,012,623	8	54.3
मद्रास	5,05,000	42,319,000	18	10.1
बिहार और				
उड़ीसा	5,65,000	33,820,000	15	11.3
यू.पी.	3,11,200	45,376,000	20	6.26
सिंध	1,13,000	3,279,317	–	2.2
असम	51,080	6,735,000	3	1.1
बंगाल	50,080	46,241,000	20	1.0
मध्य प्रान्त	47,000	12,780,000	5	0.95
पंजाब	45,000	20,675,000	9	0.9
हैदराबाद	40,000	–	–	0.81
अजमेर	25,000	–	–	0.5
विदेश	14,000	–	–	0.28
कुल योग	49,50,666			

*बर्गा तथा देशी रियासतों के अलावा

**ये आंकड़े साइमन कमीशन की रिपोर्ट खंड 1 से लिए गए है और वर्ष 1921 के संदर्भ में हैं।

तालिका-3

भाषायी क्षेत्र नाम	कुल अनुदान	अनुदान की राशि	प्रांत को दी गई कुल अनुदान धनराशि की प्रतिशतता	प्रांत की जनसंख्या की प्रतिशतता उस प्रांत का आकार देखते हुए
	रुपये	रुपये		
बंबई प्रेसिडेंसी	26,90,381	–	–	100
गुजरात	–	26,22,381	97.4	18
महाराष्ट्र	–	43,000	1.6	69
कर्नाटक	–	25,000	0.93	13
मध्य प्रान्त	47,000	–	–	100
मराठी जिले	–	10,000	21.2	45
हिंदुस्तानी जिले	–	37,000	78.7	55
मद्रास प्रेसीडेंसी	5,05,000	–	–	100
तमिलनाडु	–	1,03,000	20.4	38
आंध्र	–	3,02,000	60.0	52
केरल	–	1,00,000	19.6	10
बिहार और				
उड़ीसा	5,65,000	–	–	100
बिहार	–	5,15,000	91.0	73
उड़ीसा	–	50,000	0.9	27

कि उपरोक्त धन का वितरण किसी बुद्धिमत्तापूर्ण सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया था। अनुदान और जनसंख्या के बीच कोई तालमेल नहीं था और न ही सांस्कृतिक इकाइयों तथा अनुदानों में। बम्बई प्रांत की आबादी डेढ़ करोड़ थी उसे 27 लाख रुपये दिए गए जबकि यू.पी. और मद्रास, जिनकी प्रत्येक की आबादी चार-चार करोड़ थी, को पांच-पांच लाख से अधिक नहीं मिले। सांस्कृतिक इकाइयों के अनुपात में अनुदानों पर विचार करें। बम्बई प्रेसिडेंसी को ही लें। इसमें तीन सांस्कृतिक इकाइयां महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक हैं। बम्बई प्रेसीडेंसी को दिए गए 26 लाख 90 हजार रुपये में से 18 प्रतिशत की जनसंख्या वाले गुजरात को 26 लाख 22 हजार अर्थात् 97.4 प्रतिशत और महाराष्ट्र को जिसकी आबादी 69 प्रतिशत है केवल 43 हजार रुपये मिले अर्थात केवल 1.6 प्रतिशत और कर्नाटक को जिसकी आबादी 13 प्रतिशत है केवल 25 हजार रुपये अर्थात कुल अनुदान का 0.9 प्रतिशत मिला। मध्य प्रान्त में 47 हजार रुपये के अनुदान में से 55 प्रतिशत आबादी वाले हिंदुस्तानी जिलों को 37 हजार रुपये अर्थात् 78.7 प्रतिशत जबकि 45 प्रतिशत आबादी वाले मराठी भाषी जिलों को 10 हजार रुपये अर्थात् 21.2 प्रतिशत मिला। बिहार और उड़ीसा में 5 लाख 65 हजार रुपये के कुल अनुदान में से बिहार को मिला 5 लाख 15 हजार अर्थात् 91 प्रतिशत जबकि उसकी आबादी 73 प्रतिशत है और उड़ीसा को केवल 50 हजार रुपये अर्थात् 9 प्रतिशत जबकि उसकी आबादी 27 प्रतिशत है। अनुदानों के वितरण में इसी प्रकार की असमानताएं मद्रास प्रेसीडेंसी के तीनों क्षेत्रों में मिलती है।

निधियों का बंटवारा केवल सिद्धांतहीन ही नहीं था वरन निर्लज्ज पक्षपात भी था। तीन वर्षों में वितरित कुल 49.5 लाख रुपये के अनुदान में से श्री गांधी के प्रांत गुजरात को 26.25 लाख रुपये और शेष भारत को 23 लाख रुपये दिए गए। इसका अर्थ यह हुआ कि 29.50 लाख की आबादी वाले प्रदेश को 26.25 लाख तथा शेष भारत को, जिसकी आबादी 23 करोड़ थी, 23 लाख रुपये दिए गए।

इस पर न कोई प्रतिबंध था, न कोई नियंत्रण। यह जानने की कोई जरूरत नहीं समझी गई कि अनुदान किस उद्देश्य के लिए स्वीकृत किया गया और यह धन किसे दिया गया। कृपया निम्नलिखित तालिका पर ध्यान दें-

तालिका-4

किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए विनियोजन किए बिना धन आवंटित किया गया किंतु व्यक्ति विशेष के नियंत्रणाधीन रखा गया।		किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए विनियोजन किए बिना और गारंटी के बिना धन का आवंटन किया गया।	
	रुपये		रुपये
मौलवी बदरूल हसन	40,000	गुजरात	3,00,000
श्री टी. प्रकाशम	7,000	गुजरात	18,00,000
सी. राजगोपालचारी	1,000	गुजरात	3,00,000
बजाज	20,000		
श्री गांधी	1,00,000		

यह पता नहीं है कि पाने वालों के पास रखी गई इतनी बड़ी धनराशि का क्या कोई लेखाजोखा रखा गया था अथवा जिन्होंने इतना अधिक धन प्राप्त किया उन्होंने वह धन अनजान या बेनामी प्राप्तकर्ता को दे दिया। यदि इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिल भी जाए तो भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह धन की बरबादी और अपव्यय हुआ उसका पता लगाना बहुत कठिन है। यह बड़े दुख की बात है कि इसमें जनता के धन की कांग्रेस के लुटेरे नेताओं ने मनमाने ढंग से बिना किसी चिंता के जो विवेकहीन लूट मचाई वह केवल अपने अपने निर्वाचन-क्षेत्रों में अपनी अपनी साख बनाने के लिए की गई थी।

कांग्रेसियों द्वारा शेष एक करोड़ तीस लाख रुपये की राशि की सुनियोजित और सुसंगठित ढंग से की गई लूट की कहानी का पीछा करना अनावश्यक है। यह धनराशि उस लूट के बाद के वर्षों में खर्च होती रही। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जनता के धन की इस प्रकार की मनमानी और सुनियोजित लूट पहले कभी नहीं हुई थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन अनुदानों की सूची से यह ज्ञात नहीं होता है कि उसमें अस्पृश्योत्थान कहीं दिखाई पड़ता हो तो स्वराज फंड से अग्रिम धनराशि निकालने का एक सार्थक उद्देश्य है। कांग्रेस से आशा की जाती थी कि वह स्वराज फंड से अस्पृश्योत्थान पर प्राथमिकता के तौर पर धन खर्च करेगी। जबकि हजारों रुपये उन तमाम वकीलों के भरणपोषण पर बिना जांच-पड़ताल किए खर्च किए गए, जिनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने राष्ट्र-हित में अपनी वकालत छोड़ी थी। बिना कोई जांच किए उन ताड़ी निकालने वालों पर हजारों रुपये खर्च किए गए जिन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया था और जनता के धन पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे तथा अन्य इसी प्रकार की वाहियात योजनाएं चलाई जा रही थीं जो स्वयं में बेईमानी की निशानी थीं। लेकिन कांग्रेस ने यह प्रस्ताव तो किया कि अस्पृश्योत्थान के लिए अलग फंड बनाया जाए परन्तु इस दिशा में कुछ किया नहीं। उस अलग फंड का क्या परिणाम निकला? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस मद के लिए पांच लाख रुपये निर्धारित किए। वर्किंग कमेटी ने यह महसूस किया कि अस्पृश्योत्थान जैसे महत्त्वहीन तथा अलाभप्रद कार्य के लिए यह धनराशि बहुत अधिक है और उसमें कटौती कर उसे दो लाख रुपये कर दिया। छह करोड़ अस्पृश्यों के लिए दो लाख रुपये!!

अस्पृश्योत्थान के लिए कांग्रेस ने इतनी अधिक धनराशि निर्धारित की। उस धनराशि में से इस कार्य पर वास्तव में कितना व्यय किया गया? यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :

तालिका-5

प्रयोजन	स्वीकृत धनराशि (रुपये)
राजमुन्द्रही डीप्रेस्ट क्लास मिशन	1,000
अन्त्यज कार्यालय अहमदाबाद	5,000
अन्त्यज कार्यालय अहमदाबाद	17,381
आंध्र में डीप्रेस्ड क्लासेस वर्क्स	7,000
नेशनल सोशल कांफ्रेंस फार डीप्रेस्ड क्लासेस वर्क्स	3,000
तमिल जिला प्रांतीय कांग्रेस कमेटी फार डीप्रेस्ड क्लासेस वर्क्स	10,000

संक्षेप में कांग्रेस को रचनात्मक बारदोली कार्यक्रम जिसमें अस्पृश्योत्थान को इतना अधिक महत्त्व प्राप्त हुआ, पर व्यय करने के लिए 49.5 लाख रुपये में से केवल 43,381 रुपये ही मिल पाए। क्या छलकपट का इससे बढ़ कर भी और कोई उदाहरण हो सकता है? कांग्रेस की उस अस्पृश्योत्थान की इच्छा का क्या हुआ? क्या यह कहना गलत होगा कि बारदोली प्रस्ताव अस्पृश्यों के साथ बिल्कुल धोखा था?

कोई भी यह प्रश्न उठा सकता है। कांग्रेस शिविर में अस्पृश्यों के प्रति जब यह सब घटित हो रहा था उस समय श्री गांधी कहां थे? यह प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि वह श्री गांधी ही थे जिन्होंने कांग्रेस में पदार्पण करते ही स्वराज प्राप्ति तथा अस्पृश्यता उन्मूलन के बीच गहन संबंध पर जोर दिया था। श्री गांधी ने अपने 3 नवंबर 1921 के "यंग इंडिया" में लिखा था–

"अस्पृश्यता को कांग्रेस के कार्यक्रमों में दूसरे स्तर कर स्थान नहीं दिया जा सकता। उस कंलक को मिटाए बिना स्वराज शब्द का कोई अर्थ नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चाहिए कि उस कलंक को मिटाने के लिए सामाजिक बहिष्कार तथा जनता के इस अभिशाप को अपने कार्यक्रम में शामिल करें। मैं स्वराज प्राप्ति की प्राक्रिया में अस्पृश्यता निवारण को अत्यंत शक्तिशाली घटक मानता हूं।"

इस तरह गांधी अस्पृश्यों को प्रेरित कर रहे थे कि वे स्वराज के विरुद्ध अंग्रेजों से हाथ न मिलाएं और इसके विपरीत वे स्वराज प्राप्ति के लिए हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। 20 अक्तूबर 1920 के "यंग इंडिया" से प्रकाशित श्री गांधी ने अस्पृश्यों को इस प्रकार संबोधित किया –

"देश के पददलितों के सामने तीन विकल्प हैं। वे अपनी जल्दबाजी में गुलाम बनाने वाली सरकार की सहायता कर सकते हैं। ऐसा करने से उनका उसी प्रकार पतन होगा जैसे कोई वस्तु कड़ाही से निकाल कर आग में गिराई जाए। आज अस्पृश्य गुलामों के गुलाम हैं। सरकार की सहायता प्राप्त करने के बाद वे अपने ही लोगों को दबाने के लिए सरकार के साधन बनेंगे। कलंक को धोने के बजाए वे स्वयं कलंकी बन जाएंगे। मुसलमानों ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न किया परंतु असफल रहे। उन्हें महसूस हुआ कि वे पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सोचनीय स्थिति में हैं। सिखों ने भी अज्ञानता में ऐसा ही किया और वे भी असफल रहे। आज भारत में सिखों से अधिक असंतुष्ट कौम और कोई नहीं है। इसलिए सरकारी सहायता इस समस्या का कोई हल नहीं है।"

दूसरा विकल्प हिंदू धर्म का त्याग और इस्लाम अथवा ईसाई धर्म को बड़े पैमाने पर ग्रहण करना है। यदि सांसारिक सुखों के लिए धर्म-परिवर्तन उचित माना जाए तो इसके लिए मैं बिना हिचकिचाहट इसकी सलाह दूंगा परंतु धर्म हृदय से मानने की बात है। भौतिक असुविधा किसी को अपना धर्म त्यागने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। यदि पंचम वर्ण के साथ अमानुषिक बर्ताव करना हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है तो उस हिंदू धर्म को त्यागना पंचम वर्ण तथा मेरे जैसे उन सभी लोगों का परम कर्त्तव्य होगा जो धर्म को अंधविश्वास नहीं बनाएंगे और इसके पवित्र नाम पर हर बुराई की अनदेखी नहीं करेंगे। परंतु मुझे विश्वास है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अंग नहीं है। अस्पृश्यता एक कलंक है जिसका निराकरण सभी संभव तरीकों से किया जाना चाहिए। हिंदू धर्म-सुधारकों की संख्या काफी अधिक है जो हिंदू धर्म के इस कलंक के धब्बे को मिटाने के लिए कटिबद्ध हैं अतः मैं समझता हूं कि धर्म-परिवर्तन इसका हल नहीं है।

अंत में स्वसहायता तथा स्वावलंबन है जिसके लिए सवर्ण हिंदुओं को अपने हृदय से सहायता करनी चाहिए न कि उसे एक कर्त्तव्य मान कर। इसके बाद असहयोग की बात आती है। इसलिए हिंदू धर्म के विरुद्ध आंदोलन छेड़कर पंचम वर्ण के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सवर्ण हिंदुओं से समस्त संबंध तोड़ सकते हैं। परंतु इनके लिए सुसंगठित बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयत्नों की आवश्यकता है। जहां तक मैं समझता हूं, पंचम वर्ण के लोगों के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो असहयोग आंदोलन के माध्यम से उन्हें विजय दिला सके।

इसलिए पंचम वर्ण के लोगों के लिए यही बेहतर है कि वे वर्तमान सरकार की गुलामी की जंजीरें उखाड़ फेंकने में राष्ट्रीय आंदोलन में खुले दिल से साथ दें। पंचम वर्ण के लोगों को देखना चाहिए कि वर्तमान बुरी सरकार के विरुद्ध असहयोग करने के लिए भारत के अन्य वर्गों से पूरा सहयोग करें।"

उसी लेख में श्री गांधी ने हिंदुओं से कहा–

"हिंदुओं को समझ लेना चाहिए कि यदि वे सरकर के विरुद्ध पूर्णतः सफल असहयोग करना चाहते हैं तो उन्हें पंचम वर्ण के लोगों से वैसा ही दुर्व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वे मुसलमानों के साथ करते हैं"

श्री गांधी ने 29 दिसंबर 1920 के "यंग इंडिया" में वही चेतावनी फिर

दोहराते हुए कहा –

"सरकार से असहयोग का अर्थ है शासितों से सहयोग और यदि हिंदू अस्पृश्यता के पाप को नहीं मिटाएंगे तो उन्हें सैकड़ों वर्ष बीत जाने पर स्वराज नहीं मिलेगा। अस्पृश्यता का पाप मिटाए बिना स्वराज उतना ही दुर्लभ है जितना कि हिंदू-मुस्लिम एकता के बिना है।"

अत: श्री गांधी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह यह सुनिश्चित करें कि बारदोली प्रस्ताव में निहित अस्पृश्योत्थान की कांग्रेस की नीति कार्यान्वित की जाए। वास्तविकता यह है कि श्री गांधी ने इसे श्रद्धा की भावना से करने के बजाए अस्पृश्योत्थान के कार्यक्रम में लेशमात्र भी रूचि नहीं दिखाई। यदि उनकी नीयत नेक होती तो वह दूसरी कमेटी नियुक्त करते। यदि उनकी नीयत नेक होती तो कांग्रेसियों द्वारा की जा रही तिलक स्वराज फंड की संगठित लूट से इस फंड को बचाते और अस्पृश्यों को लाभ पहुंचाने के लिए इस धनराशि को सुरक्षित रख सकते थे। आश्चर्य की बात है कि श्री गांधी ऐसी चुप्पी साधे रहे जैसे कि उस समस्या से उनका कोई संबंध ही न हो। किसी प्रकार का पश्चाताप करने के बजाए श्री गांधी ने अस्पृश्यों की समस्या के प्रति उदासीनता बरतने को उचित ठहराते हुए जिन तर्कों का सहारा लिया उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ये तर्क अक्तूबर 20, 1920 के "यंग इंडिया" में उपलब्ध हैं–

"अंग्रेजों से अपना कलंक धोने के लिए कहने से पहले क्या स्वयं हमें अपना कलंक नहीं धोना चाहिए? यह प्रश्न समुचित रूप से उठाया जा सकता है। यदि कोई गुलाम अपनी गुलामी का फंदा काटे बिना अपने अधीन व्यक्ति को आजाद कर सकता तो आज मैं ऐसा ही कर देता किंतु यह बिल्कुल असंभव बात है। एक गुलाम को तो सही काम करने की भी आजादी नहीं होती है।"

श्री गांधी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा–

"अब यह चक्र चल गया है और पंचम वर्ण के लोग इसमें भाग लें अथवा न लें, शेष हिंदू समाज अपनी ही उन्नति में बाधा पहुंचाए बिना उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। इसलिए पंचम वर्ण की समस्या मुझे उतनी ही प्रिय है जितना मुझे अपना जीवन।

"मैं अपना सारा ध्यान राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन पर देकर संतुष्ट हूं। अत: मैं इस बात से आश्वस्त हूं क्योंकि समग्र जनता में सभी छोटे-बड़े वर्ग आ जाते हैं।"

इस प्रकार कांग्रेस ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया के दूसरे अध्याय का अंत हुआ। इस दु:खद घटना की खेदजनक बात यह है कि इससे यह तथ्य सामने आ गया कि श्री गांधी शाब्दिक इंद्रजाल में फंसाने की कला खूब जानते थे। इस बात पर सन्देह हो सकता है कि क्या श्री गांधी धोखे की दुनिया में रहना पसंद कर सकें। श्री गांधी ने अस्पृश्यों को उठाने का व्यक्तिगत दायित्व अपने ऊपर न लेने का जो कारण बतलाया है वह उनकी उसी अशोभनीय आदत का श्रेष्ठ प्रमाण है। अस्पृश्यों से यह कहना कि वे हिंदुओं के विरुद्ध कुछ न करें।

इस प्रकार कांग्रेस ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया के दूसरे अध्याय का अंत हुआ। इस दु:खद घटना की खेदजनक बात यह है कि इससे यह तथ्य सामने आ गया कि श्री गांधी शाब्दिक इंद्रजाल में फंसाने की कला खूब जानते थे। इस बात पर सन्देह हो सकता है कि क्या श्री गांधी धोखे की दुनिया में रहना पसंद कर सकें। श्री गांधी ने अस्पृश्यों को उठाने का व्यक्तिगत दायित्व अपने ऊपर न लेने का जो कारण बतलाया है वह उनकी उसी अशोभनीय आदत का श्रेष्ठ प्रमाण है। अस्पृश्यों से यह कहना कि वे हिंदुओं के विरुद्ध कुछ न करें क्योंकि वे उनके सगे संबंधियों के विरुद्ध हो जाएंगे, यह बात तो मानने वाली है परंतु यह मान लेना कि हिंदु अस्पृश्यों को अपने सगे-संबंधी समझते हैं एक दम भ्रामक हैं। वे अस्पृश्यों के लिए और इन्द्रजाल भी फैलाते हैं। हिंदुओं से यह कहना कि वे अस्पृश्यता निवारण में लग जाएं, अच्छी सलाह है किंतु यह मान कर चलना कि हिंदुओं ने अस्पृश्यों के साथ जो अमानुषिक अत्याचार किए हैं उससे उन्हें इतनी अधिक शर्म महसूस हो रही है कि उन्हें अस्पृश्यता का उन्मूलन करना ही होगा और हिंदू सुधारकों का एक दल केवल अस्पृश्यता निवारण के लिए ही कटिबद्ध है केवल अस्पृश्यों को मूर्ख बनाने के लिए भ्रम फैलाने वाली बात है संसार को भी बेवकूफ बनाता है। यह दलील तर्कसंगत है कि समष्टि के हित में व्यष्टि का हित भी निहित है और इसलिए हमें व्यष्टि के हित तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। परंतु यह मानना कि अस्पृश्य समुदाय जैसा भाग समग्र हिंदू समाज का एक अंग है अपने आपको धोखा देना ही होगा। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री गांधी द्वारा फैलाए गए इस भ्रमजाल के कारण अस्पृश्यों तथा देश को कितनी दुखांत घटनाओं का सामना करना पड़ा है।■

(क्रमश: शेष अगले अंक में)

आकाशवाणी द्वारा प्रसारित
'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा उद्बोधन

प्यारे देशवासियो, नमस्ते।

दीपावली के पावन पर्व के दरम्यान आपने छुट्टियां बहुत अच्छे ढंग से मनायी होंगी। कहीं जाने का अवसर भी मिला होगा। और नए उमंग-उत्साह के साथ व्यापार रोज़गार भी प्रारंभ हो गए होंगे। दूसरी ओर क्रिसमस की तैयारियां भी शुरू हो गयी होंगी। सामाजिक जीवन में उत्सव का अपना एक महत्त्व होता है। कभी उत्सव घाव भरने के लिये काम आते हैं, तो कभी उत्सव नई ऊर्ज़ा देते हैं। लेकिन कभी-कभी उत्सव के इस समय में जब संकट आ जाए तो ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है, और पीड़ादायक लगता है। दुनिया के हर कोने में से लगातार प्राकृतिक आपदा की ख़बरें आया ही करती हैं। और न कभी सुना हो और न कभी सोचा हो, ऐसी-ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की ख़बरें आती रहती हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कितना तेजी से बढ़ रहा है यह अब हम लोग अनुभव कर रहे हैं। हमारे ही देश में, पिछले दिनों जिस प्रकार से अति वर्षा और वो भी बेमौसमी वर्षा और लम्बे अरसे तक वर्षा, ख़ासकर के तमिलनाडु में जो नुकसान हुआ है, और राज्यों को भी इसका असर हुआ है। कई लोगों की जानें गयीं। मैं इस संकट की घड़ी में उन सभी परिवारों के प्रति अपनी शोक-संवेदना प्रकट करता हूं। राज्य सरकारें राहत और बचाव कार्यों में पूरी शक्ति से जुट जाती हैं। केंद्र सरकार भी हमेशा कंधे से कन्धा मिलाकर काम करती है। अभी भारत सरकार की एक टीम तमिलनाडु गयी हुई है। लेकिन मुझे विश्वास है तमिलनाडु की शक्ति पर इस संकट के बावजूद भी वो फ़िर एक बार बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ने लग जाएगा। और देश को आगे बढ़ाने में जो उसकी

भूमिका है वो निभाता रहेगा।

लेकिन जब ये चारों तरफ़ संकटों की बातें देखते हैं तो हमें इसमें काफी बदलाव लाने की आवश्यकता हो गयी है। आज से 15 साल पहले प्राकृतिक आपदा एक कृषि विभाग का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि तब ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं यानि अकाल यहीं तक सीमित था। आज तो इसका रूप ही बदल गया है। हर level पर हमें अपनी Capacity Building के लिए काम करना बहुत अनिवार्य हो गया है। सरकारों ने civil society ने, नागरिकों ने, हर छोटी-मोटी संस्थाओं ने बहुत वैज्ञानिक तरीके से Capacity Building के लिए काम करना ही पड़ेगा। नेपाल के भूकंप के बाद मैंने पकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान नवाज़ शरीफ़ से बात की थी। और मैंने उन्हें एक सुझाव दिया था कि हम SAARC देशों ने मिल करके Disaster Preparedness के लिए एक joint exercise करना चाहिये। मुझे खुशी है कि SAARC देशों के एक table talk exercise और best practices का seminar workshop दिल्ली में संपन्न हुआ। एक अच्छी शुरुआत हुई है।

मुझे आज पंजाब के जालंधर से लखविंदर सिंह का phone मिला है। 'मैं लखविंदर सिंह, पंजाब जिला जालंधर से बोल रहा हूं। हम यहां पर जैविक खेती करते हैं और काफी लोगों को खेती के बारे में guide भी करते हैं। मेरा एक सवाल है कि जो ये खेतों को लोग आग लगाते हैं, पुआल को या गेहूं के झाड़ को कैसे इनको लोगों को guide किया जाए कि धरती मां को जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, उन पर कितना खराब कर रहे हैं और जो ये प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में इससे कैसे राहत मिले।' लखविंदर सिंह जी मुझे बहुत खुशी हुई आपके सन्देश सुन करके। एक तो आनंद इस बात का हुआ कि आप जैविक खेती करने वाले किसान हैं। और स्वयं जैविक खेती करते हैं ये इतना ही नहीं आप किसानों की समस्या को भली-भांति समझते हैं। और आपकी चिंता सही है लेकिन ये सिर्फ़ पंजाब, हरियाणा में ही होता है ऐसा नहीं है। पूरे हिन्दुस्तान में ये हम लोगों की आदत है और परंपरागत रूप से हम इसी प्रकार से

अपने फसल के अवशेषों को जलाने के रास्ते पर चल पड़ते हैं। एक तो पहले नुकसान का अंदाज़ नहीं था। सब करते हैं इसलिए हम करते हैं वो ही आदत थी। दूसरा, उपाय क्या होते हैं उसका भी प्रशिक्षण नहीं हुआ। और उसके कारण ये चलता ही गया, बढ़ता ही गया और आज जो जलवायु परिवर्तन का संकट है, उसमें वो जुड़ता गया। और जब इस संकट का प्रभाव शहरों की ओर आने लगा तो ज़रा आवाज़ भी सुनाई देने लगी। लेकिन आपने जो दर्द व्यक्त किया है वो सही है। सबसे पहला तो उपाय है हमें हमारे किसान भाइयो-बहनों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा उनको सत्य समझाना पड़ेगा कि फसल के अवशेष जलाने से हो सकता है समय बचता होगा, मेहनत बचती होगी। अगली फसल के लिए खेत तैयार हो जाता होगा। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। फसल के अवशेष भी बहुत कीमती होते हैं। वे अपने आप में वो एक जैविक खाद होता है। हम उसको बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं है अगर उसको छोटे-छोटे टुकड़े कर दिये जाएं तो वो पशुओं के लिए तो dry-fruit बन जाता है। दूसरा ये जलाने के कारण ज़मीन की जो ऊपरी परत होती है वो जल जाती है।

मेरे किसान भाई-बहन पल भर के लिये ये सोचिए कि हमारी हड्डियां मज़बूत हों, हमारा हृदय मज़बूत हो, kidney अच्छी हो, सब कुछ हो लेकिन अगर शरीर के ऊपर की चमड़ी जल जाए तो क्या होगा? हम जिन्दा बच पायेंगे क्या? हृदय साबुत होगा तो भी जिन्दा नहीं बच पायेंगे। जैसे शरीर की हमारी चमड़ी जल जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही, ये फसल के अवशेष ठूंठ जलाने से सिर्फ़ ठूंठ नहीं जलते, ये पृथ्वी माता की चमड़ी जल जाती है। हमारी जमीन के ऊपर की परत जल जाती है, जो हमारे उर्वरा भूमि को मृत्यु की ओर धकेल देती है। और इसलिए उसके सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। इस ठूंठ को फिर से एक बार ज़मीन में दबोच दिया, तो भी वो खाद बन जाता है। या अगर किसी गड्ढे में ढेर करके केंचुए डालकर के थोड़ा पानी डाल दिया तो उत्तम प्रकार का जैविक खाद बन करके आ जाता है। पशु के खाने के काम तो आता ही आता है, और हमारी ज़मीन बचती है इतना ही नहीं, उस ज़मीन में तैयार हुआ खाद उसमें डाला जाए, तो वो double फायदा देती है।

मुझे एक बार केले की खेती करने वाले किसान भाइयों से बातचीत करने का मौका मिला। और उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा अनुभव बताया। पहले वो जब केले की खेती करते थे और जब केले की फसल समाप्त होती थी तो केले के जो ठूंठ रहते थे, उसको साफ़ करने के लिए प्रति hectare कभी-कभी उनको 5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार रूपये का खर्च करना पड़ता था। और जब तक उसको उठाने वाले लोग ट्रैक्टर-वैक्टर लेकर आते नहीं तब तक वो ऐसे ही खड़ा रहता था। लेकिन कुछ किसानों ने prove किया उस ठूंठ के ही 6-6, 8-8 पदबी के टुकड़े किये और उसको ज़मीन में गाड़ दिए। तो अनुभव ये आया इस केले के ठूंठ में इतना पानी होता है कि जहां उसको गाड़ दिया जाता है, वहां अगर कोई पेड़ है, कोई पौधा है, कोई फसल है तो तीन महीने तक बाहर के पानी की ज़रुरत नहीं पड़ती। वो ठूंठ में जो पानी है, वही पानी फसल को जिन्दा रखता है। और आज़ तो उनके ठूंठ भी बड़े कीमती हो गए हैं। उनके ठूंठ में से ही उनको आय होने लगी है। जो पहले ठूंठ की सफ़ाई का खर्चा करना पड़ता था, आज वो ठूंठ की मांग बढ़ गयी है। छोटा सा प्रयोग भी कितना बड़ा फायदा कर सकता है, ये तो हमारे किसान भाई किसी भी वैज्ञानिक से कम नहीं हैं।

प्यारे देशवासियो आगामी 3 दिसम्बर को 'International Day of Persons with Disabilities' पूरा विश्व याद करेगा। पिछली बार 'मन की बात' में मैंने 'Organ Donation' पर चर्चा की थी। 'Organ Donation' के लिए मैंने NOTO के helpline की भी चर्चा की थी और मुझे बताया गया कि मन की उस बात के बाद phone calls में क़रीब 7 गुना वृद्धि हो गयी। और website पर ढाई गुना वृद्धि हो गयी। 27 नवम्बर को 'Indian Organ Donation Day' के रूप में मनाया गया। समाज के कई नामी व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन सहित, बहुत नामी लोग इससे जुड़े। 'Organ Donation' मूल्यवान जिंदगियों को बचा सकता है। 'अंगदान' एक प्रकार से अमरता ले करके आ जाता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जब अंग जाता है तो उस अंग को नया जीवन मिल जाता है लेकिन उस जीवन को नयी ज़िंदगी मिल जाती है। इससे बड़ा सर्वोत्तम दान और क्या हो सकता है। Transplant के लिए इंतज़ार कर रहे मरीज़ों, organ donors, organ transplantation की एक national registry 27 नवम्बर को launch कर दी गयी है। NOTO का logo, donor card और slogan design करने के लिए 'mygov.in' के द्वारा एक national competition रखी गयी और मेरे लिए ताज्जुब था कि इतने लोगों ने इतना हिस्सा लिया, इतने innovative way में और बड़ी संवेदना के साथ बातें बताईं। मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र पर भी व्यापक जागरूकता बढ़ेगी और सच्चे अर्थ में जरूरतमंद को उत्तम से उत्तम मदद मिलेगी, क्योंकि ये मदद कहीं और से नहीं मिल सकती जब तक कि कोई दान न करे।

जैसे मैंने पहले बताया 3 दिसम्बर विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग वे भी एक अप्रतिम साहस और सामर्थ्य के धनी होते हैं। कभी-कभी पीड़ा तब होती है जब कहीं कभी उनका उपहास हो जाता है। कभी-कभार करुणा और दया का भाव प्रकट किया जाता

है। लेकिन अगर हम हमारी दृष्टि बदलें, उनकी ओर देखने का नज़रिया बदलें तो ये लोग हमें जीने की प्रेरणा दे सकते हैं। कुछ कर गुजरने की प्रेरणा दे सकते हैं। हम छोटी सी भी मुसीबत आ जाए तो रोने के लिए बैठ जाते हैं। तब याद आता है कि मेरा तो संकट बहुत छोटा है, ये कैसे गुजारा करता है? ये कैसे जीता है? कैसे काम करता है? और इसलिए ये सब हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी संकल्प शक्ति, उनका जीवन के साथ जूझने का तरीका और संकट को भी सामर्थ्य में परिवर्तित कर देने की उनकी ललक काबिले-दाद होती है।

जावेद अहमद, मैं आज उनकी बात बताना चाहता हूं। 40-42 साल की उम्र है। 1996 कश्मीर में, जावेद अहमद को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। वे आतंकियों के शिकार हो गए, लेकिन बच गए। लेकिन, आतंकवादियों की गोलियों के कारण kidney गंवा दी। Intestine और आंत का एक हिस्सा खो दिया। serious nature की spinal injury हो गयी। अपने पैरों पर खड़े होने का सामर्थ्य हमेशा-हमेशा के लिए चला गया, लेकिन जावेद अहमद ने हार नहीं मानी। आतंकवाद की चोट भी उनको चित्त नहीं कर पायी। उनका अपना जज्बा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है बिना कारण एक निर्दोष इंसान को इतनी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ी हो, जवानी खतरे में पड़ गयी हो लेकिन न कोई आक्रोश, न कोई रोष इस संकट को भी जावेद अहमद ने संवेदना में बदल दिया। उन्होंने अपने जीवन को समाजसेवा में अर्पित कर दिया। शरीर साथ नहीं देता है लेकिन 20 साल से वे बच्चों की पढ़ाई में डूब गए हैं। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए infrastructure में सुधार कैसे आएं? सार्वजनिक स्थानों पर, सरकारी दफ्तरों में विकलांग के लिए व्यवस्थाएं कैसे विकसित की जाएं? उस पर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी उसी दिशा में ढाल दी। उन्होंने social work में Master Degree ले ली और एक समाजसेवक के रूप में एक जागरूक नागरिक के नाते विकलांगों के मसीहा बन कर के वे आज एक silent revolution कर रहे है। क्या जावेद का जीवन हिंदुस्तान के हर कोने में हमे प्रेरणा देने के लिए काफ़ी नहीं है क्या? मैं जावेद अहमद के जीवन को, उनकी इस तपस्या को और उनके समर्पण को 3 दिसम्बर को विशेष रूप से याद करता हूं। समय अभाव में मैं भले ही जावेद की बात कर रहा हूं लेकिन हिंदुस्तान के हर कोने में ऐसे प्रेरणा के दीप जल रहे हैं। जीने की नई रोशनी दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। 3 दिसम्बर ऐसे सब हर किसी को याद कर के उनसे प्रेरणा पाने का अवसर है।

हमारा देश इतना विशाल है। बहुत-सी बातें होती हैं जिसमें हम सरकारों पर dependent होते हैं। मध्यम-वर्ग का व्यक्ति हो, निम्न-मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, गरीब हो, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित उनके लिए तो सरकार के साथ सरकारी व्यवस्थाओं के साथ लगातार संबंध आता है। और एक नागरिक के नाते जीवन में कभी न कभी तो किसी न किसी सरकारी बाबू से बुरा अनुभव आता ही आता है। और वो एकाध बुरा अनुभव जीवन भर हमें सरकारी व्यवस्था के प्रति देखने का हमारा नज़रिया बदल देता है। उसमें सच्चाई भी है लेकिन कभी-कभी इसी सरकार में बैठे हुए लाखों लोग सेवा-भाव से, समर्पण-भाव से, ऐसे उत्तम काम करते हैं जो कभी हमारी नज़र में नहीं आते। कभी हमें पता भी नहीं होता है, क्योंकि इतना सहज होता है हमें पता ही नहीं होता है कि कोई सरकारी व्यवस्था, कोई सरकारी मुलाज़िम ये काम कर रहा है।

हमारे देश में ASHA Workers जो पूरे देश में network है। हम भारत के लोगों के बीच में कभी-कभी ASHA Workers के संबंध में चर्चा न मैंने सुनी है न आपने सुनी होगी। लेकिन मुझे जब बिलगेट्स फाउंडेशन के विश्व प्रसिद्ध परिवार entrepreneur के रूप में दुनिया में उनकी सफलता एक मिसाल बन चुकी है। ऐसे बिलगेट्स और मिलिंडागेट्स उन दोनों को हमने joint पद्म विभूषण दिया था पिछली बार। वे भारत में बहुत सामाजिक काम करते हैं। उनका अपना निवृत्ति का समय और जीवन भर जो कुछ भी कमाया है गरीबों के लिए काम करने में खपा रहे हैं। वे जब भी आते हैं, मिलते हैं और जिन-जिन ASHA Workers के साथ उनको काम करने का अवसर मिला है, उनकी इतनी तारीफ़ करते हैं, इतनी तारीफ़ करते हैं, और उनके पास कहने के लिए इतना होता है कि ये आशा-वर्कर को क्या समर्पण है कितनी मेहनत करते है। नया-नया सीखने के लिए कितना उत्साह होता है। ये सारी बातें वो बताते हैं। पिछले दिनों उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक ASHA Worker का स्वतंत्रता दिवस पर विशेष सम्मान किया। उड़ीसा के बालासोर ज़िले का एक छोटा सा गांव तेंदागांव एक आशा-कार्यकर्ता और वहां की सारी जनसंख्या शिड्यूल-ट्राइब की है। अनुसूचित-जनजातियों के वहां लोग हैं, ग़रीबी है। और मलेरिया से प्रभावित क्षेत्र है। और इस गांव की एक आशा-वर्कर "जमुना मणिसिंह" उसने ठान ली कि अब मैं इस तेंदागांव में मलेरिया से किसी को मरने नहीं दूंगी। वो घर-घर जाना छोटे सा भी बुखार की ख़बर आ जाए तो पहुंच जाना। उसको जो प्राथमिक व्यवस्थायें सिखाई गई हैं उसके आधार पर उपचार के लिए लग जाना। हर घर कीटनाशक मच्छरदानी का उपयोग करे उस पर बल देना। जैसे अपना ही बच्चा ठीक से सो जाये और जितनी केयर करनी चाहिए वैसी ASHA Worker "जमुना मणिसिंह" पूरा गांव मच्छरों से बच के रहे इसके लिए पूरे समर्पण भाव से काम करती रहती हैं। और उसने मलेरिया से मुकाबला किया, पूरे गांव को मुकाबला करने के लिए

तैयार किया। ऐसे तो कितनी "जमुना मणि" होंगी। कितने लाखों लोग होंगे जो हमारे अगल-बगल में होंगे। हम थोड़ा सा उनकी तरफ़ एक आदर भाव से देखेंगे। ऐसे लोग हमारे देश की कितनी बड़ी ताकत बन जाते हैं। समाज के सुख-दुख के कैसे बड़े साथी बन जाते हैं। मैं ऐसे सभी ASHA Workers को "जमुना मणि" के माध्यम से उनका गौरवगान करता हूं।

मेरे प्यारे नौजवान मित्रो, मैंने ख़ास युवा पीढ़ी के लिए जो कि इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। MyGov उस पर मैंने 3 E-book रखी है। एक E-book है स्वच्छ भारत की प्रेरक घटनाओं को लेकर के, सांसदों के आदर्श ग्राम के संबंध में और हेल्थ सेक्टर के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में। मैं आपसे आग्रह करता हूं आप इसको देखिये। देखिये इतना ही नहीं औरों को भी दिखाइये इसको पढ़िए और हो सकता है आपको कोई ऐसी बातें जोड़ने का मन कर जाए। तो ज़रूर आप 'MyGov.in' को भेज दीजिये। ऐसी बातें ऐसी होती है कि बहुत जल्द हमारे ध्यान में नहीं आती है लेकिन समाज की तो वही सही ताकत होती है। सकारात्मक शक्ति ही सबसे बड़ी ऊर्जा होती है। आप भी अच्छी घटनाओं को शेयर करें। इन E-books को शेयर करें। E-books पर चर्चा करें और अगर कोई उत्साही नौजवान इन्हीं E-book को लेकर के अड़ोस-पड़ोस के स्कूलों में जाकर के आठवीं, नौवीं, दसवीं कक्षा के बच्चों को बतायें कि देखों भाई ऐसा यहां हुआ ऐसा वहां हुआ। तो आप सच्चे अर्थ में एक समाज शिक्षक बन सकते है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं आइये राष्ट्र निर्माण में आप भी जुड़ जाइये।

मेरे प्यारे देशवासियों, पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन से चिंतित है। climate change, global warming, डगर-डगर पर उसकी चर्चा भी है चिंता भी है और हर काम को अब करने से पहले एक मानक के रूप में इसको स्वीकृति मिलती जा रही है। पृथ्वी का तापमान अब बढ़ना नहीं चाहिए। ये हर किसी की ज़िम्मेवारी भी है चिंता भी है। और तापमान से बचने का एक सबसे पहला रास्ता है, ऊर्जा की बचत "energy conservation" 14 दिसम्बर "National Energy Conservation Day" है। सरकार की तरफ़ से कई योजनायें चल रही हैं। L.E.D बल्ब की योजना चल रही है। मैंने एक बार कहा था कि पूर्णिमा की रात को street lights बंद करके अंधेरा करके घंटे भर पूर्ण चांद की रोशनी में नहाना चाहिए। उस चांद की रोशनी का अनुभव करना चाहिए। एक किसी मित्र ने मुझे एक link भेजा था देखने के लिए और मुझे उसको देखने का अवसर मिला, तो मन कर गया कि मैं आपको भी ये बात बताऊं। वैसे इसकी credit तो Zee News को जाती है। क्योंकि वो link Zee News का था। कानपुर में नूरजहां करके एक महिला TV पर से लगता नहीं है कोई उसको ज्यादा पढ़ने का सौभाग्य मिला होगा। लेकिन एक ऐसा काम वो कर रही हैं जो शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा। वह solar ऊर्जा से सूर्य शक्ति का उपयोग करते हुए ग़रीबों को रोशनी देने का काम कर रही है। वह अंधेरे से जंग लड़ रही है और अपने नाम को रोशन कर रही है। उसने महिलाओं की एक समिति बनाई है और solar ऊर्जा से चलने वाली लालटेन उसका एक plant लगाया है और महीने के 100/- रू. के किराये से वो लालटेन देती है। लोग शाम को लालटेन ले जाते हैं, सुबह आकर के फिर charging के लिए दे जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में करीब मैंने सुना है कि 500 घरों में लोग आते हैं लालटेन ले जाते हैं। रोज का करीब 3-4 रू. का खर्च होता है लेकिन पूरे घर में रोशनी रहती है और ये नूरजहां उस plant में solar energy से ये लालटेन को recharge करने का दिनभर काम करती रहती है। अब देखिये जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व के बड़े-बड़े लोग क्या-क्या करते होंगे लेकिन एक नूरजहां शायद हर किसी को प्रेरणा दे, ऐसा काम कर रही है। और वैसे भी, नूरजहां को तो मतलब ही है संसार को रोशन करना। इस काम के द्वारा रोशनी फैला रही हैं। मैं नूरजहां को बधाई देता हूं और मैं Zee TV को भी बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने कानपुर के एक छोटे से कोने में चल रहा इस काम देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। बहुत-बहुत बधाई।

मुझे उत्तर प्रदेश के श्रीमान अभिषेक

इस प्रकार कांग्रेस ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया के दूसरे अध्याय का अंत हुआ। इस दुःखद घटना की खेदजनक बात यह है कि इससे यह तथ्य सामने आ गया कि श्री गांधी शाब्दिक इंद्रजाल में फंसाने की कला खूब जानते थे। इस बात पर सन्देह हो सकता है कि क्या श्री गांधी धोखे की दुनिया में रहना पसंद कर सकें। श्री गांधी ने अस्पृश्यों को उठाने का व्यक्तिगत दायित्व अपने ऊपर न लेने का जो कारण बतलाया है वह उनकी उसी अशोभनीय आदत का श्रेष्ठ प्रमाण है। अस्पृश्यों से यह कहना कि वे हिंदुओं के विरुद्ध कुछ न करें।

कुमार पाण्डे ने एक फ़ोन किया है "जी नमस्कार मैं अभिषेक कुमार पाण्डे बोल रहा हूं गोरखपुर से बतौर entrepreneur मैं आज यहां working हूं, प्रधानमन्त्री जी को मैं बहुत ही बधाइयां देना चाहूंगा कि उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया MUDRA Bank, हम प्रधानमंत्री जी से जानना चाहेंगे कि जो भी ये MUDRA Bank चल रहा है इसमें किस तरह से हम जैसे entrepreneurs उधमियों को support किया जा रहा है? सहयोग किया जा रहा है?" अभिषेक जी धन्यवाद। गोरखपुर से आपने जो मुझे सन्देश भेजा। प्रधानमंत्री MUDRA योजना fund the unfunded। जिसको धनराशि नहीं मिलती है उनको धनराशि मिले। और मकसद है अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो "तीन E, Enterprises, Earning, Empowerment. मुद्रा enterprise को encourage कर रहा है, मुद्रा earning के अवसर पैदा करता है और मुद्रा सच्चे अर्थ में empower करता है। छोटे-छोटे उद्यमियों को मदद करने के लिए ये MUDRA योजना चल रही है। वैसे मैं जिस गति से जाना चाहता हूं वो गति तो अभी आनी बाकी है। लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है इतने कम समय में क़रीब 66 लाख़ लोगों को 42 हज़ार करोड़ रूपया प्रधानमंत्री MUDRA योजना से उन लोगों को मिला। धोबी हो, नाई हो, अख़बार बेचनेवाला हो, दूध बेचनेवाला हो। छोटे-छोटे कारोबार करने वाले लोग और मुझे तो ख़ुशी इस बात की हुई कि करीब इन 66 लाख में 24 लाख महिलाए है। और ज्यादातर ये मदद पाने वाले SC, ST, OBC इस वर्ग के लोग हैं जो खुद मेहनत करके अपने पैरों पर सम्मान से परिवार को चलाने का प्रयास करते हैं। अभिषेक ने तो खुद ने अपने उत्साह की बात बताई है। मेरे पास भी काफ़ी कुछ ख़बरें आती रहती हैं। मुझे अभी किसी ने बताया कि मुंबई में कोई शैलेश भोसले करके हैं। उन्होंने MUDRA योजना के तहत बैंक से उनको साढ़े आठ लाख रुपयों का कर्ज़ मिला। और उन्होंने sewage dress, सफाई का business शुरू किया। मैंने अपने स्वच्छता अभियान के समय संबंध में कहा था कि स्वच्छता अभियान ऐसा है के जो नए entrepreneur तैयार करेगा। और शैलेश भोसले ने कर दिखाया। वे एक टैंकर लाये हैं उस काम को कर रहे है और मुझे बताया गया कि इतने कम समय में 2 लाख़ रूपए तो उन्होंने बैंक को वापिस भी कर दिया। आखिरकार हमारा MUDRA योजना के तहत ये ही इरादा है। मुझे भोपाल की ममता शर्मा के विषय में किसी ने बताया कि उसको ये प्रधानमंत्री MUDRA योजना से बैंक से 40 हज़ार रूपए मिले। वो बटुवा बनाने का काम कर रही है। और बटुवा बनाती है लेकिन पहले वो ज्यादा ब्याज़ से पैसे लाती थी और बड़ी मुश्किल से कारोबार को चलती थी। अब उसको अच्छी मात्रा में एक साथ रूपया हाथ आने के कारण उसने अपने काम को अधिक अच्छा बना दिया। पहले जो अतिरिक्त ब्याज़ के कारण और, अन्य कारणों से उसको जो अधिक खर्चा होता था इन दिनों ये पैसे उसके हाथ में आने के कारण हर महीना करीब-करीब एक हज़ार रूपए ज्यादा बचने लग गया। और उनके परिवार में एक अच्छा व्यवसाय भी धीरे-धीरे पनपने लग गया। लेकिन मैं चाहूंगा कि योजना का और प्रचार हो। हमारी सभी बैंक और ज्यादा संवेदनशील हों और ज्यादा से ज्यादा छोटे लोगों की मदद करें। सचमुच में देश की economy को यही लोग चलाते हैं। छोटा-छोटा काम करने वाले लोग ही देश के अर्थ में आर्थिक शक्ति होते हैं। हम उसी को बल देना चाहतें है। अच्छा हुआ है, लेकिन और अच्छा करना है।

मेरे प्यारे देशवासियो, 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जयंती के दिन मैंने "एक भारत-श्रेष्ठ भारत की चर्चा की थी। ये चीज़े होती है जो सामाजिक जीवन में निरंतर जागरूकता बनी रहनी चाहिये। राष्ट्र्याम जाग्रयाम व्यम "Internal vigilance is the prize of liberty" देश की एकता ये संस्कार सरिता चलती रहनी चाहिये। "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" इसको मैं एक योजना का रूप देना चाहता हूं। MyGov उस पर सुझाव मांगे थे। Programme का structure कैसा हो? लोगो क्या हो? जन-भागीदारी कैसे बढ़े? क्या रूप हो? सारे सुझाव के लिए मैंने कहा था। मुझे बताया गया कि काफ़ी सुझाव आ रहे हैं। लेकिन मैं और अधिक सुझाव की अपेक्षा करता हूं। बहुत specific scheme की अपेक्षा करता हूं। और मुझे बताया गया है कि इसमें हिस्सा लेने वालों को certificate मिलने वाला है। कोई बड़े-बड़े prizes भी घोषित किये गए हैं। आप भी अपना creative mind लगाइए। एकता अखंडता के इस मन्त्र को 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' इस मन्त्र को एक-एक हिन्दुस्तानी को जोड़ने वाला कैसे बना सकते हैं। कैसी योजना हो, कैसा कार्यक्रम हो। जानदार भी हो, शानदार भी हो, प्राणवान भी हो और हर किसी को जोड़ने के लिए सहज सरल हो। सरकार क्या करे? समाज क्या करे? Civil Society क्या करे? बहुत सी बातें हो सकती हैं। मुझे विश्वास है कि आपके सुझाव ज़रूर काम आयेंगे।

मेरे प्यारे भाइयो-बहनो, ठण्ड का मौसम शुरू हो रहा है लेकिन ठण्ड में खाने का तो मज़ा आता ही आता है। कपड़े पहनने का मज़ा आता है, लेकिन मेरा आग्रह रहेगा व्यायाम कीजिये। मेरा आग्रह रहेगा शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए ज़रूर कुछ न कुछ समय ये अच्छे मौसम का उपयोग व्यायाम-योग उसके लिए ज़रूर करेंगे। और परिवार में ही माहौल बनाये, परिवार का एक उत्सव ही हो, एक घंटा सबको मिल करके यही करना है। आप देखिये कैसी चेतना आ जाती है। और पूरे दिनभर शरीर कितना साथ देता है। अच्छा मौसम है, तो अच्छी आदत भी हो जाए। मेरे प्यारे देशवासियो को फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं।

जयहिन्द।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की स्मृति में डॉ. अम्बेडकर स्मारक सिक्के जारी करने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सम्बोधन

डॉ. अम्बेडकर की स्मृति में 6 दिसम्बर 2015 को 7 रेसकोर्स रोड स्थित अपने आवास पर डॉ. अम्बेडकर स्मारक सिक्के (125 व 10 का) जारी करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस अवसर पर शिरकत करते हुए वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गेहलोत।

देश के अलग-अलग कोने से आए हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव, आज 6 दिसंबर, पूज्य बाबासाहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण का प्रसंग है। मैं नहीं मानता हूं कभी किसी ने सोचा होगा कि भारत का सिक्का, जिस पर बाबासाहेब अम्बेडकर का चित्र हो, ऐसा भी कभी इस देश में दिवस आ सकता है।

आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में ज्यादातर लोग, मृत्यु के पहले ही चिरविदाई हो जाती है, कुछ लोगों की मृत्यु के साथ चिरविदाई हो जाती हैं लेकिन शायद बहुत कम लोग होते हैं जो मृत्यु के साठ साल के बाद भी जिंदा होते हैं, और बाबासाहेब अम्बेडकर वो मनीषी हैं। शायद उनके अपने कार्यकाल में बहुतों का उन पर ध्यान नहीं गया होगा। एक student के रूप में देखा गया होगा, एक अर्थशास्त्री के रूप में देखा गया होगा, लेकिन जैसा अरुण जी ने कहा भारत की आज की समस्याओं के संदर्भ में जब बाबासाहेब को देखते हैं तब लगता है कि कोई व्यक्ति कितना दीर्घदृष्टा हो सकता है, कितनी गहन सोच रखता है, और कितनी समावेशी कल्पना रखता होगा।

इसलिए सामान्य तौर पर ये हमारे देश में ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की एकाध चीज से पहचान बन जाती है सामान्य जन के लिए। बहुमुखी प्रतिभाएं सबके सामने बहुत कम आती हैं, और उसका कारण ये नहीं है कि प्रतिभा में कोई कमी है, कमी हम लोगों में है कि सारी बहुमुखी चीजें हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। उसको समझने में कभी-कभी 60 साल लग जाते हैं। अब वो सामाजिक चिंतन के विषय में तो बाबासाहेब के विचार, खास करके social justice की बातें नीचे तक percolate हुई हैं और सबको लगता भी है, लेकिन बाबासाहेब के आर्थिक चिंतन के संदर्भ में उतनी गहराई से चर्चा नहीं हुई है।

इस 125 वर्ष के समय, अच्छा होगा कि हम नई पीढ़ी को बाबासाहेब के इस फलक के विषय में परिचित कैसे करवाएं। संसद के अंदर दोनों सदनों ने गहन चर्चा की, अच्छी चर्चा की। सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने तरीके से वर्तमान स्थिति का भी आकलन किया और बाबासाहेब के दृष्टिकोण को भी जोड़ने का प्रयास किया। कुछ लोगों के मन में सवाल भी उठा कि मोदीजी हम ये तो समझ सकते हैं कि 15 अगस्त क्या है, हम ये भी समझ सकते हैं कि 26 जनवरी क्या है, लेकिन आप 26 नवंबर कहां से उठा के ले आए हो? सवाल पूछे गए मुझे house में। मैं नहीं मानता हूं जिसने बाबासाहेब अम्बेडकर को समझा होता तो शायद ऐसा सवाल करता।

हम 26 जनवरी की जब बात करते हैं तब भी बाबासाहेब अम्बेडकर उजागर हो करके देश के सामने नहीं आते हैं, ये मानना पड़ेगा। 15 अगस्त को हम याद करते हैं तो महात्मा गांधी, भगत सिंह सब आते हैं सामने लेकिन 26 जनवरी करते समय नहीं आते हैं, और इतने बड़े योगदान को हम नकार नहीं सकते हैं। और आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करने के लिए भी, और राष्ट्र की एकता के लिए भी ऐसे महापुरुषों का योगदान, उसका स्मरण हमारे लिए वो एक ताकत बनता है जो समाज को जोड़ने का हमें अवसर देती है। और उस अर्थ में संसद के अंदर और ये मेरा इरादा है कि देश में बाबासाहेब अम्बेडकर और संविधान, इसके विषय में निरंतर चर्चा

होनी चाहिए, हमारी नई पीढ़ी को जोड़ना चाहिए, ऐसे competitions होने चाहिए, स्पर्द्धाएं होनी चाहिए, online competition होने चाहिए, speech competition होने चाहिए, ये लगातार चलना चाहिए। मैंने कहा है सरकार में कि इसको जरा workout कीजिए। आने वाले दिनों में 26 नवंबर से 26 जनवरी तक इसको किया जाए। 26 जनवरी को सब ईनाम announce किए जाएं। ऐसी एक व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए ताकि नई पीढ़ी को पता चले।

बाबासाहेब अम्बेडकर, उनकी विविधता, विशेषता देखिए, मैं अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। समाज से वो पीड़ित थे, समाज से वो दुखी भी थे और समाज के प्रति उनके मन में आक्रोश भी था और इस परिस्थिति में बदलाव लाने की एक ललक भी थी, वो एक रूप में। लेकिन इस अवस्था के बावजूद भी उन्होंने जब विश्व को देखा और उन्होंने लिखा है कि मैं जब भारत के बाहर पांच साल रहा तो अस्पृश्यता क्या होती है, un-touchability क्या होती है, वो मैं भूल चुका था। मुझे याद ही नहीं था, क्योंकि, जब एक तरफ यहां इस प्रकार की अपमानित अवस्था हो, दूसरी तरफ सम्मान का अनुभव मिला हो, फिर भी कोई इंसान का जज्बा कैसा होगा, वो सम्मान की अवस्था छोड़ करके अपमान की जिंदगी भले जीनी पड़े लेकिन जाऊंगा वापस, और वापस आता है, ये छोटी बात नहीं है। एक व्यक्तित्व का, व्यक्तित्व को पहचानने का ये एक दृष्टिकोण है कि वरना किसी को मन कर जाए, यार अब वहां क्यों जाके रहेंगे, पहले गांव में पैदा हुए थे, वहां बिजली नहीं, रास्ते, नहीं, चलो यहीं बस जाते हैं। इस इंसान को तो इतनी यातनाएं झेलनी पड़ीं, इतने अपमान झेलने पड़े और उसके बाद भी वो कहता है ठीक है यहां मुझे मान मिला, सम्मान मिला, un-touchablility का नामो-निशान नहीं है, वहां जो है लेकिन जाऊंगा वहीं। किंतु एक विशेष, माने भीतर कोई आंतरिक ताकत होती है तब होता है।

दूसरी विशेषता देखिए, समाज के प्रति ये आक्रोश होना, ये दर्द होना, पीड़ा होना, ये सब होने के बावजूद भी उनकी भारत-भक्ति हर पल झलकती है। लेकिन भारत भक्ति एक देश के रूप में मुझे, एक जो सीमा में बंधा हुआ एक देश है उस रूप में नहीं, उसकी सांस्कृतिक विरासत के प्रति वह गर्व अनुभव करते थे। जिसकी विकृतियों ने इतनी महाबल मुसीबतें पैदा की थीं, बहुत कठिन होता है कि ऐसी अवस्था में भी सत्य तक पहुंचना और इसलिए जब उन्होंने अपना Ph.D किया, उसका विषय था Ancient Indian Commerce, अब यह Ancient Indian Commerce की ओर उनका मन जाना यह इस बात का सबूत है की वे भारत की गरिमा और भारत के गौरव गान इससे उनका अटूट नाता मानते थे। वरना दूसरा पहलू ही उभर कर के आता मैं तो यह मानता हूँ कि आज जो नीति निर्धारक हैं, जो think tank चलाते हैं उन्होंने आर्थिक Global Economy के संदर्भ में बाबासाहेब अम्बेडकर के आर्थिक चिंतन का क्या छाया है या क्या सोच थी उसका कोई तालमेल है कि अभी भी दुनिया को बाबासाहेब तक पहुंचने में समय लगने वाला है, इस पर विशेष शोध निबंध होने चाहिए, पता चलेगा। भारत जैसे देश में वो आर्थिक चिंतन का उनका मंत्र बड़ा simple था "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय"।

ये जो "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय", ये मूल तत्व है। मैं समझता हूं आर्थिक दृष्टि से किसी भी सरकार के लिए इस दायरे के बाहर जाने का कोई कारण ही नहीं बनता है।

आज हम रिजर्व बैंक की कल्पना करते हैं। देश आजाद नहीं हुआ था तब बाबासाहेब अम्बेडकर ने अपने thesis में भारत में रिजर्व बैंक की कल्पना की थी। आज हम federal sector की बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन राज्य की मांग रहती है इतना पैसा कौन देगा, कौन राज्य कैसे क्रम में चलेगा। देश आजाद होने से पहले बाबासाहेब अम्बेडकर ने ये विचार रखा था फाइनेंस कमीशन का और संपत्ति का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच कैसे हो, इसकी गहराई से उन्होंने चिंतन प्रकट किया था और उसी विचारों के प्रकाश में आज ये फाइनेंस कमिशन, चाहे RBI हो ऐसी, अनेक institutions हैं।

आज हम नदी जोड़ो का अभियान चलाते है river grid की बात करते हैं आज हिन्दुस्तान में एक महत्त्वपूर्ण issue है अभी दो दिन पूर्व मैं चीफ जस्टिस साहब के साथ भोजन पर बैठा था वो भी पूछ रहे थे कि river grid का क्या हो रहा है। बाबासाहेब अम्बेडकर ने उस जमाने में पानी को ले करके कमीशन के निर्माण की कल्पना की। यानी कोई दीर्घदृष्टा व्यक्ति किस प्रकार से आगे सोच सकता है।

उन्होंने विकास में नारी के महत्त्व को, उसके योगदान को उजागर किया। जब पुरुष के लिए भी सम्मान के दिन नहीं थे। उस समय दलित, पीड़ित, शोषित समाज अपमान का शिकार हो चुका था ऐसी अवस्था में भी इस महापुरुष को यह विचार आता है कि विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर equal partnership की कल्पना की थी। और इसके लिए वो कहते थे- 'शिक्षा' और देखिए साहब! उन्होंने ...बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने हर चीज के केंद्र में शिक्षा को एकदम top priority दी है। बाकि सब बाद में, पहले पढ़ो, कठिनाई में भी पढ़ो। पढ़ोगे तो दुनिया वो एक चीज है तुमसे लूट नहीं सकती।

ये पढ़ने का जो उनका आग्रह था,

पढ़ाने का जो आग्रह था और यही है जिसने समाज को एक नई ताकत दी है। और आज जब हम एक तरफ 125वीं जयंती और दूसरी तरफ हम ये विचार ले करके चल रहे हैं।

बाबासाहेब अम्बेडकर का भारत के मूल जीवन के साथ नाते की जो मैं चर्चा कर रहा था। आखिर के दिनों में शारीरिक स्थिति बहुत खराब थी यानी एक प्रकार से बीमारियों का घर बन गया था उनका शरीर और बचपन में, जवानी में जब शरीर को मजबूत बनाने की अवस्था होती है तब उनको अवसर नहीं था क्योंकि उतना पेटभर खाना भी कहां मौजूद था और जब जीवन में कुछ संभावनाएं बनीं तो खुद को उन्होंने समाज और देश के लिए खपा दिया। और जो काम लेते थे वो पागलपन से करते थे यानी एक तरह से पूरी तरह डूब जाते थे और इसलिए एक स्थिति आ गई शरीर ने साथ देना छोड़ दिया।

इतना सरल जीवन में ऊंचाइयां पाने के बाद किसी को भी लग सकता था कि चलो भई अब शरीर काम नहीं करता, ईश्वर के शरण में चले जायें, छोड़ दो सब। जो होगा, होगा।

इन्होंने हार नहीं मानी, उनकी आखिरी किताब मृत्यु के चार दिन पहले ही पूर्ण की। चार दिन के बाद उनका स्वर्गवास हुआ। आखिरी किताब का भी धारा देखिए चिंतन की यानी पहली thesis जिसने उनको दुनिया में recognise करवाया वो शुरू होती है- 'इंडियन-एंशियंट कॉमर्स', उनकी एक किताब है - "बुद्ध और कार्लमार्क्स।"

अब देखिए उस समय हवा कार्लमार्क्स की चल रही थी। समाजवादी चिंतन एवं भारत में भी करीब-करीब उसकी हवा चलती थी। उस समय ये महापुरूष भगवान बुद्ध के चिंतन को मूल आधार बना करके और 'बुद्ध एंड कार्लमार्क्स' नहीं लिखा है। 'बुद्ध और कार्लमार्क्स' लिखा है और उनका ये आग्रह रहा है कि सर्वसमावेशी, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय।

अगर आर्थिक चिंतन का विचार करना है तो वो भारत की मूल मिट्टी से जुड़ता है। जिसमें बुद्ध भी एक बहुत बड़ी प्रमुख धारा रह करके ये जो बाबासाहेब अंबेडकर का योगदान था। और इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसी महामूल्य चीजें कोई भी राष्ट्र अपने, अपने पुरखों से, अपने इतिहास से हमेशा रस-कस पाता है तभी जा करके पल्लवित होता है। हमें इतिहास को भुला देने का प्रयास और हमारे महापुरूषों को भुला देने का प्रयास हमें कभी ताकत नहीं देता है।

बाबासाहेब अम्बेडकर का भारत के मूल जीवन के साथ नाते की जो मैं चर्चा कर रहा था। आखिर के दिनों में शारीरिक स्थिति बहुत खराब थी यानी एक प्रकार से बीमारियों का घर बन गया था उनका शरीर और बचपन में, जवानी में जब शरीर को मजबूत बनाने की अवस्था होती है तब उनको अवसर नहीं था क्योंकि उतना पेटभर खाना भी कहां मौजूद था और जब जीवन में कुछ संभावनाएं बनीं तो खुद को उन्होंने समाज और देश के लिए खपा दिया। और जो काम लेते थे वो पागलपन से करते थे यानी एक तरह से पूरी तरह डूब जाते थे और इसलिए एक स्थिति आ गई शरीर ने साथ देना छोड़ दिया।

बाबासाहेब अम्बेडकर वो मनीषी थे, वो ताकत थे जिन्होंने आज हमें इतना बड़ा सामाजिक दृष्टिकोण दिया, आर्थिक दृष्टिकोण दिया, वैधानिक दृष्टिकोण दिया, और एक प्रकार से समाज और राष्ट्र संचालन की जो मूलभूत विधाएं है उन मूलभूत विधाओं के फाउंडेशन में उन्होंने अपनी ताकत जोड़ दी थी।

आज ऐसे महापुरूष को उनके पुण्य स्मरण करने का अवसर मिला है और यह गर्व की बात है कि भारत सरकार आज ये coin और मैं जानता हूं, शायद, शायद भारत सरकार का ये पहला coin ऐसा होगा कि जिसको standing ovation मिला होगा।

Coin तो बहुत निकले होंगे और समाज का हर दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित जिसके पास सवा सौ रुपए की ताकत नहीं होगी खुद के जेब में उनके लिए ये पुण्य प्रसार मणि बन जाएगा आप देख लेना। ऐसा इसका रूप बन जाएगा और इसलिए यह अर्पित करते हुए एक दायित्व निभाने का संतोष हो रहा है।

आने वाली पीढ़ियों को दिशा देने के लिए यह सारी चीजें काम आयें यही एक शुभ आशीष है। मैं फिर एक बार Finance Minister को अभिनंदन देता हूं कि समय के साथ सारी चीजें हो रही है। इसके लिए मैं Finance Ministry को हृदय से बहुत-बहुत अभिनंदन देता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद!

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए नई पहल

विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण के सृजन के लिए सुगम्य भारत अभियान की शुरूआत, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नेशनल फैलोशिप और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर अधिसूचित, खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियों, विकलांग व्यक्तियों, निस्सहाय व्यक्तियों और सफाई कर्मचारियों आदि के कल्याण के लिए अनेक पहलों की शुरूआत की है। इन पहलों में लक्षित समूहों को वित्तीय सहायता, भिखारियों का पुनर्वास और परिणामजन्य कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। वर्ष के दौरान शुरू किए गए कुछ कार्यक्रमों में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं-

सुगम्य भारत अभियान

- सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच अर्जित करना तथा तीन मुख्य बातों-माहौल तैयार करना, सार्वजनिक परिवहन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उदार और अवरोध मुक्त माहौल का सृजन करना है।
- यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया है।
- इससे शुरुआत में 75 चुनिंदा शहरों में लागू किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य उपलब्ध सरकारी भवनों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक दस्तावेजों और वेबसाइटों के अनुपात में बढ़ोतरी करना है।

विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव

- पहली बार मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की भागीदारी में विकलांग व्यक्तियों की भावनाओं को मान्यता देते हुए फिल्मोत्सव का आयोजन किया।
- यह फिल्मोत्सव 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित किया गया।
- इसमें ऐसा सिनेमा दिखाया जाएगा जो विकलांगों के लिए हमारे दुनिया के द्वार खोले और सिनेमा भी दिखाया जाएगा जो विकलांग व्यक्तियों द्वारा तैयार किया गया है।
- इससे विकलांग व्यक्तियों के सामने रोजाना आने वाली दिक्कतों को सामने लाने में मदद मिलेगी और सरकार और पूरी दुनिया में अनेक संगठन इन मुद्दों को दूर करने, हर संभव सहायता उपलब्ध कराकर विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों को पूरी क्षमता हासिल कराने में, उनकी जरूरतों के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा समुदाय को उनके लिए अधिक समावेशी बनाने में समर्थ होंगे।
- ऐसी दुनिया में जहां विकलांग व्यक्तियों को हाशिए पर धकेल दिया जाता हो यह आयोजन उनके कार्यों और अभिव्यक्ति पर प्रकाश डालेगा जो और उनका कौशल, विचारों की सच्चाई उनके जीवन का विशिष्ट परिप्रेक्ष्य चुनौतियां और अभिलाषाएं प्रशंसा की हकदार हैं।

उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गये कदम

- अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए 22 दिसम्बर, 2014 को 200 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी निधि स्थापित की गई। यह योजना भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड द्वारा लागू की जायेगी। यह निधि सेबी के साथ पंजीकृत है।
- युवा अनुसूचित जाति उद्यमियों के लिए 200 करोड़ रुपये की ऋण संवर्धन गारंटी योजना को

शुरू किया गया। यह योजना युवा उद्यमों के साथ अनुसूचित जाति के उद्यमों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी।

मंत्रालय द्वारा डॉ. अम्बेडकर के विचारों को प्रतिपादित करने के लिए उठाये गये कदम

- सामाजिक न्याय को समर्पित डॉ. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की आधारशिला 20 अप्रैल, 2015 को रखीं गई। इस केन्द्र के निर्माण पर 195 करोड़ रुपये की अनुमानित धनराशि का खर्च आयेगा।
- 26 अलीपुर रोड़, नई दिल्ली, डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपये की होगी। डॉ. अम्बेडकर के लेखों और भाषणों का ब्रेल संस्करण भी जारी किया जाएगा।

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आदि के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम:

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम ने वर्ष 2014-15 के दौरान 13,258 प्रशिक्षुओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम ने 2014-15 के दौरान 8750 प्रशिक्षुओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम द्वारा महिलाओं को आत्मरक्षा कौशल के साथ वाणिज्यिक मोटर ड्राइविंग की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम ने वर्ष 2014-15 के दौरान 13,510 प्रशिक्षुओं को कौशल विकास प्रशिक्षण कौशल प्रदान किया।
- विकलांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है, जिसमें 2022 तक 25 लाख विकलांग व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाएगा।

मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई छात्रवृत्ति योजनाएं

- ओबीसी के लिए नेशनल फैलोशिप का शुभारंभ किया जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए डॉ अम्बेडकर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ।

अन्य पहलें

- गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्द्ध खानाबदोश जनजाति समुदाय जो एससी/एसटी/ओबीसी समुदायों में शामिल नहीं हैं, की राज्यवार सूची तैयार करने तथा इन समुदायों के लिए कल्याणकारी उपायों का आंकलन करने के लिए राष्ट्रीय गैर अधिसूचित और अर्द्ध खानाबदोश जनजाति आयोग (एनसीडीएनटी) का गठन किया गया है।
- विकलांगों के अनुकूल राष्ट्रीय न्यास की नई वेबसाईट http://thenationaltrust.gov.in/content/ का शुभारंभ किया किया गया है वेबसाईट के माध्यम से गैर सरकारी संगठन का पंजीकरण और भुगतान किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय न्यास द्वारा स्वलीनता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता के कल्याण के लिए 10 नई/संशोधित योजनाओं की शुरूआत की गयी है।
- नई सक्रिय वेबसाईट http://nbcfdc.gov.in/ और ई-टिकटिंग प्रणाली को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम द्वारा शुरू किया गया।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लक्षित समूह के लिए ई-विपणन मंच की शुरूआत की गयी है।
- नशीली दवाओं के पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद के लिए एक ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाईन नंबर की शुरूआत की गयी है।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम ने सक्षम समुदाय शौचालय परियोजनाओं और कचरा संग्रहण वाहनों के वित्तपोषण के लिए स्वच्छता उद्यमी योजना की शुरूआत की है।
- बधिरों के लिए देश के प्रत्येक पांच क्षेत्रों में कॉलेज की स्थापना योजना को जनवरी, 2015 में शुरू किया गया है। योजना का उद्देश्य श्रव्य वाधित छात्रों को उच्च शिक्षा में शिक्षा के समान अवसर प्राप्त कराना है और उच्च शिक्षा के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। ■

महान् अर्थशास्त्री – डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

■ **कन्हैयालाल चंचरीक**

एलफिंस्टन कॉलेज मुम्बई से ग्रेजुएशन करने के पश्चात् युवा स्नातक अम्बेडकर ने बड़ौदा इस्टेट में नौकरी पा ली थी।

अमेरिका में अर्थशास्त्र के शोध अध्ययन हेतु गायकवाड़ फैलोशिप

महाराजा गायकवाड़ ने उन्हें आगे आर्थिक विषयों का अध्ययन करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयार्क में प्रवेश की व्यवस्था करा दी और फलत: उन्हें गायकवाड़ फैलोशिप प्रदान कर दी।

यह युवा अम्बेडकर के जीवन में एक स्वर्णिम अवसर था। यह इतिहास का वह संक्रांतिकाल था जब प्रथम विश्व युद्ध (1914-1919) के बादल मंडरा रहे थे। न्यूयार्क के कोलम्बिया विश्वविद्यालय में उन्होंने बड़े मनोयोग से अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान, राजनीति और राजनीतिक दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया।

सन् 1915 में उन्होंने एम.ए. अर्थशास्त्र की उपाधि हेतु 'एन्शियंट इंडियन कामर्स' विषय पर शोध प्रबंध लिखा।

सर्वविदित है कि प्राचीन काल में भारत कृषि और कला कौशल में उन्नति के शिखर पर था। आर्थिक दृष्टि से भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। 1916 में अगले वर्ष कोलम्बिया विश्वविद्यालय में उन्होंने पीएच.डी. की उपाधि हेतु 'नेशनल डिविडेंड इन इंडिया : ए हिस्टॉरीकल एंड एनलेटीकल स्टडी नामक शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, जिस पर उन्हें डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। बाद में यह शोध प्रबंध 'ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त व्यवस्था का विकास', शीर्षक से प्रकाशित हुआ।

इस प्रबंध के अंत में उन्होंने ब्रिटिश भारत के आर्थिक शोषण, सामाजिक उत्पीड़न और सामाजिक अन्याय पर जोर दिया था। यह भी निष्कर्ष निकाला कि राजनीतिक ताकत के बिना कोई देश कैसे तरक्की कर सकता है। उन्होंने कोलम्बिया विश्वविद्यालय पुस्तकालय में उपलब्ध समस्त आर्थिक विषयों के ग्रंथों, रपटों, शोध प्रबंधों के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन की आर्थिक नीति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया था। उनके शोध प्रबंध की अमेरिकन अर्थशास्त्रियों ने प्रशंसा की थी और उन्हें भारत के एक उभरते अर्थशास्त्री, सामाजिक सरोकारों से पूर्ण परिचय रखने वाले समाज विज्ञानी के रूप में परख लिया था।

यही नहीं उन्होंने सन् 1916 में ही कोलंबिया विश्वविद्यालय के युवा, गंभीर, शोध अध्येता और समाज विज्ञानी के रूप में ख्याति अर्जित भी कर ली थी। जब उन्होंने 9 मई 1916 को डॉ. गोल्डेन वाइजर द्वारा आयोजित नृविज्ञान विचार गोष्ठी में ''भारत में जाति प्रथा : संरचना, उत्पत्ति और विकास'' पर शोधपत्र वाचन किया था। उनके इस शोध पत्र की अमेरिका में चर्चा हुई, जो जाति प्रथा के आधार पर, जाति तंत्र की प्रकृति पर वैज्ञानिक दृष्टि से लिखा गया था। इसमें उन्होंने नृतत्त्व विज्ञान के विद्वानों के उदाहरण भी दिए और जाति विभाजन को आर्थिक शोषण का आधार भी बताया था। वर्षों में परिवर्तनशीलता के मार्ग अवरुद्ध हो गए थे और असंगत शब्द समाज सत्ताधारी बन बैठा था। यह शोध लेखन आज जातितंत्र के अध्येताओं का मार्ग दर्शन करता है।

उन्हीं दिनों अमेरिकन प्रोफेसर सेलिश मैन ने लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर केनन एवं सिडनी वैब के नाम परिचयात्मक पत्र दिया था ताकि लंदन प्रवेश में उन्हें कोई कठिनाई न हो। फलत: अमेरिका में शोध अध्ययन समाप्त कर वे इंग्लैण्ड आ गए और 'लंदन स्कूल ऑफ इकनामिक्स' में अर्थशास्त्र तथा

'ग्रेज इन' में बैरिस्टरी की पढ़ाई हेतु प्रवेश ले लिया। लेकिन महाराजा बड़ौदा ने उन्हें आगे शोधवृत्ति प्रदान नहीं की, इसलिए अर्थाभाव के कारण वे बीच में ही अध्ययन समाप्त कर भारत लौट आए, क्योंकि लंदन में रुकना उनकी हैसियत के बाहर था। जुलाई 1917 में वे महाराजा के सैनिक सचिव बने ताकि भविष्य में वित्त मंत्री का पदभार संभाल सकें।

यह दुखद घटना मानी जाती है कि अस्पृश्य जाति का होने के कारण इस युवा अर्थशास्त्री और समाज विज्ञानी को बड़ौदा में रहने की कोई जगह नहीं मिली। होटल वाले जाति पूछते थे और मना कर देते थे। जाति छिपाकर उन्होंने एक पारसी होटल में कमरा लिया, वहां से भी उन्हें निकलना पड़ा। उन्हें अमेरिका और लंदन से लौटने पर कोई न लेने आया, न मिलने का साहस कर पाया था। आफिस में चपरासी दूर से फाइल फेंकता था। उन्हें कोई पानी के लिए भी नहीं पूछता था। बड़ौदा में अस्पृश्यता का जोर घृणित रूप में था। व्यथित डॉ. अम्बेडकर ने महाराजा को एक नोट भी भेजा। यहां तक कि राज्य के दीवान ने, जो राज्य के प्रधानमंत्री स्तर का उच्च अधिकारी था, किसी भी प्रकार की सहायता से मना कर दिया। डॉ. अम्बेडकर तिरस्कार, अपमान और उपेक्षा का विषपान कर गए, लेकिन अपने इरादों में हिमालयी उच्चता बरकरार रखी। फिर भी मन में अत्यंत निराश व्यथित होते हुए वे मुम्बई लौट आए जहां वे पले, बड़े हुए थे। यहां अपने लोग थे।

इसी बीच उनका शोध प्रबंध ''भारत में छोटी जोत और उनका हल'' (स्माल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देअर रेमेडीज) प्रकाशित हुआ। यह एक तुलनात्मक गहन शोध अध्ययन का परिणाम था। इससे उन्हें खुशी हुई। मई 1917 में शोध पत्रिका ''इंडियन एंटीक्वैरी'' में उनका वह शोधपत्र भी प्रकाशित हुआ जिसे 'नृतत्त्व विज्ञान की गोष्ठी' न्यूयार्क में पढ़ा था। यह पत्रिका रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, मुम्बई द्वारा त्रैमासिक रूप में प्रकाशित होती थी जिसमें ब्रिटिश एम्पायर के शोधकर्मी और भारत विद् अपनी भारत विषयक शोध रचनाएं प्रकाशनार्थ देते थे। यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की पत्रिका थी। भारत में जब तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद रहा, यह पत्रिका प्रकाशित होती रही। इसमें अधिकतर भारत की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विरासत पर लेख होते थे।

मुम्बई अब उनका निवास स्थान था। परिचित लोग थे। यह सब होते हुए भी उन्होंने जीवन रक्षा के लिए दो पारसी विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाया। स्टॉक एवं शेयर के क्षेत्र में उद्यमियों और व्यापारियों को सलाह देने के लिए कन्सलटेंसी फर्म भी खोली। लेकिन एक अस्पृश्य अर्थशास्त्री के पास कोई भी जानते हुए परामर्श लेने नहीं आता था। अस्पृश्यता की मार मुम्बई में भी कम नहीं थी।

अस्पृश्यता विरोधी अभियान एक मृग मरीचिका

यह विरोधाभास से परिपूर्ण तथ्य है कि जब 23-24 मार्च 1918 को मुम्बई में महाराजा बड़ौदा सयाजीराव गायकवाड़ ने अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन बुलाया और सिर्फ ऊंची जातियों के नेता भाषण देने बुलाए गए, जिनमें तिलक भी शामिल थे। उच्च जाति के हिन्दुओं का अस्पृश्यता विरोधी यह अभियान डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि में एक बड़ा ढोंग-ढकोसला और मृग मरीचिका था। उन्हें महाराजा पर दया आई जैसे कि बुद्ध अज्ञानियों, पथभ्रष्टों को क्षमा कर देते थे। अस्पृश्यता का जो दंश डॉ. अम्बेडकर ने बड़ौदा में झेला था वह गहरा था।

अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने

जीवन यापन हेतु नवम्बर 1918 में डॉ. अम्बेडकर को सिडेनहम कॉलेज, मुम्बई में राजनीतिक अर्थतंत्र (पालिटिकल इकॉनॉमी) के प्रोफेसर की योग्यता के आधार पर नौकरी मिल गई। उनकी तब युवा विद्यार्थियों में इतनी ख्याति थी कि दूसरे विद्यालयों के अर्थशास्त्र विषय के छात्र उनका लैक्चर सुनने आते थे।

धनंजय कीर के अनुसार कुछ रूढ़िवादियों के मन में अब भी दुर्भावना थी। डॉ. अम्बेडकर सवर्ण जाति के प्रोफेसरों के पीने का पानी छू भी नहीं सकते थे।

डॉ. अम्बेडकर नवम्बर 1918 से मार्च 1920 तक इस कालेज में पढ़ाते रहे जो मुम्बई विश्वविद्यालय का सर्वाधिक प्रसिद्ध कालेज था। उनके मन में पुनः लंदन जाकर अर्थशास्त्र का उच्च शोध अध्ययन करने की लालसा जोर मार रही थी।

छत्रपति शाहू महाराज ने डॉ. अम्बेडकर को मसीहा बताया

1918-19 में शाहू महाराज के संपर्क में आ गए थे। 1920 में महाराष्ट्र में दलित अस्पृश्यों में चेतना जगाने के लिए सम्मेलनों का दौर चल पड़ा था। कोल्हापुर के शाहू महाराज भी उत्साहपूर्वक दलित सम्मेलनों में भाग लेते थे और अध्यक्षता करते थे। छत्रपति शाहू महाराज शिवाजी के वंशज थे और दलितों के प्रति सच्चे हृदय से सहानुभूति रखते थे और अपने कोल्हापुर राज्य में दलितों को उन्होंने ऊंचे पदों पर बिठाया था, स्कूल खोले थे। छात्रवृत्तियां देते थे। वे महाराजा बड़ौदा से बिल्कुल भिन्न प्रकृति के थे। सत्रहवीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और मावला कोलियों, रामोशियों, भीलों, महारों को अपनी सेना में लेकर युद्ध विजय किए थे।

1920-21 में शाहू महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा था ''युवा डॉ. भीमराव अम्बेडकर दलितों का मसीहा बनेगा, दलित भाग्यशाली हैं जो उन्हें एक मार्गदृष्टा मिल गया है।

शाहू महाराज की भविष्यवाणी सन् 1930 में ही सच हो गई जब डॉ. अम्बेडकर ने 1930-32 में गोलमेज परिषद की बैठकों में विश्व में साम्राज्यवाद के अग्रणी पुरोधाओं और भारत के सर्वदलीय नेताओं और सत्ता से जुड़े विशिष्ट लोगों

को चकित कर दिया था जब उनकी आर्थिक विषयों की गहन जानकारी, राजनीतिक-सामाजिक मामलों में दूरदर्शिता और पांच हजार साल से पशुवत् जीवन जीते दलित-शूद्र- शोषितों-अस्पृश्यों के अधिकारों की संघर्ष यात्रा का पता चला। पूरे गोलमेज परिषद् के अधिवेशनों में डॉ. अम्बेडकर का व्यक्तित्व छा गया और गांधी जी जैसे नेता बौने साबित हुए। ब्रिटिश भारत के राजे-रजवाड़ों के प्रमुख प्रतिनिधि, सभी राजनीतिक दलों, विचारधाराओं के प्रतिनिधि गोलमेज परिषद की बैठकों में भाग लेने गए पर गहन विचार विमर्श में, चाहे वे राजनीतिक विषयक हों, आर्थिक हों, सामाजिक हों, क्रमिक सत्ता हस्तांतरण से संबंध रखने वाले हों, डॉ. अम्बेडकर से प्रभावित हुए। निष्कर्षत: सन् 1935 का भारत अधिनियम बना और स्थानीय स्वशासन और दलितों की राजनीतिक भागीदारी का पथ प्रशस्त हुआ।

पुन: उच्च शोध अध्ययन हेतु लंदन पहुंचे

अब हम अपने लेख के मूल विषय महान अर्थशास्त्री-डॉ. अम्बेडकर पर लौटते हैं।

कॉलेज में प्रोफेसरी करते हुए अपनी थोड़ी सी निजी बचत और शाहू महाराज की उदारतापूर्ण आर्थिक मदद के बल पर डॉ. अम्बेडकर सन् 1920 में पुन: विश्व के शीर्ष विद्या केन्द्र 'लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स' में अर्थशास्त्र का ऐतिहासिक वैज्ञानिक अध्ययन करने, साथ ही 'ग्रेज इन से बैरिस्टरी' परीक्षा पास करने के लिए इंग्लैण्ड आ गए।

क्योंकि वे कोलम्बिया विश्वविद्यालय से पहले ही डाक्टरेट उपाधि ग्रहण कर चुके थे, इसलिए प्रवेश मिलने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। उल्टे इस युवा शोधार्थी का सब जगह स्वागत ही हुआ।

डॉ. अम्बेडकर घंटों तक लंदन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पढ़ते रहते थे, शोध संदर्भ इकट्ठा करते थे, प्रोफेसरों से मार्ग दर्शन प्राप्त करते थे। कभी-कभी अध्ययनरत रहते हुए वे दोपहर का भोजन, सायंकाल की चाय पीना भी भूल जाते थे।

सन् 1921 में उन्होंने 'प्रोविन्शियल डिसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फायनेंस इन ब्रिटिश इंडिया' शीर्षक से शोध प्रबंध लिखा जिसे उन्होंने एम.एस.सी. (अर्थशास्त्र) की उपाधि हेतु विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया। उन दिनों ब्रिटिश भारत में इंपीरियल वित्त के विकेन्द्रीकरण विषय पर बहुत कम शोध अध्ययन हुए थे।

डॉ. अम्बेडकर गोल्डस्मिथ लायब्रेरी, ब्रिटिश म्युजियम लाइब्रेरी तथा इंडिया आफिस लाइब्रेरी में पूरे दिन बारी-बारी से संदर्भ अध्ययन किया करते थे। यूरोपियन आर्थिक प्रवृत्तियों और समकालीन आर्थिक चिंतन के विषय में तुलनात्मक अध्ययन हेतु 1922 में ही वे कुछ माह जर्मनी के बोन विश्वविद्यालय के शोध पुस्तकालयों में अध्ययनरत रहे। विशिष्ट अर्थवेत्ताओं से वार्तालाप किया तथा विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया।

डॉ. अम्बेडकर गोल्डस्मिथ लायब्रेरी, ब्रिटिश म्युजियम लाइब्रेरी तथा इंडिया आफिस लायब्रेरी में पूरे दिन बारी-बारी से संदर्भ अध्ययन किया करते थे। यूरोपियन आर्थिक प्रवृत्तियों और समकालीन आर्थिक चिंतन के विषय में तुलनात्मक अध्ययन हेतु 1922 में ही वे कुछ माह जर्मनी के बोन विश्वविद्यालय के शोध पुस्तकालयों में अध्ययनरत रहे। विशिष्ट अर्थवेत्ताओं से वार्तालाप किया। तथा विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया।

1923 में उन्होंने शोध अध्ययन जारी रखा। तभी उन्होंने बड़ी मेहनत से **'रुपये की समस्या, उसका उद्‌गम और समाधान'** विषय पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डी.एस.सी. उपाधि के लिए शोध प्रबंध प्रस्तुत किया।

अर्थशास्त्र के विषय में यह शोध विषय बिल्कुल ही नया था। यह भारत की मुद्रा और बैंकिंग की स्थिति का मार्गदर्शन करने वाला अध्ययन था। 1923 में डॉ. अम्बेडकर भारत लौट आए। कुछ समय बाद जब लंदन विश्वविद्यालय ने इसे मामूली संशोधन के पश्चात् स्वीकृत कर लिया तो लंदन के प्रकाशक पी.एस. किंग एंड सन्स ने इसे प्रकाशित कर दिया। लंदन प्रवास में वे भारत के विद्यार्थियों, देशभक्तों, क्रांतिकारियों तथा विट्ठलभाई पटेल के संपर्क में भी आए। उन्हें भारत के शोषित वंचितों से हमदर्दी रखने वाले ब्रिटिश समाजवादी नेताओं से भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। लंदन में उन्होंने भारत सचिव ई.एस. मान्टेग्यू से भी भेंट की।

इस बीच उन्होंने 'ग्रेज इन' से बैरिस्टरी पास कर ली। अपने शोध प्रबंधों में डॉ. अम्बेडकर ने निर्भीकतापूर्वक भारत की दुर्दशा, आर्थिक विपन्नता, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतर्गत देशी पारंपरिक कला कौशलों के क्रमिक ह्रास पर ऐतिहासिक विश्लेषण किया। छोटी जोत हों या प्राचीन भारत में वाणिज्य व्यापार की स्थिति, ब्रिटिश साम्राज्यवादी वित्त व्यवस्था हो या मुद्रा चलन सभी के मूल में शोषण की प्रवृत्ति निहित होती थी और जातिगत श्रेणी विभाजन आर्थिक दासता का अपरिवर्तनीय कुचक्र था, जिस पर

अस्पृश्यता का लेपन मढ़ दिया गया था। अस्पृश्यता जनित आर्थिक विपन्नता के विरुद्ध डॉ. अम्बेडकर को छोड़कर शायद ही किसी ने इससे पहले सशक्त आवाज उठाई हो।

लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर केनन ने, जो स्वयं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, रुपये की समस्या शोध प्रबंध की भूमिका लिखी थी। डॉ. अम्बेडकर का विचार था चांदी का सिक्का पिघला देना चाहिए और कागज की मुद्रा चला देनी चाहिए। इससे जो लाभ प्राप्त हो उसे भारत के विकास में लगा देना चाहिए।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे.एम. कीन्स ने अम्बेडकर की धारणा को ठीक नहीं बताया, जिसे अम्बेडकर ने अस्वीकृत किया।

डॉ. केनन ने लिखा था कि वे कई बिन्दुओं पर अम्बेडकर के निष्कर्षों से सहमत नहीं। फिर भी उनका शोध पठनीय है, महत्त्वपूर्ण है।

विश्वव्यापी युद्ध जनित कीमत वृद्धि के विषय में भी डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि इससे विकसित देशों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

1917 में रूस में सर्वहारा की क्रांति हुई। तब अम्बेडकर अमेरिका से इंग्लैण्ड होते हुए स्वदेश वापस आ गए थे। डॉ. अम्बेडकर मार्क्स की वर्ग संघर्ष की अवधारणाओं से बिलकुल सहमत नहीं थे। मार्क्स प्रोलेटेरियत की सत्ता के लिए वर्ग संघर्ष और खून-खराबे को अनिवार्य बताते हैं। डॉ. अम्बेडकर इस अवधारणा के अंत तक विरोधी थे।

भारत के पांच हजार साल से दासता झेलते करोड़ों दलित-अस्पृश्य जातियों, उपजातियों, शाखाओं में बंटे हैं, आर्थिक दृष्टि से तंग हैं, फटे हाल हैं, पर उनमें क्रांति की लहर नहीं आई है। इतिहास में आदिम जातियों के संघर्ष तो मिलते हैं, पर दलित क्रांति की छुटपुट घटनाओं के अलावा ठोस उदाहरण नहीं मिलते। कोली-बुनकरों पर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार ने अमानुषिक अत्याचार किए। वे कभी भी क्रांति के लिए एकजुट नहीं हुए। मार्क्स ने उन पर लिखा है। डॉ. अम्बेडकर ने अपने अर्थशास्त्र और समाज विज्ञान के अध्ययन, ज्ञान और संचित अनुभव के आधार पर शोषित-वंचितों की समस्याओं पर प्रकाश ही नहीं डाला वरन् समाधान भी प्रस्तुत किए जो शोध प्रबंधों के पृष्ठों में निहित है।

लंदन जाने से पूर्व वे दलित महारों के कई सम्मेलनों में अपनी आवाज उठा चुके थे। उनकी सदियों की गरीबी, दासता को उन्होंने वाणी दी थी।

बौद्धिक जगत को यह भी दिखाना था कि वे बुद्धि बल में किसी से कम नहीं हैं। उनकी आर्थिक विषयों की रुचि इतनी गहन गंभीर थी कि अकादमिक जगत में उन्हें विश्व के विशिष्ट लोगों में गिना जाने लगा था। आगे चल कर यह जन्मजात विद्रोही दलित क्रांति का मसीहा भी बना जिसके मूल में आर्थिक सामाजिक उत्कर्ष तथा राजनीतिक अधिकारों की गारंटी पाना विशेष स्थान रखता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडानल्ड अवार्ड (1932) के परिप्रेक्ष्य में गांधी और उच्च जातियों के साथ हुआ पूना पैक्ट एक ऐतिहासिक उदाहरण है।

साउथ बरो समिति में प्रस्तुत साक्ष्य

साउथ बरो समिति के समक्ष 1919 में साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने ब्रिटिश सत्ताधारियों को बता दिया था कि अस्पृश्यता के रहते दलितों का भौतिक एवं नैतिक उत्थान नहीं हो सकता। धन संपदा प्राप्ति के मुख्य स्रोत व्यापार, उद्योग, राजकीय अथवा अन्य क्षेत्रों में नौकरी होते हैं। अछूत अपनी सामाजिक निर्योग्यताओं के चलते आर्थिक संपन्नता प्राप्त नहीं कर सकते।

डॉ. अम्बेडकर ऐसे चिंतक थे जिन्होंने आर्थिक गरीबी, सामाजिक जातीय उपेक्षा और राजनीतिक अधिकार वंचन की जड़ में अस्पृश्यता के विभेदन को जिम्मेदार ठहराया।

साउथ बरो समिति में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और श्रीनिवास शास्त्री जैसे ख्यातिनाम भारतीय भी सदस्य थे। डॉ. अम्बेडकर के साक्ष्य से वे प्रभावित हुए।

मोतीलाल नेहरू सर्वदलीय समिति रिपोर्ट

सन् 1928 में मोतीलाल नेहरू सर्वदलीय कमेटी ने दलित विरोधी सिफारिशें की थीं, जिनका डॉ. अम्बेडकर ने घोर विरोध किया। मोतीलाल नेहरू के दलित विरोधी रवैये से सुभाषचंद्र बोस और जवाहरलाल भी क्षुब्ध थे। यह रपट उच्च जाति की सामंती मानसिकता दर्शाती है। डॉ. अम्बेडकर समेत कई लोगों ने इसे खारिज कर दिया।

सायमन आयोग

1928 में जॉन सायमन की अध्यक्षता में इंग्लैण्ड से एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग भारत आया। कांग्रेस ने इस आयोग की आलोचना की, जगह-जगह देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किए। लेकिन डॉ. अम्बेडकर और उनके समर्थकों ने सायमन कमीशन की तारीफ की। उसके साथ सहयोग किया। दलितों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के विषय में सही-सही जानकारी दी कि ब्रिटिश भारत में वे शोषण, बहिष्कार और आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। सामंत-जमींदार, उच्च जातियां उनका शोषण कर रही है।

डॉ. अम्बेडकर ने अपनी भेंट वार्त्ता में सायमन आयोग को बताया कि ब्रिटिश सरकार से अस्पृश्य दलित खुश नहीं हैं। वे आर्थिक दासता झेल रहे हैं। वे गुलाम देश के गुलामों के भी गुलाम हैं। अंग्रेज और देशी नौकरशाह, सामंत-जमींदार, उच्च जातियां उन्हें दबाती हैं। ब्रिटिश सरकार अपनी आंखें बंद करके क्यों उदासीन बनी हुई हैं। दलित-अस्पृश्य मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते, कुओं से पानी नहीं ले सकते, शिक्षा प्राप्त करने, सरकारी रोजगार पाने से वे वंचित हैं, गांव में उनके खेत, घर उजाड़े जाते हैं। वे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। उनके निवास, उनके काम दुर्गंध भरे हैं, अंग्रेजों ने उल्टे जमींदारों-पूंजीपतियों उच्च

जातियों का साथ दिया। दलित पशुवत जीवन जीते हैं। उन्हें मानवीय अधिकार प्राप्त नहीं।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा ब्रिटिश सरकार दलितों, अछूतों और गरीबों को हजारों मील दूर बंधक बनाकर अफ्रीकी देशों गुयाना, मारीशस, फीजी, सूरीनाम ले गई। वहां उनकी हालत खराब है। भारत में वे बंधुआ मजदूर हैं। गुलामों से भी गए गुजरे। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार कुछ करे या यहां से चली जाए। हमें मुक्ति चाहिए।

सायमन कमीशन के समक्ष डॉ. अम्बेडकर के साक्ष्य ने ब्रिटिश सरकार की आंखें खोल दी।

अर्थवेत्ता डॉ. अम्बेडकर भारत के दलित नेताओं की पहली पंक्ति में आ गए। सम्राट को भेजे गए गोपनीय डिस्पेचों में उनकी चर्चा होती थी।

बंबई विधान सभा में अर्थशास्त्री अम्बेडकर

बंबई विधानसभा में सदस्य रहते हुए डॉ. अम्बेडकर महार वेतन और दलितों के अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ चुके थे।

1928 में ही डॉ. अम्बेडकर ने वंशानुगत क्षुद्र कर्म करने वाले दक्खन के महार, गुजरात के बेठिया, रामोशी, कर्नाटक के होलिया, राजस्थान के बलाई आदि के उन्नयन के लिए सरकार को सुझाव दिए। उन दिनों महाराष्ट्र में महारों की दयनीय हालत थी। किसानों से बलूता मिलने में कठिनाई थी। मराठे और उच्च जाति के लोग फौज में भरती होने लगे थे और महार सैन्य सेवा से वंचित रह जाते थे। अम्बेडकर ने उनकी आवाज उठाई ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। वे जानते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की पैदल सेना में महार सैनिकों ने भरती होकर विजय दिलाई थीं।

गांवों से फालतू कृषि श्रम का पलायन

अमेरिका में अध्ययन के दौरान ही अम्बेडकर ने आज से एक शताब्दी पूर्व भारत के फालतू कृषि श्रम (सरप्लस एग्रीकल्चरल लेबर) की समस्या का स्थायी हल ढूंढ़ लिया था। फ्रांस की राज्य क्रांति और इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति के पश्चात् यूरोपीय देशों में कृषि के स्थान पर औद्योगिक गतिविधियों की बड़े पैमाने पर शुरुआत हो चुकी थी। मशीनी युग ने दस्तक दे दी थी। इसका असर ब्रिटिश साम्राज्यवादी देशों पर पड़ा। भारत अपनी परंपरागत दस्तकारियों की जगह औद्योगिक संस्थानों, मिलों, कारखानों की ओर उन्मुख हुआ।

अमेरिका में अध्ययन के दौरान ही अम्बेडकर ने आज से एक शताब्दी पूर्व भारत के फालतू कृषि श्रम (सरप्लस एग्रीकल्चरल लेबर) की समस्या का स्थायी हल ढूंढ़ लिया था। फ्रांस की राज्य क्रांति और इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति के पश्चात् यूरोपीय देशों में कृषि के स्थान पर औद्योगिक गतिविधियों की बड़े पैमाने पर शुरुआत हो चुकी थी। मशीनी युग ने दस्तक दे दी थी। इसका असर ब्रिटिश साम्राज्यवादी देशों में पड़ा। भारत अपनी परंपरागत दस्तकारियों की जगह औद्योगिक संस्थानों, मिलों, कारखानों की ओर उन्मुख हुआ।

दिसंबर 1915 में बंबई में आयोजित भारतीय औद्योगिक कॉन्फ्रेंस में प्रो. जेवोन्स ने जो अपने जमाने के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे **'कृषि के पूंजीवादी विकास'** पर शोध प्रबंध पढ़ा। उनकी धारणा थी कि गांव में जो फालतू श्रम (सरप्लस लेबर) है, वह शहरी उद्योगों में जगह पा सकेगा या उसे खपाया जा सकेगा। डॉ. अम्बेडकर ने **'छोटी जोत और उसका हल'** शोध में इसकी चर्चा की, जेवोन्स का शोध प्राप्त किया और सहमति जताई। यह फालतू श्रम शत-प्रतिशत दलित जातियों के लोग थे।

इस प्रकार एक शताब्दी पूर्व ही डॉ. अम्बेडकर भारत के फालतू श्रम की समस्या से परिचित हो गए थे। अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने खादी-हाथ-करघा उद्योग तथा अन्य घरेलू दस्तकारियों की कमर तोड़ दी थी। इन उद्योगों से जुड़े लोगों ने आत्म हत्याएं कर ली थीं। अंग्रेजों ने बुनकरों के अंगूठे काट दिए। मौतों से गांवों के कुएं पट गए थे। इस विषय में कार्ल मार्क्स के लेख दिल दहलाने वाले हैं। तब राष्ट्रीयता का, देशभक्ति के गीत गाने वालों का अता-पता भी नहीं था।

बीसवीं शताब्दी के अर्धांश में बंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, कानपुर, हाथरस तथा पंजाब के कई शहर औद्योगिक कारखानों के भारी केन्द्र बन गए थे। जिनमें सूती मिलों, कपास ओटने की मिलें, चमड़े के कारखाने, जूट मिलें, दाल शोधन, तेल के कारखाने प्रमुख हैं।

अर्थशास्त्री और श्रम समस्याओं के महान अध्येता जब 1942-46 के बीच भारत के श्रम सदस्य बने तो उन्होंने मजदूरों के व्यापक कल्याण के कार्य किए।

अर्थशास्त्री डॉ. अम्बेडकर और भारत के श्रमिक

डॉ. अम्बेडकर ने 20 जुलाई, 1942

को वायसराय की कौंसिल में श्रम सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। सम्राट और ब्रिटिश मंत्रिमंडल उनकी आर्थिक विषयों श्रम समस्याओं, भारत के आर्थिक-औद्योगिक पुनर्निर्माण में भविष्य की भूमिका के प्रति पूर्णतया आश्वस्त था। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् गहन आर्थिक संकट, आवश्यक वस्तुओं के अभाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, श्रमिकों की समस्याएं, निर्माण कार्य आदि सम्मिलित थे। उनकी प्रगति और निगरानी उन्हें करनी थी। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग भी श्रम सदस्य के जिम्मे था।

7 अगस्त, 1942, को उन्होंने देश के उद्योगपतियों और श्रमिकों के सभी महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधियों के समक्ष श्रम सम्मेलन में श्रम संबंधी कानूनों में एकरूपता और गतिशीलता लाने की अपील की। इस सम्मेलन में केन्द्र, प्रांतों, राज्यों, कर्मचारियों और नियोजकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने कहा औद्योगिक उत्पादन औद्योगिक शांति पर निर्भर है। सरकार औद्योगिक विवाद निपटाने के लिए सजग रहेगी। इस सम्मेलन में तत्कालीन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष वी.वी. गिरि जैसे शीर्ष नेता भी उपस्थित हुए थे।

उन्होंने मजदूर भाइयों से अपील की कि अपने ही देश की संपत्ति की तोड़-फोड़, नुकसान देश के हित में नहीं। संवैधानिक शांतिप्रिय रास्ते मौजूद हैं, फिर संघर्ष क्यों? गरीब ही पिसता, मरता है।

1 जनवरी, 1943, को आकाशवाणी, मुम्बई केन्द्र से अपने राष्ट्रीय संदेश में डॉ. अम्बेडकर ने कहा ''भारतीय श्रमिक यह युद्ध जीतने के लिए कृत संकल्प हैं।'' उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सरकार श्रमिकों की स्वतंत्रता, कल्याण, उनके श्रम विवादों के प्रति जागरूक है, राष्ट्रवादी शक्तियां, उनके विरुद्ध प्रचार कर रही हैं। देश को नेतृत्व चाहिए जिसे श्रमिक वर्ग ही दे सकता है। मध्यम-अभिजात वर्ग में आदर्शवाद होता है, उदारता नहीं। 1942 से 1946 के दौरान उत्पादन में कोई कमी नहीं आई। ब्रिटिश सरकार की असावधानी से 1942 में बंगाल-बिहार में अकाल मौतें हुईं। दरअसल, डॉ. अम्बेडकर के श्रम सदस्य रहते श्रमिकों की दशा में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। अपर्याप्त महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा हुई। भारतीय चाय नियंत्रण (संशोधन) विधेयक लाया गया। युद्ध आहत (मुआवजा बीमा) विधेयक, प्रस्तावित कुशल और अर्धकुशल कार्मिकों के लिए रोजगार खोलने का प्रयास किया गया। कोयला खदानों के श्रमिकों के सुरक्षा और कल्याण विषयक विधेयक पर विचार और निर्णय लिए गए। भारत के खनिज साधनों पर सरकार की नीति घोषित की गई, जो आगे चलकर भारत के विकास का दृढ़ आधार बनी।

सन् 1942-46 के बीच राष्ट्रवादी शक्तियां और कांग्रेसी नेता अंग्रेजी शासन से मुक्ति के लिए कटिबद्ध हो गए थे। यह पूरा समय राजनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण और संकटों से भरा था। डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि में यह सरकार को अपदस्थ करने का ओछा हथियार था।

श्रम सदस्य के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने बड़ी दृढ़ता से औद्योगिक शांति का वातावरण बनाने में नियोजकों, ट्रेड यूनियनों तथा औद्योगिक कर्मचारियों का सहयोग मांगा। औद्योगिक उत्पादन में यद्यपि कई विघ्न बाधाएं उपस्थित हुईं, फिर भी विकास की गति मंद नहीं हुई। देश में कानून-व्यवस्था के सम्मुख भारी चुनौतियां थीं। संप्रदायवाद और जोर पकड़ रहा था। डॉ. अम्बेडकर निर्माण कार्यों को बढ़ावा देते रहे। युद्धोत्तर भारत में अनेक सरकारी कार्यालय बने, सरकारी कर्मचारियों के आवास बने, राजमार्गों का रख-रखाव, औद्योगिक उत्पादन कम नहीं हुआ, खनिज उत्पादन बढ़ा, उन्होंने दलित-शोषितों के उन्नयन, शैक्षिक विकास के लिए विशेष प्रयास किए। प्रतिभाशाली छात्रों, युवकों को विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु भेजा। वायसराय से अस्पृश्यों की शिक्षा के लिए विशेष आर्थिक अनुदान मंजूर कराया। लाखों देशवासी उनकी दूरदर्शी योजनाओं से लाभान्वित हुए।

दामोदर घाटी योजना : डॉ. अम्बेडकर का सपना

भारत सरकार के श्रम सदस्य के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने 1 जनवरी 1945 को केन्द्र सरकार, बंगाल और बिहार के प्रतिनिधियों के समक्ष बंगाल-बिहार के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए 'दामोदर घाटी योजना' का कलकत्ता में विधिवत् प्रारूप प्रस्तुत किया, उपाय और तरीकों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा भारत सरकार का ध्यान अमरीका की टेनेसी घाटी परियोजना पर है और वहां से विशेषज्ञ आमंत्रित किए जा रहे हैं। दामोदर नदी के दोहन से सिंचाई, विद्युतीकरण, नौवहन को गति मिलेगी। दामोदर घाटी योजना एक सरकारी उपक्रम होगा जिसमें उनकी केंद्र सरकार, बंगाल और बिहार सरकार की भागीदारी होगी।

इस बहुउद्देश्यी योजना के लागू होने पर भारत के पूर्वी क्षेत्रों के आर्थिक-औद्योगिक विकास की संभावनाएं तेज हुईं। इसके कार्यान्वयन में दूरदृष्टा अर्थशास्त्री डॉ. अम्बेडकर की भूमिका निःसंदेह सराहनीय है। युद्धोत्तर भारत (1942-1946) और उसके पश्चात् बिहार, बंगाल में जो भी औद्योगिक विकास हुआ, सिंचाई, विद्युतीकरण के क्षेत्र में प्रगति हुई उसकी परिकल्पना डॉ. अम्बेडकर ने ही की थी।

द्वितीय विश्व युद्ध प्रभावित भारत के औद्योगिक कर्मचारियों का कल्याण

भारत के औद्योगिक कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा विषयक अदारकार रिपोर्ट के आधार पर विचार-विमर्श और निर्णय लिए गए, जिसके आधार पर श्रमिकों की चिकित्सा, नकदी लाभ, पात्रता और प्रतीक्षा अवधि, इलाज की विधियां, चिकित्सा संगठन और अंशदान पर कार्यवाही हुई। आज जो भारत के करोड़ों श्रमिकों को आर्थिक, सामाजिक,

स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो रहे है, उसके निर्णय और क्रियान्वयन में भारत के प्रमुख अर्थवेत्ता, नीतिनिर्धारक एवं श्रमिक वर्ग के हितैषी-जिसमें दलित, शोषित, वंचित वर्ग आते हैं, की महती भूमिका थी। इसी निर्णय और विचार के अंतर्गत भविष्य के अनेक श्रम कानून बने।

'कर्मचारी राज्य बीमा निगम' का वर्तमान स्वरूप डॉ. अम्बेडकर के सपने का ही फल है, जिससे करोड़ों औद्योगिक श्रमिक लाभान्वित हो रहे हैं।

सल्तनतों, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चलते मजदूरों का शोषण इतिहास के अध्ययन का विषय है। वायसराय की कार्यसमिति के श्रम सदस्य के रूप में अर्थवेत्ता डॉ. अम्बेडकर की सेवाएं इतिहास में सदैव याद की जाएगीं।

राजनीतिक घटना क्रम बदला

सन् 1946 में राजनीतिक घटनाचक्र पूर्णतया बदल गया। डॉ. अम्बेडकर और अन्य कौंसिल के सदस्यों को त्यागपत्र देने पड़े। अंग्रेजों ने बदले हुए राजनीतिक घटना क्रम में नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। उस समय तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। अंग्रेजी साम्राज्यवाद समझ गया था कि अब भारत के लोग जागरूक हो गए हैं, उन्हें आजाद करना ही होगा।

इसी दौर में भारत विभाजन एक असलियत बन चुका था। जिन्ना पाकिस्तान से कम किसी बात पर राजी नहीं हुए थे।

15 अगस्त, 1947, स्वतंत्रता की बेला में गांधी जी निष्प्रभावी हो गए। अंग्रेजों ने डॉ. अम्बेडकर को सलाह दी कि वे अपने प्रतिभा बल पर और अनुभव के आधार पर स्वतंत्र भारत में भाग्य आजमाइश करें। इसी दिन भारत ने एक नये युग में पैर पसारे।

कानून मंत्री बने : मौलिक अधिकारों के रक्षक

अगस्त 1947 में नेहरू मंत्रिमंडल में डॉ. अम्बेडकर कानून मंत्री बने। वे कांग्रेस और गांधी विरोधी कटुता भूल गए। पहले वे 1946 में बंगाल से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। बाद में कांग्रेस समर्थन गांधी और पटेल के सुझाव पर वे बंबई से निर्वाचित हुए। इसके लिए डॉ. राजेन्द्रप्रसाद ने डॉ. अम्बेडकर को जिताने के लिए बंबई के तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.जी. खेर को 30 जून 1947 को पत्र लिखा था। डॉ. राजेन्द्रप्रसाद तब संविधान सभा के अध्यक्ष थे।

30 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान संरचना की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। अब वे करोड़ों दलित-अस्पृश्यों, मेहनतकश लोगों के व्यापक हितों को सुरक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आतुर थे जिसके लिए वे पूरी उम्र संघर्ष करते आए थे। संविधान की प्रस्तावना में डॉ. अम्बेडकर ने लिखा है- ''हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म (आस्था) और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में संविधान को पारित करते हैं।''

संविधान पारित होने पर सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा:

''आज से राजनीतिक तौर पर हम स्वाधीन हो चुके हैं। किंतु अगर इस देश में प्रचलित आर्थिक और सामाजिक विषमता दूर नहीं हुई तो शोषित वर्ग इस संविधान की धज्जियां उड़ा देगा।''

मंत्रिमंडल से त्यागपत्र

भारत के ही नहीं विश्व के जाने-माने बुद्धिमत्ता के धनी, विश्व के गिने-चुने सर्वाधिक बुद्धिमान और अर्थशास्त्र के अग्रणी अध्येता डॉ. अम्बेडकर ने 27 सितम्बर 1951 को नेहरू के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया।

संविधान पारित होने के बाद डॉ. अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन के अवसर पर नेहरू से कहा था कि वे उन्हें योजना या वित्त मंत्रालय का पद भार सौंपें ताकि उनकी अर्थशास्त्र विषयक विशेषता का देश के लिए सदुपयोग हो सके, लेकिन नेहरू विश्व के इस विख्यात क्रांति दृष्टा, दार्शनिक, चिंतक, आर्थिक मामलों में सर्वाधिक ज्ञान के धनी महामानव की नितांत उपेक्षा ही करते रहे, शायद नेहरू उनके व्यक्तित्व के महान गुणों से खुद अपने को बौना समझते थे।

निष्कर्ष

अगर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू डॉ. अम्बेडकर की प्रतिभा, कार्यदक्षता विशद ज्ञान का सम्मान करते हुए गोविन्द बल्लभ पंत की तुच्छ सी शिकायत पर सन् 1951 में उन्हें अपने मंत्रिमंडल से निष्कासित नहीं करते, विश्व स्तर को इस अर्थ विज्ञानी को भारत के व्यापक हित में वित्त, योजना, उद्योग वाणिज्य विभाग का कार्यभार सौंपते तथा क्षुद्र दलीय राजनीति से ऊपर उठकर उदारता, हृदय की विशालता का परिचय देते, तो आज नि:संदेह भारत आर्थिक, औद्योगिक दृष्टि से बड़ा संपन्न-सशक्त देश बनता।

अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान, राजनीति विज्ञान और संवैधानिक ज्ञान की दृष्टि से डॉ. अम्बेडकर विश्व अकादमिक समुदाय की गिनी-चुनी हस्तियों में से एक थे। भारत के संविधान की संरचना द्वारा उन्होंने दलित वंचितों की अहिंसक सामाजिक क्रांति का पथ प्रशस्त किया। पांच हजार साल के उस मिथ (भ्रम) जाल को तोड़ दिया, जिसने अस्पृश्य जातियों को हीनता की परिधि में पटक दिया था। डॉ. अम्बेडकर आर्थिक अभावों की अग्निवेदी में तप कर शुद्ध कंचन की तरह ज्योतित हुए थे। उनका अर्थनीति विषयक ज्ञान, सामाजिक क्रांति धर्मिता, सामाजिक बराबरी का मंत्र-घोष बुद्ध का स्मरण कराता है। खगोलविदों को किसी देदीप्यमान तारे का नाम डॉ. अम्बेडकर तारा घोषित करने में हिचक नहीं होनी चाहिए। ■

डॉ. अम्बेडकर का मानववाद

■ सुधांशु शेखर

मानववाद को अंग्रेजी में ह्यूमेनिज्म (Humanism) कहते हैं। 'Humanism' ग्रीक शब्द 'Homo' से बना है, जिसका अर्थ है- मानव। जाहिर है कि मानववाद के चिंतन का केन्द्र बिंदु 'मानव' है। यह चाहता है कि मानव 'मानव' बने, न 'दानव' बने और न ही 'देवता'। यह एक दर्शन एवं विचारतंत्र ही नहीं वरन् मानव-उत्थान की एक सतत प्रक्रिया एवं व्यापक आंदोलन भी है। इस आंदोलन की एक सशक्त कड़ी है- डॉ. भीमराव अम्बेडकर का 'सामाजिक मानववाद'।[1]

सामाजिक मानववाद मानव को समस्त बनावटी एवं अनावश्यक सामाजिक बंधनों तथा कठोर नियमों से मुक्त करने का आदर्श प्रस्तुत करता है। यह सभी प्रकार के भेद-भाव का विरोधी है और समतामूलक समाज का 'मॉडल' प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार, "मानव का सच्चा मानदंड योग्यता है, न कि जन्म।"[2]

डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक मानववाद तात्विक दृष्टि से धर्म को सामाजिक जीवन के लिये आवश्यक मानता है, लेकिन, धर्म के नाम पर जारी पाखंड, अंधविश्वास एवं अन्याय का विरोधी है और सभी मानवों को अपनी इच्छानुसार कोई भी धर्म अपनाने या छोड़ने की आजादी देता है।

डॉ. अम्बेडकर का मानववाद विज्ञान और धर्म में कोई अंतर्विरोध नहीं पाता है।[3] अर्थात् यह विज्ञान और धर्म (अध्यात्म) का समन्वय चाहता है। यह विज्ञान के द्वारा धार्मिक अंधविश्वासों को मिटाने और सामाजिक परिवर्तन की गति तेज करने का हिमायती है। लेकिन यह विज्ञान को युद्ध एवं प्रकृति-पर्यावरण के नुकसान की इजाजत नहीं देता। इसी तरह यह अध्यात्म की मदद से वैज्ञानिक प्रगति को जन-कल्याण से जोड़ना चाहता है। लेकिन धर्म या अध्यात्म के नाम पर लोगों के शोषण एवं समाज में अवैज्ञानिकता के प्रचार का विरोधी है। इसका मानना है कि वैसी शिक्षा का प्रचार-प्रसार नहीं हो, जिससे अस्पृश्यता, असमानता, अंधविश्वास, हिंसा, जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि बुराइयों को बढ़ावा मिलता है। वैसी शिक्षा दी जाए, जो सभी को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, लोकतंत्र एवं विकास आदि मूल्यों की गारंटी देते हैं। यह चाहता है कि जनतांत्रिक सरकार और समाज मिलकर सबों को समान, मूल्यपरक एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने की गारंटी लें। शिक्षा तथा ज्ञान-विज्ञान का द्वार सभी के लिये खुला हो और वहाँ तक सभी का पहुँचना सुगम बनाया जाय। शैक्षणिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों को इस तरह से व्यवस्थित एवं संचालित किया जाय, जिससे संपूर्ण समाज एवं मानव जीवन में मानवीय मूल्यों, नैतिक संस्कारों एवं सामाजिक सरोकारों की बाहुल्यता में अभिवृद्धि हो। यह परंपराओं की अंधभक्ति और आधुनिकताओं के अंधानुकरण दोनों से इतर एक 'सम्यक् चरित्र' की शिक्षा देता है।

डॉ. अम्बेडकर का मानववाद तथाकथित किसी भी ईश्वरीय शक्ति या संस्था को मानवीय मामलों में हस्तक्षेप की इजाजत नहीं देता है। नैतिकता को मानव द्वारा मानव के प्रेम के साथ

जोड़ता है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, "नैतिकता के लिए ईश्वर की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मानव को ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नैतिक होना है। यह उसके स्वयं के हित में है कि मानव मानव को प्रेम करे।"[4] अर्थात् सामाजिक मानववाद ईश्वर या किसी परा-प्राकृतिक शक्ति द्वारा संचालित नैतिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है। बल्कि, यह मानता है कि जगत् में स्वायत्त नैतिक व्यवस्था है, जो मानव के ही कुशल और अकुशल कर्मों से निर्मित होती है। मानव स्वयं अपनी व्यवस्था और संस्थाओं का निर्माता है। वह जैसा कर्म करेगा, वैसी ही व्यवस्था होगी और तदनुसार ही उसके परिणाम निकलेंगे। यह किसी प्रतीकात्मक कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है, जो किसी पराशक्ति द्वारा संचालित हो। इसके अनुसार समाज को सभी व्यक्तियों के समग्र विकास का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। अर्थात् यदि आर्थिक अभाव या किसी अन्य कारण से कोई व्यक्ति भुखमरी, बीमारी या लाचारी का शिकार होता है, तो यह समाज की कुव्यवस्था का परिणाम है। यह सभी मानवों की भौतिक संपन्नता का समर्थक है, लेकिन यह इसके लिए 'सम्यक् आजीविका' की शिक्षा देता है, भ्रष्टाचार की नहीं।

डॉ. अम्बेडकर का मानववाद सभी नागरिकों के समान अधिकारों का समर्थक है। इसकी मान्यता है कि एक आदर्श जनतांत्रिक समाज एवं शासन को कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षक होना चाहिए। इसलिए, कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण और गरीबों हेतु सब्सिडी देना जरूरी है। यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका और जनपक्षधर मीडिया का समर्थक है। यह सबको न्याय दिलाने का प्रयास करता है और अभिव्यक्ति की आजादी का हिमायती है।

डॉ. अम्बेडकर का मानववाद सभी नागरिकों के समान अधिकारों का समर्थक है। इसकी मान्यता है कि एक आदर्श जनतांत्रिक समाज एवं शासन को कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षक होना चाहिए। इसलिए, कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण और गरीबों हेतु सब्सिडी देना जरूरी है। यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका और जनपक्षधर मीडिया का समर्थक है। यह सबको न्याय दिलाने का प्रयास करता है और अभिव्यक्ति की आजादी का हिमायती है।

डॉ. अम्बेडकर का मानववाद सामान्य मानव का जीवन-दर्शन है। डॉ. अंबेडकर के शब्दों में, "हरेक मानव का एक जीवन दर्शन होना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक के पास एक ऐसा मानदण्ड हो, जिससे वह अपने आचरण का मूल्यांकन कर सके, दर्शन एक मानदण्ड के सिवाय, जिससे मानव के आचरण का मूल्यांकन किया जा सके, अन्य कुछ नहीं है।[5] इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने ईश्वर, नित्य-आत्मा, स्वर्ग-नर्क, आवागमन, दिव्य सृष्टि आदि के सिद्धांतों को अस्वीकार किया और दर्शन को मानव के सामाजिक संदर्भों से जोड़ा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह वर्ण-व्यवस्था का, उसकी सभी निस्पत्तियों सहित मूलोच्छेद करता है। डॉ. अम्बेडकर ने लिखा है, "नकारात्मक रूप से मैं उस हिन्दू समाज-दर्शन का निषेध करता हूँ, जिसे भगवद्गीता ने स्थापित किया है और जो सांख्य के त्रिगुण सिद्धांत पर आधारित है। यह मेरे निर्णयानुसार, कपिल के दर्शन का एक क्रूर विकृत रूप है, जिसने जाति-व्यवस्था और स्तरीय असमानता को हिन्दू सामाजिक जीवन का कानून बना दिया है।''[6]

हिंदू धर्माधारित वर्ण-व्यवस्था को खारिज करने के बाद डॉ. अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के अनुरूप नई समाज-व्यवस्था का 'मॉडल' प्रस्तुत किया है। उनके शब्दों में, ''सकारात्मक दृष्टि से, मेरा समाज-दर्शन तीन शब्दों में निहित कहा जा सकता है - स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व। लेकिन किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैंने अपने दर्शन को फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किया है। मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे दर्शन की जड़ें धर्म में हैं, न कि राजनीति-विज्ञान में। मैंने अपने महान् गुरू बुद्ध की शिक्षाओं से इनका अनुकरण किया है।"[7]

सामाजिक मानववाद डॉ. अंबेडकर के त्रयी सिद्धांतों में निहित 'नवरत्नों' में अटूट आस्था रखता है। अर्थात् यह मानता है कि मानव कल्याण के लिये 'स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व', 'शिक्षा, संगठन एंव संघर्ष' और 'बुद्ध, धम्म एवं संघ' के मार्ग का अनुसरण किया जाय। क्योंकि ये वे मानववादी मूल्य हैं, जो सभी प्राणियों की समुन्नति के लिये आवश्यक हैं। इस संबंध में डॉ. डी.आर. जाटव लिखते हैं कि, "इन सिद्धांतों से उद्भूत होने वाले मूल्य केवल दलितों तक ही सीमित नहीं हैं, अपितु सभी मानव प्राणियों से उनका सीधा संबंध है। ये आधारभूत 'नव-रत्न' डॉ. अम्बेडकर के 'सामाजिक मानववाद' का निर्माण करते हैं।''[8] जाहिर है कि यह जनतांत्रिक दृष्टिकोण

का ही एक रूप है। यद्यपि अपने दर्शन के मूल तत्वों को डॉ. अम्बेडकर ने समय-समय पर तथा स्थान विशेष के अनुसार अपनाया। अर्थात्, जब उन्होंने दलितों तथा निर्धनों की दुर्गति, पीड़ा, दुख आदि का स्वयं अनुभव किया, तब भिन्न-भिन्न रूपों में उन्हें लागू किया। ये सिद्धांत सभी के हित में हैं और सभी प्राणियों को सामाजिक उपयोगिता प्रदान करते हैं। ये सार्वभौमिक हैं, कालातीत हैं और जो भी उन्हें अपनाएगा, व्यवहार में लायेगा, वह समान रूप से लाभान्वित होगा।

सामाजिक मानववाद में मानव का स्थान सर्वोपरि है। इसमें किसी भी शक्ति या संस्था को मानवीय गरिमा के हनन की इजाजत नहीं है। यह चाहता है कि समाज में शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाय और किसी भी मानव का शोषण एवं दमन नहीं हो। इसलिए यह किसी भी सिद्धांत या वाद से अधिक मानव, मानवता और मानवीय स्वतंत्रता को महत्त्व देता है। यह कोई निश्चित तथा अकाट्य सिद्धांत नहीं है और न ही कोई कट्टर धार्मिक पंथ है।[9] यह एक उदार मानवीय आंदोलन है, जो मानव का, मानव के लिये और मानव द्वारा संचालित है, यह मानवीय मूल्यों, नैतिक संस्कारों एवं सामाजिक सरोकारों के किसी बाहरी आधार की तलाश नहीं करता है। क्योंकि इसकी मान्यता के अनुसार, ये मूल्य मानव-मानव के बीच सम्यक् संबंधों की आवश्यकता से उद्भूत होते हैं। इसके अनुसार, भौतिक मूल्यों का अतिवादी प्रयोग आदमी को पथ-भ्रष्ट बनाता है, जबकि तात्विक, परा-प्राकृतिक या प्रत्यवादी मूल्यों में आस्था आदमी को काल्पनिक लोक में ले जाती है। अत: इन दोनों से बचने की जरूरत है।

वैसे सामाजिक मानववाद भारतीय परिस्थितियों में जन्मा एक सक्रिय दर्शन है, जो विशेष रूप से साम्राज्यवादी ब्राह्मणवाद से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन इसमें पूरी दुनिया में शोषण एवं दमन के सभी रूपों के अंत की भावना भी निहित है। भूमंडलीकरण के इस दौर में हर ओर भौतिकवादी अपसंस्कृति का बोलबाला है और धार्मिक वैमनस्य भी बढ़े हैं, साथ ही शासन. सत्ता हर जगह मानवाधिकरों का हनन कर रही है और मानवीय स्वतंत्रता पर पहरे लगा रही है। ईराक, अफगानिस्तान, जम्मू-कश्मीर, जार्जिया, फिलिस्तीन हर जगह मानवता खतरे में है। चारों ओर आतंकवाद, नक्सलवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद एवं पूंजीवाद का नंगा नाच चल रहा है और मानवता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर कुछ लोग मानवीय स्वतंत्रता के नाम पर प्रकृति-पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन कर अपनी ही कब्र खोदने पर आमादा हैं। ऐसे में डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक मानववाद की प्रासंगिकता बढ़ गयी है।■

संदर्भ

1. डॉ. जाटव, डी.आर.; डॉ. अम्बेडकर का मानववादी चिंतन, समता साहित्य सदन, जयपुर, 1993, पृ. 78.
2. अम्बेडकर, बी.आर.; द बुद्ध एंड हिज धम्म, 1957, पृ. 306.
3. डॉ., जाटव, डी.आर.; डॉ. अम्बेडकर का मानववादी चिंतन, पूर्वोक्त, पृ. 82.
4. वही.
5. धनंजय, कीर; डॉ. अम्बेडकर : लाइफ एंड मिशन, 1962, पृ. 455.
6. वही, पृ. 456.
7. वही
8. जाटव, डी.आर.; डॉ. अम्बेडकर का मानववादी चिन्तन, पूर्वोक्त, पृ. 11.
9. वही, पृ. 83.

(लेखक युवा पत्रकार एवं शिक्षक हैं।)

सत्यमेव जयते

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

बाबासाहेब बीसवीं शताब्दी के एक महान राष्ट्रीय नेता थे। वे बुद्धिजीवी, विद्वान तथा राजनीतिज्ञ थे। देश के निर्माण में उनका महान योगदान है। उन्होंने दलितों व शोषितों को अन्य लोगों के समान ही कानूनी अधिकार दिलाने के लिए अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया और समाज के दलित वर्ग के लाखों लोगों को उनके मानवाधिकार दिलाए। उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में एक अमिट छाप छोड़ी। वे सामाजिक न्याय के संघर्ष के प्रतीक हैं।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की स्थापना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर शताब्दी समारोह समिति द्वारा की गई सिफारिशों को अमल में लाने के लिए की गई थी।

प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य देश-विदेश में लोगों के बीच बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाना तथा उसके प्रचार के लिए कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को लागू करना है। प्रतिष्ठान को भारतरत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के शताब्दी समारोह के दौरान् चिह्नित किए गए कार्यक्रमों तथा योजनाओं का प्रबंधन, प्रशासन तथा उन्हें आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है।

योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं :-

- **डॉ. अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस/जन्म दिवस के अनुपालन/ समारोह :**

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल को और महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसम्बर को संसद भवन के उद्यान में समारोहपूर्वक मनाया जाता है। इस गरिमापूर्ण दिवस पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति राष्ट्र की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। साधारणतया समारोह में महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष एवं अन्य उच्च पदाधिकारीगण उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त भारी संख्या में साधारण जन भी बाबासाहेब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।

- **विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में डॉ. अम्बेडकर पीठ :**

इस योजना की शुरुआत 1993 में की गई थी। इसका उद्देश्य विद्वानों, विद्यार्थियों तथा अकादमियों को सभी प्रकार से सुसज्जित अध्ययन केन्द्र उपलब्ध कराना है, जिससे वे डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के विचारों एवं आदर्शों को समझने, उनका मूल्यांकन करने तथा उनका प्रचार-प्रसार करने के लिए आवश्यक उच्च अध्ययन एवं शोध कार्य कर सकें। अब तक कुल दस अम्बेडकर पीठ विभिन्न महत्त्व वाले क्षेत्रों जैसे विधिक अध्ययन, शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, सामाजिक नीति एवं सामाजिक कार्य, समाज कार्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव-विज्ञान, दलित आन्दोलन एवं इतिहास, अम्बेडकरवाद एवं सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक न्याय में स्थापित किए जा चुके हैं।

- **डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना**

यह योजना मूलरूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे गरीब मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रु. 1,00,000/- से कम हो और उसे गम्भीर बीमारियों जैसे

किडनी, दिल, यकृत, कैंसर, घुटना और रीढ़ की सर्जरी सहित कोई अन्य खतरनाक बीमारी हो, जिसमें सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत हो।

संशोधित योजना-2014 के अनुसार, आवेदन पत्र को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की सत्यापित प्रतियों और संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित अनुमानित लागत प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ जमा करना पड़ता है। आवेदन पत्र का अनुमोदन और अग्रसारण डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की आमसभा के सदस्यों या स्थानीय वर्तमान सांसद (लोकसभा या राज्यसभा) या संबंधित जिला के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, आयुक्त द्वारा या संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र के स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग के सचिव द्वारा किया जाता है। इलाज के लिए अनुमानित लागत का 100 प्रतिशत सर्जरी से पहले ही सीधे संबंधित अस्पतालों को एक किस्त में जारी कर दिया जाता है। विभिन्न बीमारियों के लिए अधिकतम राशि को निश्चित कर दिया गया है जैसे हृदय शल्य चिकित्सा के लिए रुपये 1.25 लाख, किडनी सर्जरी/डाइलिसिस के लिए रुपये 3.50 लाख, कैंसर सर्जरी/कीमोथिरेपी/रेडियोथिरेपी के लिए रुपये 1.75 लाख, मस्तिष्क सर्जरी के लिए रुपये 1.50 लाख, किडनी/अंग प्रत्यारोपण के लिए रुपये 3.50 लाख, रीढ़ की सर्जरी हेतु रुपये 1.00 लाख और अन्य जीवन घातक बीमारियों के लिए रुपये 1.00 लाख। अस्पताल को यह भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है।

- **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक (दसवीं कक्षा) परीक्षा हेतु डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना**

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित योग्य विद्यार्थियों को एकमुश्त नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। देश में प्रत्येक बोर्ड के लिए चार पुरस्कार निर्धारित हैं। तीन सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमश: 60,000/-, रु. 50,000/- और रु. 40,000/- प्रदान किए जाते हैं। यदि इन तीन विद्यार्थियों में से कोई लड़की नहीं होती है, तो इसके अतिरिक्त सर्वाधिक अंक पाने वाली लड़की को रु. 40,000/- का विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाता है। योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, प्रत्येक के लिए, 10,000 एकमुश्त राशि की 250 विशेष योग्यता पुरस्कारों की परिकल्पना भी की गई है, जो उन छात्रों को प्रदान किए जाते हैं जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के बाद सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हैं।

- **उच्च माध्यमिक परीक्षाओं (12वीं कक्षा) में अनुसूचित जाति से संबद्ध योग्य विद्यार्थियों के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना :**

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान ने 2007-08 के दौरान् कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों की पहचान करने, उन्हें बढ़ावा देने और उनकी सहायता करने के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को योग्यता पुरस्कार प्रदान करने की योजना तैयार की। पुरस्कार में, किसी भी शैक्षणिक बोर्ड/परिषद द्वारा आयोजित 12वीं स्तर की परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में तीन सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमश: चार वर्गों अर्थात् कला, विज्ञान (गणित के साथ), विज्ञान (जीव विज्ञान और या गणित के साथ) तथा वाणिज्य में रु. 60,000/-, रु. 50,000/- तथा रु. 40,000/- के प्रदान किए जाते हैं। योग्यता श्रेणी के प्रथम तीन स्थानों के बाद प्रत्येक वर्ग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली अगली तीन लड़कियों को प्रत्येक को रु. 20,000/- की दर से विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस तरह प्रत्येक बोर्ड के लिए कुल 12 पुरस्कार होते हैं।

- **अनुसूचित जाति के अत्याचार-पीड़ितों हेतु डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत योजना**

इस योजना की प्रकृति आकस्मिक व्यवस्था के तौर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के तहत अपेक्षाकृत जघन्य अपराधों के पीड़ितों को तात्कालिक

मौद्रिक सहायता प्रदान करने की है। इस योजना के अन्तर्गत सहायता राशि सीधे पीड़ित या उसके पारिवारिक सदस्यों या आश्रितों को प्रतिष्ठान द्वारा तब प्रदान की जाती है, जबकि उपर्युक्त अधिनियम के तहत अपराध की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा इस संबंध में सूचित कर दिया जाता है। परिवार के कमाऊ सदस्य की हत्या/मृत्यु पर रु. 5.00 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है, गैर कमाऊ सदस्य की मृत्यु/हत्या पर सहायता राशि रु. 2.00 लाख, कमाऊ सदस्य के स्थायी विकलांगता पर सहायता राशि रु. 3.00 लाख, गैर कमाऊ सदस्य के स्थायी विकलांगता पर सहायता राशि रु. 1.50 लाख तथा बलात्कार के लिए सहायता राशि रु. 2.00 लाख है तथा ऐसी आगजनी, जिससे कोई परिवार पूर्णत: बेघर हो जाए तो सहायता राशि रु. 3.00 लाख निर्धारित की गई है।

- **डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता योजना**

प्रतिष्ठान की इस वार्षिक निबंध प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के छात्रों को सामाजिक मुद्दों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना तथा मूलभूत सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर डॉ. अम्बेडकर के विचारों के प्रति उनकी रुचि को जगाना है। यह प्रतियोगिता मान्यता प्राप्त स्कूलों (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक अर्थात् 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक)/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के विद्यार्थियों हेतु है। विद्यालयों से प्राप्त हिन्दी और अंग्रेजी में सबसे अच्छे तीन निबंधों के लिए पुरस्कार की राशि रु. 10,000 से रु. 25,000 तक है और महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए यह राशि रु. 25,000/- से रु. 1,00,000 तक है।

- **महान संतों के जन्म दिवस/पुण्य तिथि समारोह हेतु डॉ. अम्बेडकर योजना**

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/ गैर सरकारी संगठनों को, महान संतों जैसे- संत कबीर, गुरु रविदास, गुरु घासीदास, चोखामेला, नंदनार, नारायणा गुरु, नामदेव, भगवान बुद्ध, महर्षि बाल्मीकि, महात्मा फूले, सावित्री बाई फूले आदि का जन्म दिवस समारोह मनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए अधिकतम अनुदान राशि रुपये 5.00 लाख तथा गैर सरकारी संगठनों के लिए रुपये 2.00 लाख की राशि निर्धारित की गई है। इस वर्ष से इस योजना के अंतर्गत डॉ. अम्बेडकर की जयंती/महापरिनिर्वाण के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

- **सामाजिक परिवर्तन हेतु डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार**

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा भारत और मानवीय परिवार के प्रति की गई वृहद् विलक्षण सेवाओं के पुण्य स्मरण में इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। यह पुरस्कार असमानता, अन्याय और शोषण के कारणों के विरुद्ध सख्ती से मामले उठाने और सुलझाने के उदाहरणीय योगदान तथा सामाजिक समूहों के बीच सामंजस्य, सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक सौहार्द और मानवीय गरिमा के आदर्शों की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति(यों) या समूह(ों) को प्रदान किया जाता है।

प्रति वर्ष एक पुरस्कार, जिसमें रु. 15.00 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र दिये जाने का प्रावधान है।

- **कमजोर वर्गों के उत्थान तथा सामाजिक समझ हेतु डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार**

इस राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी और इस पुरस्कार हेतु चयन किसी प्रकाशित पुस्तक या फिर जन आंदोलन के आधार पर होता है, जिसने समाज के कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला हो। प्रति वर्ष एक पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है, जिसमें रु. 10.00 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

- **अंतर्जातीय विवाहों के द्वारा सामाजिक एकता हेतु डॉ. अम्बेडकर योजना**

इस योजना का उद्देश्य, अंतर्जातीय विवाह जैसे सामाजिक रूप से साहसिक कदम उठाने वाले, नए विवाहित दम्पति को उनके वैवाहिक जीवन के शुरुआती दौर को सही ढंग से चलाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। विधिसम्मत अंतर्जातीय विवाह के प्रोत्साहन हेतु राशि रु. 2.50 लाख प्रति विवाह है। योग्य दम्पति को प्रोत्साहन राशि का 50 प्रतिशत उनके संयुक्त नाम के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि उनके संयुक्त नाम में पांच वर्ष की अवरुद्धता अवधि के साथ सावधि जमा में रखा जाता है।

- **सामाजिक न्याय संदेश**

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' का प्रकाशन दिसम्बर 2002 से हो रहा है। समता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व एवं न्याय पर आधारित, सशक्त एवं समृद्ध समाज और राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के 'संदेश' को आम नागरिकों तक पहुंचाने में 'सामाजिक न्याय संदेश' की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'सामाजिक न्याय संदेश' देश के नागरिकों में मानवीय संवेदनशीलता, न्यायप्रियता तथा दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए समर्पित है।

'सामाजिक न्याय संदेश' बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों व उनके दर्शन तथा फाउन्डेशन के कार्यक्रमों एवं योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने का काम बखूबी कर रहा है। इसकी एक प्रति का मूल्य रु. 10/- है। एक वर्ष के लिए चंदे की दर रु. 100/-, दो वर्ष के लिए रु. 180/- और तीन वर्ष के लिए रु. 250/- है। सामाजिक न्याय संदेश प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.ambedkarfoundation.nic.in पर भी उपलब्ध है।

- **डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र**

''डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र'' राष्ट्रीय महत्त्व के एक विश्व स्तरीय बहुआयामी अध्ययन के प्रति समर्पित होगा। यह केन्द्र जनपथ और डॉ. आर.पी. रोड के प्रतिच्छेदन पर एक महत्त्वपूर्ण अवस्थिति पर 3.25 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला होगा, जो लुटियन दिल्ली की महत्त्वपूर्ण इमारतों से घिरा होगा। केन्द्र की मुख्य सुविधाओं में शोध एवं प्रसार केन्द्र, मीडिया सह इंटरप्रेटेशन केन्द्र, पुस्तकालय, प्रेक्षागृह, सम्मेलन केन्द्र और प्रशासनिक स्कंध शामिल होंगे।

- **डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक**

डॉ. अम्बेडकर ने 6 दिसंबर, 1956 को अपने निवास 26, अलीपुर रोड, दिल्ली में अंतिम सांसें ली थीं। इस स्थल को महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में पवित्र माना जाता है और तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। 2 दिसंबर, 2002 को डॉ. अम्बेडकर के जीवन और लक्ष्यों पर फोटो गैलरी की स्थापना कर सरकार ने इसी जगह एक अच्छी तरह अभिकल्पित और पूर्ण रूप से विकसित डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की।

- **बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संकलित कार्य (सी.डब्ल्यू.बी.ए.) परियोजना**

महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित बाबासाहेब अम्बेडकर के संकलित कार्यों के अनुवाद और प्रकाशन का कार्य डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा हिन्दी एवं 8 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं-मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, उर्दू एवं गुजराती में करवाया जा रहा है। हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले 360 खंडों (प्रत्येक भाषा के 40 खंड) में से 197 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। शेष के 163 खंड अभी मुद्रण और अनुवाद की प्रक्रिया में हैं।

प्रतिष्ठान ने बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संकलित कार्यों के खंडों को अंग्रेजी में भी पुनः प्रकाशित किया है तथा अंग्रेजी के 10 खण्डों का प्रकाशन ब्रेल लिपि में किया है। शेष खंड ब्रेल लिप्यंतरण की प्रक्रिया में हैं।■

राष्ट्र निर्माता : डॉ. भीमराव अम्बेडकर

■ डॉ. प्रभु चौधरी

जल की जिस धारा में प्रवाह की तीव्रता होगी उद्वेग होगा, गति होगी, वह चट्टानों में से भी अपनी राह बना लेगी। वह धरती का गर्भ चीर कर भी बाहर निकल आएगी। असाधारण प्रतिभा भी ऐसी ही धारा होती है। जिसे बहने से कोई नहीं रोक सकता, बल्कि मिट्‌टी के कच्चे किनारों को तोड़ती झकझोरती वह अपना रास्ता बना ही लेती है। उन कमजोर किनारों को अपने साथ बहने को विवश कर देती है। समय-समय पर ऐसी प्रतिभाएं जन्म लेती हैं स्वयं किनारे उनका अभिन्न अंग बनते रहे हैं।

ऐसा ही प्रतिभा प्रसून आगे चलकर भारत माता का लाड़ला पुत्र रत्न 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के महार परिवार में खिला। जिनका नाम था डॉ. भीमराव अम्बेडकर। वे असाधारण प्रतिभा के धनी, विद्वान, विचारक एवं चिंतक थे। कालान्तर में वे एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं विधिवेत्ता के रूप में जाने गए। वह समय भारत की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार दलितों के लिए कठिनाई का समय था। अत: दलित वर्ग में जन्म होने के कारण उन्हें भी कठिनाईयां झेलनी पड़ीं। उस समय पाठशाला जाने वाले बच्चों को अपने बैठने के लिए स्वयं ही टाट पट्‌टी लेकर जाना पड़ता था। वे उच्च जाति के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे। बचपन तो बचपन होता है, वह भेद-भाव, ऊंच-नीच को नहीं जानता। डॉ. अम्बेडकर के कोमल बाल हृदय पर इस भेद-भाव एवं छुआछूत का गहरा असर पड़ा, जो बाद में विस्फोटक रूप में सामने आया। समाज में फैले ऊंच-नीच के दुर्भाव से वे त्रस्त थे। ईश्वर ऐसे महापुरुषों की कड़ी परीक्षा भी लेता है और उन्हें सफलता भी प्रदान करता है। डॉ. अम्बेडकर को परीक्षा में उत्तीर्ण तो होना ही था, इसीलिए उन्हें बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ जैसे सत्पुरुष मिले। उन्होंने जौहरी की भांति उस हीरे को परखा और आगे पढ़ाई करने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति दिलवाई। परिणामत: वे स्कूली शिक्षा समाप्त करके मुम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए आ गए।

सन् 1913 में अम्बेडकर ने अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एम.ए. उत्तीर्ण किया। 1916 में उन्होंने यहीं से 'ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों में वितीय स्थिति का विश्लेषण' नामक विषय पर पीएच.डी की डिग्री हासिल की। उनका यह विषय सामयिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था क्योंकि उन दिनों भारतीय वस्त्र उद्योग व निर्यात ब्रिटिश नीतियों के कारण गहन आर्थिक संकट से जूझ रहा था।

सन् 1922 में लंदन विश्वविद्यालय से 'रुपये की समस्या' पर उन्होंने दूसरी बार पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त की। डॉ. अम्बेडकर ने गहराई से भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान देकर विश्लेषण किया। उन्होंने यह महसूस किया कि भारत में छुआछूत की प्रथा से देश को बहुत हानि हो रही है। वे स्वयं उन कठिनाइयों से गुजरे थे, इसलिए उस व्यथा से उत्पन्न दुष्परिणामों को अच्छी तरह से समझ सकते थे। यह एक विडम्बना ही है कि मानव ही मानव को सिर्फ इसलिए न छुए कि एक का जन्म ऊंची कही जाने वाली जाति में हुआ है तथा दूसरे का जन्म निम्न जाति में... आखिर ये फैसला किसने किया? समाज के कतिपय ठेकेदारों ने...? कुछ लोगों ने स्वार्थवश अपने वर्चस्व को प्रतिष्ठित करने के लिए यह घोर स्वार्थपूर्ण नियम बनाये। डॉ. अम्बेडकर का मन इस अन्याय को सह नहीं सकता था। ईश्वर ने तो सभी को एक समान ही बनाया है फिर यह जातिवाद कैसा? और आखिर क्यों?

जब भारत में ब्रिटिश शासन अपने चरम पर था उसी समय उन्हें लंदन के 'स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स एवम् पोलिटिकल साइंस' में प्रवेश भी मिला लेकिन गायकवाड़ शासन के अनुबंध के कारण वे पढ़ाई छोड़कर वापस भारत आ गए और बड़ौदा राज्य में 'मिलट्री सचिव' के पद पर कार्यरत हो गए। 1926 में डॉ. अम्बेडकर ने 'हिल्टन यंग' आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर 'विनिमय दर व्यवस्था' पर जो तर्कपूर्ण प्रस्तुति की थी उसे आज भी मिसाल के रूप में पेश किया जाता है। डॉ. अम्बेडकर गांधीवादी नीतियों के पक्षधर नहीं थे। वे चाहते थे कि भारत में शहरीकरण एवं औद्योगिकरणों को बढ़ावा मिले, ऐसा होने पर ही समाज में फैली भांति-भांति की विषमताएं दूर होंगी। वे प्रजातांत्रिक संसदीय प्रणाली के प्रबल समर्थक थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि प्रजातंत्र ही सरकार का वह तंत्र है जहां प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को स्वाधीन महसूस कर सकता है।

1927 में डॉ. अम्बेडकर ने 'बहिष्कृत

भारत' पाक्षिक समाचार-पत्र निकाला। यहीं से उनका प्रखर सामाजिक चिंतन, सामाजिक बदलाव के परिप्रेक्ष्य में प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेण्ट लेबर पार्टी की स्थापना के द्वारा उन्होंने दलित मजदूर और किसानों की अनेक समस्याओं का उल्लेख किया। 1937 में मुम्बई के चुनावों में इनकी पार्टी को पन्द्रह में से तेरह स्थानों पर जीत मिली। हालांकि अम्बेडकर गांधी जी के दलितोद्धार के तरीकों से सहमत नहीं थे, लेकिन अपनी विचारधारा के कारण उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं नेहरू और पटेल को अपनी प्रतिभा से अपनी ओर आकर्षित किया। यद्यपि नेहरू जी गांधीजी के बहुत प्रिय थे किंतु आधुनिकीकरण की नीतियों के विषय में नेहरूजी की विचारधारा सर्वथा भिन्न थी। लक्ष्य सभी का एक था। किंतु रास्ते अलग-अलग थे। डॉ. अम्बेडकर भी भारत को अपनी दृष्टि से ही देख रहे थे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्हें 3 अगस्त 1947 को 'विधि मंत्री' बनाया गया। इन्हें 21 अगस्त 1947 को भारत की 'संविधान प्रारूप समिति' को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा, भारत के विशाल बहुमत की वास्तविक प्रतिनिधि सभा थी।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अगस्त 1947 में भारतीय संविधान सभा को वैधानिक दृष्टि से और तथ्य रूप में पूर्ण स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था बना दिया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सभापति चुने गए और संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में सात सदस्यों की एक ''प्रारूप समिति'' का निर्माण किया। भारत के लोकतांत्रिक धर्म निरपेक्ष एवं समाजवादी संविधान की संरचना हुई, जिसमें मानव के मौलिक अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा की गई। संविधान प्रारूप समिति ने 315 धाराओं तथा आठ परिशिष्टों का मसविदा तैयार कर उसे 5 नवम्बर, 1948, को संविधान सभा के समक्ष रखा। संविधान सभा ने अंतिम रूप से 375 धाराओं तथा 9 परिशिष्टों का संविधान 26 नवम्बर, 1949, को स्वीकार किया। संविधान के कुछ अनुच्छेद इसी दिन से लागू कर दिए गए और 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्त्व के कारण 26 जनवरी, 1950, को भारत का संविधान राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। डॉ. अम्बेडकर के द्वारा न सिर्फ संविधान के अधिकांश महत्त्वपूर्ण अनुच्छेदों में अधिकृत रूप से महत्त्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश किया गया। भारत के दलितों, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए भी प्रावधान किया गया। आगे चलकर अनुच्छेद 340 के तहत् 'मंडल कमीशन' की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों को भी 'आरक्षण' देना तय हुआ।

25 मई, 1950, को डॉ. अम्बेडकर ने दिल्ली में 'अम्बेडकर भवन' का शिलान्यास किया। वे 'हिन्दू कोड बिल' लेकर आए। इस बिल का उद्देश्य हिन्दुओं के सामाजिक जीवन में सुधार लाना था। इसके अतिरिक्त महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाना एवं तलाक की व्यवस्था करना था।

27 सितंबर, 1951, में ही डॉ. अम्बेडकर ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। उन्हें स्वयं के जीवन में पर्याप्त प्रतिष्ठा एवं सम्मान मिला, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे। वे सामाजिक व्यवस्था के प्रति निराश ही रहे। 14 अक्टूबर, 1956, को उन्होंने ''बौद्ध धर्म'' अपना लिया। वे नैतिक मूल्यों के आधार पर ही धनार्जन करने की नीति को सही मानते थे। उनका विश्वास था कि सरकारी एवं सामूहिक कृषि के द्वारा ही दलितों का विकास हो सकता है। 6 दिसम्बर, 1956, को यह धूमकेतु सदा के लिए चिरनिद्रा में लीन हो गया।

27 सितंबर, 1951, में ही डॉ. अम्बेडकर ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। उन्हें स्वयं के जीवन में पर्याप्त प्रतिष्ठा एवं सम्मान मिला, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे। वे सामाजिक व्यवस्था के प्रति निराश ही रहे। 14 अक्टूबर, 1956, को उन्होंने ''बौद्ध धर्म'' अपना लिया। वे नैतिक मूल्यों के आधार पर ही धनार्जन करने की नीति को सही मानते थे। उनका विश्वास था कि सरकारी एवं सामूहिक कृषि के द्वारा ही दलितों का विकास हो सका है।

डॉ. अम्बेडकर ने आजीवन दलितों के उत्थान के लिए ही कार्य किये, इसीलिए वे 'दलितों के मसीहा' कहलाये। यह उनके प्रयासों का ही फल है कि दलित संपूर्ण भारत में अपनी राजनैतिक, सामाजिक पहचान बनाने में सक्षम हुए हैं। दलितों को आरक्षण मिले - यह भी उनकी नीतियों का हिस्सा था। ■

(लेखक सम्पादक मंडल के सदस्य हैं)

जीवन चरित - सत्रहवीं किस्त

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर - जीवन चरित

■ धनंजय कीर

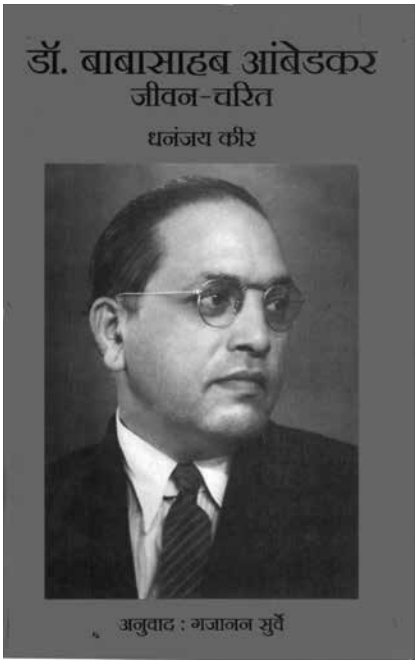

नासिक के नजदीक के एक गांव के अस्पृश्य लोग इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले थे। लेकिन बाबासाहेब ने उनको सलाह दी कि कुछ समय तक रुककर यह देखो कि तुम हिंदू धर्म का उद्धार कर सकते हो या नहीं। हिंदू सन् 1929 में जलगांव में अम्बेडकर ने अस्पृश्यों को सलाह दी थी कि 'विशिष्ट कालावधि में अगर स्पृश्य हिंदुओं ने तुम्हारे दुःख दूर नहीं किए, तो जो धर्म तुम्हारे साथ मनुष्य जैसा बर्ताव करेगा, मनुष्य की भांति तुम्हें इस जगत में खाना, पीना, निवास करना और खुद का उत्कर्ष कर लेना इत्यादि बातों को पूरी स्वतंत्रता देगा, उस धर्म को तुम बिना हिचक स्वीकार करो।' तदनुसार वहां बारह अस्पृश्यों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। मंदिर-प्रवेश के लिए बाबासाहेब ने बड़ा संघर्ष किया; लेकिन उसमें भी वे पूरी तरह से असफल रहे। स्पृश्य हिंदुओं ने अपनी बुद्धि और मन के दरवाजे खोले ही नहीं। स्पृश्य हिंदू पहले जैसे कठोर और पश्चाताप विहीन रहे। यह खबर परिषद् भरने से पहले फैल गई थी कि पिछले दस वर्षों में किए गए आंदोलनों और भावी राजनीतिक सुधारों की दृष्टि से राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति का सिंहावलोकन करने के लिए यह येवला परिषद् अस्पृश्य नेताओं ने बुलायी है।

अम्बेडकर के रेल से येवला जाते समय मार्ग में मेघवाल समाज ने नासिक में उन्हें अल्पोपाहर दिया। नासिक में सहभोज का कार्यक्रम भी हुआ। आगे येवला पहुंचने तक अनेक जगह सत्कार और अल्पोपाहर के समारोह संपन्न हुए। येवला नगरपालिका ने उनका सत्कार किया। तय कार्यक्रम के अनुसार 13 अक्तूबर 1935 को येवला में वह परिषद् आयोजित की गयी। अस्पृश्य समाज के सभी गुटों के दस हजार लोग उस परिषद् में उपस्थित थे। हैदराबाद रियासत और मध्य प्रांत से भी प्रतिनिधि आए थे। अपनी भवितव्यता के बारे में प्रतिनिधियों का उत्साह और जाग्रति देखकर, परिषद् के स्वागताध्यक्ष अमृत धोंड़िबा रणखांबे ने अपने भाषण में कहा, 'अंधः-पतित हिंदू धर्म को ब्राह्मण धर्म कहते हैं क्योंकि इस धर्म ने किसी की घारणा की होगी, तो वह भट-भिक्षुओं की ही।' लगभग डेढ़ घंटे तक अम्बेडकर का अत्यंत भाव पूर्ण भाषण हुआ। अस्पृश्य वर्ग की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो दुर्गति हुई थी, उसका उन्होंने वर्णन किया। अस्पृश्य वर्गीय लोग हिंदू धर्मियों के रक्त-बांधव होने पर भी, उन्हें कितना भयानक शारीरिक कष्ट और दुःख सहने पड़े, इस ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। कालाराम मंदिर-प्रवेश के आंदोलन में पिछले पांच वर्ष उनका अमानुषिक छल हुआ था। उस आंदोलन का निर्देश कर उन्होंने कहा, 'अपने इन्सानियत के मान्य अधिकार प्राप्त करने के लिए और हिंदू समाज में समान दर्जा प्राप्त कर लेने के लिए यह आंदोलन भी विफल साबित हो चुका है। उस आंदोलन के लिए व्यतीत किया हुआ समय, काल और पैसा सब व्यर्थ गए हैं। यह बड़ी दुःखदायी स्थिति है। इसलिए हमें इस बात के बारे में आखिरी निर्णय लेने का समय आ चुका है। अपनी यह दुर्बलता और अवनति की स्थिति इसलिए हम पर आ पड़ी है कि हम हिंदू समाज के अंग है। इसलिए जो धर्म हमें समान दर्जा दे, समान अधिकार दे और हमारे साथ उचित बर्ताव करे, ऐसे किसी दूसरे धर्म में प्रवेश करें, क्या ऐसा आपको नहीं लगता?' तेज आवाज में उन्होंने आगे कहा, 'हिंदू धर्म के साथ जुड़ा संबंध तोड़ दो। स्वाभिमान और शांति मिले ऐसे किसी अन्य धर्म में प्रवेश करो। परन्तु ध्यान में रखो कि जो धर्म आप चुनें उसमें समान दर्जा, समान मौका और समान बर्ताव मिलना चाहिए।' अपने खुद के बारे में उन्होंने कहा कि, 'मैं दुर्भाग्य से अस्पृश्य जाति में पैदा हुआ हूं, यह कोई मेरा अपराध नहीं। लेकिन मरते समय मैं हिंदू के रूप में कभी नहीं मरूंगा।

अपने भाषण के अन्त में उन्होंने नासिक का सत्याग्रह बंद करने को कहा। मंदिर-प्रवेश के लिए पांच साल व्यर्थ गए थे। स्पृश्य हिंदुओं के मन पर उसका

कुछ भी असर नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने अस्पृश्यों के प्रयास मिट्टी में मिला दिए थे। इसके आगे अस्पृश्य समाज हिंदू समाजांतर्गत न रहे, बल्कि उसके बाहर रहकर स्वतंत्र नागरिक के लिए उचित ऐसी भवितव्यता निर्माण करने की दृष्टि से प्रयास करें। अस्पृश्य वर्ग एक स्वतंत्र समाज के रूप में जीने का फैसला कर चुका है, इसकी पूरी जानकारी स्पृश्य हिंदू और बाहरी विश्व को प्राप्त हों, इस तरह बर्ताव करें। हिंदू समाज में अस्पृश्यों का अन्य घटकों की बराबरी से सामाजिक, नागरिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन कर ऐक्य मूलक और बलवान हिंदू समाज निर्माण करने के लिए पिछले दस साल जो निरंतर संघर्ष अस्पृश्य समाज ने किया, उसके बारे में स्पृश्य हिंदुओं ने निष्ठुर और अक्षम्य तुच्छता दर्शाई। इसलिए वह संघर्ष बंद किया जाए; इस अर्थ का प्रस्ताव किया गया। इस तरह का भी प्रस्ताव किया गया। इस तरह का भी प्रस्ताव किया गया कि इसके आगे अस्पृश्य समाज इस तरह के बेकार झगड़ों में अपनी शक्ति व्यर्थ न गंवाते हुए भारत के अन्य समाजों की बराबरी का मान और समानता का स्थान निर्माण करने लिए प्रयत्नशील रहें।

परिषद् समाप्त हुई। अब अम्बेडकर के जीवन में एक नया पर्व शुरू हुआ। इस दिन से अम्बेडकर के आंदोलन का ध्येय और रुख बदल गया। अब वे हिम्मत के साथ, ठोस, परिणामी, गंभीर मार्ग से चलने लगे। अम्बेडकर के धर्मान्तरण के संदेश की वजह से देश की सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक दल और वैचारिक मंडलों को जबरदस्त आघात पहुंचा। अपने धर्म की अस्पृश्य हिंदुओं को दीक्षा देने के लिए ध्यान केंद्रित कर बैठे हुए अहिंदू धर्ममार्तंड हिंदू धर्म की मृत्यु के चीख सुनने के लिए अधीरता से कान लगाकर बैठे। मुसलमान धर्म के नेता अम्बेडकर की ओर लालची निगाह से देखने लगे। ईसाई धर्म के प्रचारक अपनी शक्ति बढ़ाने की दृष्टि से हमें भक्ष्य दिखाई देने लगा, ऐसा सोचकर मन में लड्डू खाने लगे। अम्बेडकर की घोर प्रतिज्ञा के अनुसार अगर बातें घटित होने लगीं तो हिंदू धर्म की कमर ही टूट जाएगी; ऐसा उन्हें लगने लगा। अम्बेडकर को फांसा डालकर पकड़ने के लिए सिख पंथ के नेता भी इच्छा करने लगे।

धर्मान्तरण की भीम गर्जना होने के बाद स्वदेश और विदेश से तारों और पत्रों की 'राजगृह' पर वर्षा हुई। ईसाई और मुस्लिम नेताओं की हलचल शुरू हुई। कन्हैयालाल गौबा नामक विधानसभा के एक मुसलमान सदस्य ने अम्बेडकर को इस आशय का तार प्रेषित किया कि अस्पृश्य समाज को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में समान स्थान और समान अधिकार देने के लिए मुसलमान तैयार हैं और उनके स्वागत के लिए भारतीय मुसलमान तत्पर हैं। उन्होंने अम्बेडकर को आमंत्रण दिया कि अगर अम्बेडकर को मुसलमान प्रतिनिधि के साथ प्रत्यक्ष चर्चा करनी है तो वे 10 अक्तूबर 1935 को बदायूं में आयोजित होने वाली परिषद् के लिए तुरन्त आएं। मेथॉडिस्ट ऐपिस्कोपल चर्च के बंबई के बिशप ब्रेनटन थॉबर्न ब्रैडले ने कहा, 'ईसाई धर्म के जीवनदर्शन के अनुसार कहा जाए तो इतने बड़े समाज को मनोभाव से धर्मान्तरण की आवश्यकता लगे बिना वे हृदय से सच्चे ईसाई बनेंगे, यह असंभव है। अम्बेडकर के धर्मान्तरण का ईसाई चर्च स्वागत कर रहा है क्योंकि उस घोषणा के अनुसार जीवन में उन्नति कर लेने की अस्पृश्य समाज की महत्त्वाकांक्षा दिखाई देती है। अस्पृश्य समाज के नए युग का प्रभात समीप आ गया है। अम्बेडकर की

अब अम्बेडकर के जीवन में एक नया पर्व शुरू हुआ। इस दिन से अम्बेडकर के आंदोलन का ध्येय और रुख बदल गया। अब वे हिम्मत के साथ, ठोस, परिणामी, गंभीर मार्ग से चलने लगे। अम्बेडकर के धर्मान्तरण के संदेश की वजह से देश की सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक दल और वैचारिक मंडलों को जबरदस्त आघात पहुंचा। अपने धर्म की अस्पृश्य हिंदुओं को दीक्षा देने के लिए ध्यान केंद्रित कर बैठे हुए अहिंदू धर्ममार्तंड हिंदू धर्म की मृत्यु के चीख सुनने के लिए अधीरता से कान लगाकर बैठे। मुसलमान धर्म के नेता अम्बेडकर की ओर लालची निगाह से देखने लगे। ईसाई धर्म के प्रचारक अपनी शक्ति बढ़ाने की दृष्टि से हमें भक्ष्य दिखाई देने लगा, ऐसा सोचकर मन में लड्डू खाने लगे। अम्बेडकर की घोर प्रतिज्ञा के अनुसार अगर बातें घटित होने लगीं तो हिंदू धर्म की कमर ही टूट जाएगी; ऐसा उन्हें लगने लगा।

घोषणा उसका प्रतीक है।'

बनारस के महाबोधि संस्था के कार्यवाहक ने अम्बेडकर को तार भेजकर सूचित किया कि अम्बेडकर और उनके अनुयायियों का बौद्ध धर्म स्वागत करता है। एशिया के बहुसंख्य लोगों द्वारा स्वीकार किए हुए बौद्ध धर्म को अस्पृश्य समाज स्वीकार करें, ऐसी उन्होंने आस्थापूर्वक विनती की। उन्होंने इस तरह भी विश्वास दिलाया कि[2], 'बौद्ध धर्म में सामाजिक या धार्मिक विषमता नहीं है। सभी नवबौद्धों को समान मौका और समान अधिकार प्राप्त होंगे ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसमें जातिभेद नहीं। हम कार्यकर्ता भेजने के लिए तैयार हैं।'

अमृतसर के स्वर्णमंदिर संस्था के उपाध्यक्ष सरदार दरिपसिंह दोविया ने अपने तार में अम्बेडकर से कहा कि, 'अस्पृश्यों के लिए आवश्यक सभी बातें सिख धर्म दे सकता है। सिख धर्म एकेश्वरी है। सभी के साथ ममता और समता से बर्ताव करने वाला है।' महात्मा गांधी ने कहा, 'यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अस्पृश्यता का अन्त अत्यंत समीप प्रतीत होने पर भी अम्बेडकर धर्मान्तरण की घोषणा करें। यह मैं समझ सकता हूं कि अम्बेडकर जैसे उच्च शिक्षा संपन्न और उच्च ध्येयनिष्ठ व्यक्ति का गुस्सा अस्पृश्यों का भयानक छल देखकर बेकाबू हो जाता है। लेकिन धर्म मकान या कुर्ता जैसी वस्तु नहीं है कि जो स्वेच्छा से किसी भी समय बदली जा सके। मनुष्य के शरीर की अपेक्षा उसकी अंतरात्मा का धर्म यह एक अविच्छिन्न हिस्सा है।' अपने वक्तव्य के अंत में गांधी जी ने कहा, 'मेरा विश्वास है कि धर्मान्तरण से अम्बेडकर और उनके प्रस्ताव का समर्थन करने वाले लोगों को जो चाहिए वह प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि लाखों अशिक्षित और भोले हरिजन उनका और जिन्होंने अपने पूर्वजों का धर्म छोड़ दिया है, ऐसे व्यक्तियों का नहीं सुनेंगे। स्पृश्य हिंदुओं से उनका हित और अहित संबंधित है, यह ध्यान में आने पर यह घटना असंभव लगती है।' रत्नागिरि में अपनी गिरफ्तारी के समय सामाजिक क्रांति का रणसिंघा फूंकने वाले सावरकर ने भी अस्पृश्य वर्ग से धर्मान्तरण के ध्येय से दूर होने के बारे में अनुरोध किया। 'मुसलमान या ईसाई धर्म का स्वीकार करने से भारत में अस्पृश्यों को समानता का बर्ताव प्राप्त होगा संभव नहीं।' और अपने कहने की पुष्टि में उन्होंने त्रावणकोर में चल रहे स्पृश्य ईसाई और अस्पृश्य ईसाई के बीच के संघर्ष की ओर उनका ध्यान-आकृष्ट किया। अपने निर्भय और आस्था से परिपूर्ण विनती पत्र में सावरकर आगे कहते हैं, 'किसी भी 'इझम' के अर्थ में धर्म को निरूपित करने से उसमें बुद्धि बाह्य और तर्क बाह्य विशिष्ट श्रद्धा होगी ही। आज की परिस्थिति में जिन्हें ये धार्मिक आचार और संकेत निरर्थक या अनर्थकारी भी लगते हैं, वे उन आचार ओर विचारों को छोड़कर अगर जरूरत हो तो बुद्धिनिष्ठ और तर्कनिष्ठ तत्व के आधार पर एक नया धर्म स्थापित करें। अस्पृश्यता का निर्मूलन अब तुरन्त होने वाला हैं। हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्म का स्वीकार करते ही अस्पृश्यों को संपत्ति, अधिकार और नौकरियां परोस कर रखी है, ऐसा नहीं। धर्मान्तरण से उनकी दुर्बलता और दुःख बढ़ जाएंगे। धर्मान्तरण करने वाले भ्रष्ट लोगों के लिए मुगल साम्राज्य जो नहीं कर सका वह अन्य कर सकेंगे, ऐसी बात वे स्वप्न में भी न लाएं। प्रगति प्रिय और सुधारक हिंदुओं के कंधे से कंधा भिड़ाकर अपने उद्धार के लिए वे प्रयास करें।'

राष्ट्रभाषा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्रप्रसाद को धर्मान्तरण के प्रस्ताव से दुःख हुआ। उन्होंने कहा, 'उस प्रस्ताव के मूल में स्थित गुस्से की भावना को हम समझ सकते हैं। परन्तु जिसकी वजह से समाज सुधारकों का कार्य दुष्कर होगा इस तरह की कोई घटना की जाए, दुर्भाग्य की बात है।

अस्पृश्य वर्ग के बंबई के एक नेता बालकृष्ण देवरुखकर ने धर्मान्तरण के रुख का विरोध किया। उन्होंने कहा, 'दिन-ब-दिन अस्पृश्यता कम हो रही है। अतः हिंदू धर्म में रहना ही उचित है। सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में असमानता है ही।' धर्मान्तरण की घोषणा सुनकर नारायण काजरोलकर को सदमा ही पहुंचा। उन्होंने कहा, 'जिन अम्बेडकर ने अस्पृश्यों को उनकी अत्यंत निराशा के समय धीरज दिया, वे ही उन्हें आत्महत्या करने के लिए कहें यह देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता है। धर्म कोई व्यापार की लेन-देन की चीज नहीं।' नागपुर के एक अस्पृश्य नेता ने कहा, 'अस्पृश्य स्पृश्यों के साथ अधिकार प्राप्त करने की चरम कोशिश करेंगे। अम्बेडकर के सहयोगी डॉ. सोलंकी ने भी उस धर्मान्तरण के रुख के प्रति अपनी नापसंदगी दर्शाई। उन्होंने कहा, 'युवा पीढ़ी कुछ उन्नति करेगी। वह अपने उत्कर्ष और समता का झगड़ा न छोड़े।' अम्बेडकर के गोलमेज परिषद् के सहयोगी श्रीनिवासन ने कहा, 'धर्मान्तरण की वजह से अस्पृश्यों की संख्या कम होगी और वे दुर्बल बनेंगे। उनका छल करने वाले प्रबल बनेंगे। वे धर्मान्तरण न कर अपने अधिकारों और तत्वों के लिए संघर्ष जारी रखें, इसी में पुरुषार्थ है।[3]

अम्बेडकर की किसी भी घोषणा को दुनिया भर में इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली थी। वह निर्णय यानी पद दलित लोगों द्वारा निकाली गयी आखिरी चीत्कार ही है। उनकी तिलमिलाने वाली आत्मा की वह चीख थी। उनके असंख्य शारीरिक कष्टों, हर समय हो रहे मानभंग, युगों-युगों से इन्सानियत से वंचित करने वाले उस अमानुषिक छल का उस घोषणा ने फिर एक बार मुंह खोल दिया। सात्विक संताप के तूफान में अम्बेडकर ने यह भयंकर अस्त्र पश्चाताप-शून्य हिंदू समाज पर फेंका था। समाचारपत्रों द्वारा उन्हें एक बार समरांगण में खींचने पर फिर पूछना ही क्या? वे अधिकाधिक त्वेष से अपना प्रहारी गदा घुमाने लगे।

'ऐसोसिएटेड प्रेस' संस्था के

प्रतिनिधि ने उन्हें येवला निर्णय के संबंध में गांधी जी का अभिप्राय सूचित किया। उस समय उन्होंने निश्चय से कहा, 'हिंदू धर्म छोड़ने का अस्पृश्यों का निर्णय सोच-विचार पूर्वक किया गया है। हिंदू धर्म की नींव ही मूलत: असमता पर खड़ी है। उसके नीति तत्व अस्पृश्यों के विकास के लिए पूरी तरह से विरोधी हैं। मनुष्य के जीवन को धर्म की आवश्यकता है। गांधी जी के इस मत से मैं सहमत हूं। मनुष्य के कल्याण और उन्नति के लिए स्फूर्ति प्राप्त हो, उसके धार्मिक आचार-विचारों का नियमन हो; इसके लिए एक परिणाम के रूप में धर्म की जरूरत है। लेकिन जो धर्म विषयक कल्पनाएं किसी व्यक्ति को तिरस्कृत लगने पर भी केवल वह उनके मां-बाप का धर्म है, इसलिए उसके साथ चिपके रहना चाहिए, यह गांधी जी का कहना मुझे स्वीकार नहीं। मैंने धर्म परिवर्तन करने का फैसला किया है। अगर अस्पृश्यों ने मेरा अनुकरण किया तो ठीक है; अन्यथा वे मेरा अनुकरण करते हैं या नहीं, मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा।

निर्दय और मनुष्यता से वंचित सनातनी हिंदुओं पर इस निर्णय का बिलकुल असर नहीं हुआ। जरा ग्रस्त और जीर्ण ऐसी उनकी विचारशक्ति और आंखों से देखने की शक्ति उन्हें छोड़ गयी थी। अशिक्षित ब्राह्मणेतरों को लगा, धर्म निर्णय का काम ब्राह्मणों का है। विक्षिप्त आनंद से मदहोश सनातनी हिंदुओं ने मुक्ति की सांस ली। अस्पृश्यों ने चलाए हुए मंदिर-प्रवेश सत्याग्रह से पिछले पांच वर्षों से हैरान हुए नासिक के सनातनी वृत्ति के हिंदू अब हिंदू धर्म से अस्पृश्यों का उन्मूलन होगा इस कल्पना से आसुरी आनंद से नाचने लगे। अस्पृश्यों की इस नयी घोषणा का विचार करके कालाराम के रथ के जुलूस पर लगाई बंदी उठाने के लिए उन्होंने सरकार के पास अर्जी प्रस्तुत की। ज्ञानी, संस्कृति संपन्न और राजनीतिक विचार प्रधान दृष्टि के लोगों को धर्मान्तरण के प्रस्ताव के बारे में खेद हुआ। जिन नरेशों ने अस्पृश्यता-आंदोलन की सहायता की थी, उनको घोर निराशा हुई होगी। संतप्त एक सिंधी हिंदू ने अपने खून से पत्र लिखकर अम्बेडकर को यह धमकी दी[4] कि, 'अगर हिंदू धर्म का त्याग किया तो तुम्हें जान से मार डालेंगे।'

निर्दय और मनुष्यता से वंचित सनातनी हिंदुओं पर इस निर्णय का बिलकुल असर नहीं हुआ। जरा ग्रसत और जीर्ण ऐसी उनकी विचारशक्ति और आंखों से देखने की शक्ति उन्हें छोड़ गयी थी। अशिक्षित ब्राह्मणेतरों को लगा, धर्म निर्णय का काम ब्राह्मणों का है। विक्षिप्त आनंद से मदहोश सनातनी हिंदुओं ने मुक्ति की सांस ली। अस्पृश्यों ने चलाए हुए मंदिर-प्रवेश सत्याग्रह से पिछले पांच वर्षों से हैरान हुए नासिक के सनातनी वृत्ति के हिंदू अब हिंदू धर्म से अस्पृश्यों का उन्मूलन होगा इस कल्पना से आसुरी आनंद से नाचने लगे।

येवला से बंबई वापस लौटने पर डॉ. अम्बेडकर डॉक्टर सदानंद गालवणकर के घर दो दिन विश्राम के लिए गए थे। वहां हिंदू मिशनरी मसुरकर महाराज ने उनसे भेंट की। मसुरकर महाराज ने कुछ दिन पहले गोवा के 10,000 ईसाइयों को हिंदू धर्म की दीक्षा दी थी। वह मुलाकात तीन घंटे चली। अम्बेडकर ने मसुरकर से कहा, 'अस्पृश्यों के धर्मान्तरण की वजह से हिंदुओं का विशेष नुकसान नहीं होगा।' मसुरकर महाराज ने कहा, 'वह कमी उतने पर ही नहीं रुकेगी। आखिर हिंदू जाति पर उससे मृत्यु की नौबत आ जाएगी।' उस पर अम्बेडकर ने कहा, 'कोई हर्ज नहीं। इसके वास्ते हिन्दुस्तान का इतिहास नहीं रुक जाएगा।' मसुरकर महारान ने उत्तर दिया, 'अगर वैसा होगा तो वह हिंदुस्तान का इतिहास नहीं होगा। वह दूसरे किसी पाकिस्तान जैसे 'स्थान' का होगा।' अम्बेडकर ने कुछ देर रुककर विषण्णता से कहा, 'हां यह सच है। वह कोई आनंद की बात नहीं। लेकिन यह दु:खपूर्ण अंत टालना स्पृश्य हिंदुओं के हाथ में है।' मसुरकर महाराज ने कहा, 'आप कुछ मार्ग बतायें।' उस पर अम्बेडकर ने कहा, 'स्पृश्य हिंदू नेता यह अभिवचन दें कि अमुक कालावधि के अंदर हम अस्पृश्यता के पाप का उन्मूलन करेंगे।' उस पर मसुरकर ने कहा, 'उस समस्या का प्रचण्ड स्वरूप देखते हुए वह समस्या हल होने के लिए कुछ समय लगेगा। स्पृश्य हिंदू नेता इस संदर्भ में प्रयास कर सकें इसके लिए आपको कुछ समय देने की जरूरत है और धर्मान्तरण की घोषणा पीछे ले लेनी चाहिए या धर्मान्तरण का सवाल आगे धकेलना चाहिए।' अम्बेडकर ने ताना मारा, '5 से 10 साल आपके हृदय-परिवर्तन का हम इंतजार करेंगे। लेकिन इस बीच जो अस्पृश्य नेता 'केसरी' की मत प्रणाली के अनुसार एक आदर्श हिंदू है, उस के.के. सकट को एक वर्ष तक शंकराचार्य की गद्दी पर बिठाकर उसके पैरों में एक सौ ब्राह्मण परिवार सामाजिक समता की, स्वीकृति और हृदय परिवर्तन के निर्देशन के रूप में नमस्कार करें।' अम्बेडकर ने आगे यह भी कहा कि, 'हिंदू किसको कहा जाए इसकी निश्चित व्याख्या बतायी जाए।'

अनंतर थोड़े ही दिनों में नासिक

की जाहिर सभा में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रामचन्द्र गणेश प्रधान के नेतृत्व में वहां का एक प्रतिनिधि-मंडल अम्बेडकर से बंबई आकर मिला। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि अस्पृश्यता की रूढ़ि का उन्मूलन करने के लिए वैयक्तिक और सामूहिक रीति से आंदोलन करेंगे।

प्रतिनिधि-मंडल के प्रमुख रा.ग. प्रधान ने अम्बेडकर का मत परिवर्तन करते समय आश्वासन दिया कि हम इस संबंध में सचमुच ही विशेष परिणामकारी कार्य करेंगे, लेकिन आप धर्मान्तरण न करें। अपने स्वभाव की वैशिष्टयपूर्ण रीति से अम्बेडकर ने उत्तर दिया, 'कुछ लोगों को लगता है कि समाज को धर्म की जरूरत नहीं, इस मत से मैं सहमत नहीं। मेरा मत है कि समाज के जीवन और व्यवहार की नींव धर्म पर अधिष्ठित होने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हिंदू समाज की नींव मनुस्मृति प्रणीत धर्म पर अधिष्ठित होने से हिंदू समाज में स्थित सामाजिक विषमता नष्ट करना संभव है क्योंकि हिंदू समाज की नींव ही मनुस्मृति प्रणीत धर्म पर अधिष्ठित है। उसे उखाड़ कर और उसके बदले में अधिक विशाल और न्याय-संगत नींव पर हिंदू समाज अपनी पुनर्रचना करेगा, इस संबंध में मैं एकदम निराश हो गया हूं।'

'धर्मान्तरण 5 वर्ष बाद करना है। उतनी अवधि में अगर स्पृश्य हिंदुओं ने अपनी कृति से अस्पृश्यता निवारण के बारे में कुछ ठोस कार्य कर दिखाया तो धर्मान्तरण के प्रश्न पर हम फिर से विचार करेंगे,' ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। हमारा दलित समाज किसी भी प्रबल समाज में समाविष्ट किया जाए, ऐसा हमारा विचार है।' और उन्होंने आगे कहा कि सिख धर्म स्वीकारने का अपना इरादा है। इस्लाम धर्म का उल्लेख कर उन्होंने कहा, 'जिनकी धार्मिक भावना और व्यवहार में हाथ डागना अत्यंत धोखे का है, ऐसा अगर कोई समाज है तो वह मुसलमान समाज हैं।' अम्बेडकर के मत के अनुसार इस स्थिति से बाहर निकालने का एक ही मार्ग था कि धार्मिक और सामाजिक प्रश्नों पर किसी जनहितेच्छुक सर्वाधिकारी का उदय हो। उन्होंने यह भी कहा कि, 'हिन्दुस्तान में केमालपाशा या मुसोलिनी जैसे सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिकारी की आवश्यकता है। लोकतंत्र हिंदुस्तान के लिए उचित नहीं। मुझे यह आशा थी कि, गांधी जी सामाजिक दृष्टि से सर्वाधिकारी बनेंगे। परन्तु ऐसी स्थिति में सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से कोई सर्वाधिकारी मिलना कठिन है। और जिस अर्थ में युवा पीढ़ी सुखासीन हुई है और उसके रानडे, गोखले या तिलक की भांति ध्येयनिष्ठ न होने से मैं भारत के भवितव्य के बारे में अत्यंत निराश हुआ हूं।'[5] आखिर प्रतिनिधि-मंडल से उन्होंने कहा, 'मेरी धार्मिक भावनाएं मेरी धर्म-विषयक कल्पना के अनुसार अत्यंत प्रबल है लेकिन मैं ढोंगबाजी का तिरस्कार करता हूं, इसलिए मेरा हिंदू धर्म पर विश्वास नहीं।'

येवला-परिषद् का प्रस्ताव कृति में कैसे लाया जाए, इसका विचार करने के लिए तुरन्त ही नासिक रोड पर एक परिषद् बुलायी गयी। भारत की अनेक अस्पृश्य वर्गीय संस्थाओं को अम्बेडकर का धर्मान्तरण विषयी संदेश अनेक पत्रकों द्वारा भेजा गया। इसी समय अम्बेडकर और उनके अनुयायी जल्द ही मुसलमान धर्म स्वीकार करने वाले हैं, ऐसी पीरजमात अल्ली द्वारा फैलाई हुई अफवाह पंजाब के समाचारपत्रों में छपी। यह खबर अम्बेडकर को मालूम होते ही उन्होंने कहा, 'यह सच है कि पीरजमात अल्ली से मैं बंबई में मिला था। उस समय मुस्लिम धर्म का स्वीकार करना संभव है, इस बारे में भी चर्चा हुई। परन्तु उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हुआ था।' दिसम्बर 1935 में अम्बेडकर ने फारस रोड, बंबई में एक सभा में भाषण किया। उस समय उन्होंने कहा कि, 'धर्मान्तरण के प्रश्न को निर्णय जल्द ही होने वाली महार परिषद् में किया जाएगा।' उन्ही दिनों धर्मान्तरण के संबंध में समाचारपत्रों में अनेक पत्र प्रकाशित होने लगे थे। उनमें अधिकतर पत्रों में अम्बेडकर का कड़े शब्दों में विरोध किया गया था। थोड़े ही लोगों ने उनका समर्थन किया। ऐसे अनेक पत्रों और लेखों में से एक पत्र सनातनी सुधारक पंडित सातवलेकर ने लिखा था। उस पत्र में इस वेद पंडित ने कुत्सित बुद्धि से कहा कि अगर अम्बेडकर हिंदू धर्म के बाहर गए तो उन्हें कोई भी नहीं पूछेगा। उस सनातनी पंडित के मतानुसार अम्बेडकर को जो महत्त्व प्राप्त हुआ था, वह उनकी विद्वता, बुद्धिवैभव या अन्य किन्हीं शक्तियों की वजह से नहीं; बल्कि केवल इसलिए कि वे अस्पृश्य जाति के थे। अम्बेडकर ने अपनी जोरदार भाषा में उस बूढ़े पंडित को जोरदार उत्तर दिया। उन्होंने कहा, 'मैंने जिस विषय में अध्ययन किया है, उस विषय में निष्णात हुए ब्राह्मण जाति के किसी भी विद्वान के साथ में बराबरी कर सकता हूं। मैं कहीं भी जाऊं, मेरी विद्वता और बुद्धिमत्ता के अनुरूप जो बड़प्पन मुझे प्राप्त होने वाला है, वह होगा ही। तथापि जिस पंथ में हमारे अपने पददलितों की उन्नति होगी, उस पंथ में कीर्ति और प्रतिष्ठा के बिना जीवन व्यतीत करना मैं अधिक पसंद करूंगा।'

यद्यपि अम्बेडकर धर्मान्तरण की महत्त्वपूर्ण समस्या में व्यस्त थे, तो भी उनके अन्य क्षेत्र के कार्य चल ही रहे थे। कुलाबा जिले के चरीगांव में किसानों की एक परिषद् उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने उन गरीब किसानों के दिल में यह पैठाया कि, 'जमींदार के सुख में उनके दुःख के मूल थे। इसलिए किसानों को उन पर लादी गई गुलामी के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना चाहिए' ऐसा उन्होंने आस्थापूर्वक आह्वान किया। परिषद् के अन्त में एक बड़ी मजेदार घटना हुई, जो अम्बेडकर के व्यक्तित्व पर अच्छा प्रकाश डालती है। अम्बेडकर के मित्र और सहयोग परिषद् के मंडल में कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। इतने में गीली जमीन पर फैली हुई

घास से एक बिच्छु ने अपना सिर ऊपर किया। उसे देखकर वहां शोर मच गया। प्रत्येक व्यक्ति चिल्ला रहा था कि बिच्छू को मारने के लिए जूता या लाठी लाओ। वह देखते ही अम्बेडकर तुरन्त उठकर वहां गए और उन्होंने अपने नंगे पैर के नीचे उस बिच्छू को रौंद दिया।

विधि महाविद्यालय के विविध कार्यों और योजनाओं में अम्बेडकर उत्साह के साथ हिस्सा लेते थे। विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के मन में उनके प्रति कितना आदर था, यह महाविद्यालय की मासिक-पत्रिका के जनवरी 1936 के अंक से दिखाई देता है। अम्बेडकर कानून-विशारद और पंडित दोनों के पूरी तरह से रसायन हैं, ऐसा अभिप्राय देकर संपादकीय स्फुट आगे कहता है, 'अम्बेडकर ख्यातकीर्ति वकील और अर्थशास्त्र का आस्थापूर्वक अध्ययन करने वाले एक व्यासंगी व्यक्ति है। वे संविधान शास्त्र के अधिकारी व्यक्ति हैं, ऐसी उनकी हिंदुस्तान और अन्यत्र कीर्ति है। उनके बारे में अधिक लिखने की जरूरत नहीं। हमने उनसे अनेक बातों की अपेक्षा की है, इसलिए अब उनके बारे में बोलकर हम उन्हें अधिक परेशान नहीं कर सकते। रुकना और देखना ही हम अधिक पसन्द करते हैं।' अम्बेडकर ने अपनी कानूनी शिक्षा के बारे में क्रांतिकारी विचार एक विस्तृत अभ्यासपूर्ण लेख में प्रस्तुत किए। उस लेख का शीर्षक था 'बंबई प्रांत की कानूनी शिक्षा के सुधार संबंधी विचार।' उस लेख में वकालत करने वाले लोगों के छह वर्ग बनाकर उन्होंने यह अभिप्राय दिया कि एक ही धंधा करने वाले इन लोगों को अर्हता, परीक्षा और उनकी प्रतिष्ठा में इतना वैविध्य और वैचित्र्य हो, यह बड़ी दुःख पूर्ण बात है।

विधि महाविद्यालय के विविध कार्यों और योजनाओं में अम्बेडकर उत्साह के साथ हिस्सा लेते थे। विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के मन में उनके प्रति कितना आदर था, यह महाविद्यालय की मासिक-पत्रिका के जनवरी 1936 के अंक से दिखाई देता है। अम्बेडकर कानून-विशारद और पंडित दोनों के पूरी तरह से रसायन हैं, ऐसा अभिप्राय देकर संपादकीय स्फुट आगे कहता है, 'अम्बेडकर ख्यातकीर्ति वकील और अर्थशास्त्र का आस्थापूर्वक अध्ययन करने वाले एक व्यासंगी व्यक्ति है। वे संविधान शास्त्र के अधिकारी व्यक्ति हैं, ऐसी उनकी हिंदुस्तान और अन्यत्र कीर्ति है। उनके बारे में अधिक लिखने की जरूरत नहीं। हमने उनसे अनेक बातों की अपेक्षा की है, इसलिए अब उनके बारे में बोलकर हम उन्हें अधिक परेशान नहीं कर सकते।

कानूनी शिक्षा के पाठ्यक्रम में पूर्णता कैसी आयेगी, इस संबंध में लिखते हुए उन्होंने कहा, 'वकील को न्याय शास्त्र के मूलभूत तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। उसे सामान्य ज्ञान की जानकारी अपेक्षित है। उसे विषय प्रस्तुत करने की कला अवगत होनी चाहिए। घटनाओं का निवेदन करते समय उसे भूल-चूक न हो इस पर ध्यान देना चाहिए। स्पष्ट भाषा में उसे अपनी बात समझकर कहना आना चाहिए। उसे जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, वे परस्पर संबंधित होने चाहिए। शिक्षाविदों की दृष्टि से कहा जाए, तो न्यायशास्त्र के अध्ययन के लिए अन्य पूरक विषयों के अध्ययन का साथ मिलना आवश्यक है; अन्यथा केवल न्याय शास्त्र का अध्ययन वकालत व्यवसाय के लिए अधूरा ही पड़ेगा। वकील के स्वभाव में वकालत की मनोवृत्ति होनी चाहिए।' उदाहरण स्वरूप उन्होंने आगस्ताइन बिरेल का एक कथन पेश किया। 'न्याय शास्त्र में रमा हुआ मनुष्य खुल्लमखुल्ला तथ्यों को मुख्यतः ठोस ढंग से प्रस्तुत करता है और सामान्य सिद्धान्तों को सोच-वियार करके प्रस्तुत करता है।'

धर्मान्तरण की मुख्य समस्या अम्बेडकर ने वैसी ही अधूरी नहीं छोड़ दी थी। दिनांक 12-13 जनवरी, 1936 को प्रोफेसर एन. शिवराज की अध्यक्षता में पुणे में धर्मान्तरण समस्या पर निर्णय लेने के लिए परिषद् बुलायी गयी। अपने अध्यक्षीय भाषण में एन. शिवराज ने कहा, 'अस्पृश्यता के पाश से छुटकारा पाने का मेरी दृष्टि से एक ही मार्ग है कि हिंदू धर्म को छोड़ने के बाद दूसरे किसी भी प्रचलित धर्म के प्रवेश न करते हुए कोई नया धर्म स्थापित करना था आर्यों द्वारा हिंदू धर्म और उसके रीति-रिवाज हिंदुस्तान में लाने से पहले के आदि-द्रविडों के प्राचीन धर्म का पुनरुज्जीवन करना।'

अम्बेडकर के बोलने के लिए खड़े होते ही सारी परिषद् उनके जयघोष से गूंज उठी। उन्होंने धर्मान्तरण की घोषण ाा का पुनरुच्चार किया। इस महाराष्ट्रीय अस्पृश्य वर्गीय युवकों की परिषद् में मुख्यतया तीन बातें दृष्टिगोचर हुईं। पहली बात यह कि डॉ. पुरुषोत्तम सोलंकी ने यद्यपि पहले धर्मान्तरण के विचार का विरोध किया था, फिर भी अब उन्होंने कलैया मारते हुए अम्बेडकर के साथ सहमति जाहिर की। उन्होंने अम्बेडकर के धर्मान्तरण

के विचार का समर्थन किया। उन्होंने अम्बेडकर से यह विनती की कि इसके आगे एक क्षण के लिए भी असंघटित हिंदू धर्म में अस्पृश्य वर्ग को न रखा जाए। उनके लिए अब एक स्वतंत्र धर्म की स्थापना की जाए। उन्होंने मत व्यक्त किया कि दलित वर्ग के लिए न संत चाहिए, न वेद, न गीता, न शंकराचार्य और न ही प्रेषित; सिर्फ अम्बेडकर ही चाहिए। दूसरी बात यह कि धर्मान्तरण की समस्या पर चमार समाज का मतभेद होने से वह अम्बेडकर के आंदोलन से दूर जाने लगा। तीसरी बात यह कि जिस तरह महात्मा गांधी ने गुरुवायुर मंदिर-प्रवेश के लिए प्रस्तावित अनशन की मुद्दत बढ़ाई और वह अनशन कभी किया ही नहीं; उसी तरह अम्बेडकर ने धर्मान्तरण करने का दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। उन्होंने यह प्रकट किया कि जो धर्म हमसे समान दर्जे का बर्ताव करेगा, उस धर्म में मैं और मेरा समाज प्रवेश करेगा। उन्होंने येवला परिषद् के बाद एक मुलाकात में जारि किया कि अपने पीछे लोग आएं या न आएं, अब हम धर्मान्तरण किए बिना नहीं रहेंगे।

तथापि, अन्य किसी भी धर्म में जाने की वजह से हमारी नरक यातनाएं रुक जाएंगी और हमें समता का स्वर्ग प्राप्त होगा, ऐसी गलत कल्पना करने वाले अपने अनुयायियों को उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म में प्रवेश करने पर भी हमें स्वतंत्रता और समता के लिए संघर्ष करना अटल है। उन्होंने कहा 'हमें इस बात का पूरा अहसास है कि हम कहीं भी जाएं, ईसाई, मुसलमान या सिख धर्म में जाएं; तो भी अपने कल्याण के लिए हमें खुद ही संघर्ष करना चाहिए। यह समझना मूर्खता है कि अगर हम मुस्लिम धर्म में गए तो हममें से हर एक नवाब बनेगा या ईसाई धर्म में गए तो पोप बनेगा। हम कहीं भी जाएं हमारी तकदीर में संघर्ष अटल ही है। स्पृश्य हिन्दू सामाजिक समता का संघर्ष जारी रखें, यह जो समझौते की शर्त है, उस शर्त का हिंदू कभी भी पालन नहीं करेंगे। क्योंकि यह कोई रोटी का सवाल नहीं। इस समस्या के पीछे निश्चय ही कुछ दैवी उद्देश्य है, इसमें कोई संशय नहीं। अन्यथा करोड़ों रुपयों का लालच और उपहार परस्पर विरोधी गुटों की तरफ से (निजाम से)[6] आगे नहीं आते। ईश्वर की कृपा न होती तो यह घटित न होता। गांधी जी द्वारा शुरू की हुई हरिजन निधि के बारे में अम्बेडकर ने कहा, 'उस निधि का इस्तेमाल अस्पृश्य-वर्गीय को स्पृश्य हिंदुओं का गुलाम बनाने में होने वाला है। स्पृश्य हिंदू सहायता करें या विरोध हम धर्मान्तरण का फैसला कर चुके हैं। अब अगर साक्षात परमात्मा भी अवतरित हो और मैं हिंदू धर्म को न छोडूं इस तरह से मेरा मन परिवर्तित करने लगे, तो भी मैं अपने दृढ़-संकल्प से तनिक भी टस से मस नहीं होऊंगा।' अम्बेडकर का भाषण जब हो रहा था तब बीच-बीच में तालियों की गड़गड़ाहट होती थी। बार-बार घोषणाएं होती थीं; इससे यह दिखाई देता है कि उनके भाषण से उनके अनुयायियों और सहयोगियों के विचार को अच्छी उत्तेजना मिली थी। अम्बेडकर के कार्यक्षेत्र के उन युवकों को परिषद् में अम्बेडकर का पक्ष विजयी हुआ। तथापि अम्बेडकर निश्चय ही वंचित हुए। समाचारपत्र और राजनैतिक मत के हजारों हिंदुओं के मन में डर निर्माण हुआ। महार समाज के अतिरिक्त अन्य अधिकतर अस्पृश्य समाज के नेताओं ने अम्बेडकर के इस पैंतरे पर कड़े शब्दों में नापसंदगी व्यक्त की। क्योंकि उनके मतानुसार धर्मान्तरण से उनके ऐहिक और आर्थिक जीवन में विशेष कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला था। इसके विपरीत उन्हें ऐसा लगता था कि उसके भयंकर दुष्परिणाम ही होंगे। जिन शूर, प्रामाणिक, नेक, स्पृश्य हिंदू कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अस्पृश्यों को सामाजिक समता दिलाने के लिए अपना जीवन व्यतीत किया था, उनको इस धर्मान्तरण के पुनरुच्चार से बहुत गुस्सा आ गया। अस्पृश्यों के समूचे इतिहास में उन्हें कभी भी निर्माण नहीं हुआ इतना धोखा निर्माण हुआ। उनमें से कुछ लोगों को ऐसा लगा कि अम्बेडकर की मनोवृत्ति पलायनवादी है। ईसाई और मुसलमान दोनों ने अस्पृश्यों को अपने-अपने धर्म में खींचने के लिए अनेक शताब्दियों तक आंदोलन किया। वह आंदोलन अस्पृश्यों की नरक यातना को रोकने में असमर्थ और उन्हें स्वर्गीय सुख देने में भी कैसा विफल साबित हुआ था; इस बात की ओर उन्होंने अम्बेडकर का ध्यान आकृष्ट किया। धर्मान्तरण के आंदोलन का इतिहास अम्बेडकर की दृष्टि को पुष्टि नहीं देता। परंपरा और धार्मिक रीति-रिवाज के बंधन इतने गहरे पैठ गये होते हैं कि भ्रष्ट हिंदू भी परधर्म में अनजाने में उन्हें वैसा ही जारी रखते हैं। इसलिए अस्पृश्य वर्ग उसी तरह लड़े, जिस तरह अम्बेडकर आज तक अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए सुधारक हिंदुओं के कंधे से कंधा लगाकर शौर्य से लड़ रहे थे। उन्होंने अम्बेडकर से आस्थापूर्वक अनुरोध किया कि पलायनवादी की भांति लड़ाई से पलायन न करें। एक और दूर दृष्टि संपन्न सामाजिक सुधारकों का छोटा गुट था। उसने भी अपना मत व्यक्त किया और हिंदू समाज की पुनर्रचना और हिंदू धर्म का पुनरुज्जीवन करने के लिए अम्बेडकर एक देवदूत के रूप में अवतरित हुए हैं, ऐसा उन्होंने अम्बेडकर का वर्णन किया। जिनमें धर्मान्तरण समस्या की गंभीरता और महत्ता समझने की पात्रता नहीं थी, उनको अम्बेडकर की घोषणा एक मामूली धमकी है, एक ढकोसला है ऐसा लगा। धर्मान्तरण के बाद हमें स्वर्गीय सुख प्राप्त होगा इस बात ने अम्बेडकर के मन को मोहित किया था, ऐसा उनके बारे में कहना उचित नहीं। सवर्ण हिंदुओं के प्रवक्ता इस समय की और एक दृष्टि से देखते थे तो धर्मान्तरण के कट्टर समर्थक उस समस्या को दूसरी दृष्टि से देखते थे। रेंगती हुई अस्पृश्यता

की समस्या को अम्बेडकर ने जोरदार उत्तेजना देकर मानवी अधिकारों के लिए अपने लोगों द्वारा चलाए गए संघर्ष को पुनश्च एक बार गति प्रदान की। उन्होंने अपने मूल स्वभाव के अनुसार दिलोजान से सारी शक्ति एक करके मनोबल से उस संघर्ष को निश्चित निर्णय तक पहुंचा दिया। प्राण घातक रोगों पर जालिम उपाय करने पड़ते हैं। हिंदुओं की नस-नस में समाए इस अस्पृश्यता के सामाजिक रोग का निर्मूलन करने के लिए बिजली के झटके आवश्यक थे। अम्बेडकर ने उसे अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया। अत्यंत उदात्त धार्मिक वातावरण में जिनकी बचपन से परवरिश हुई, वे अम्बेडकर, और समाज की शुद्धि करने वाले और मूर्ति भंजक अम्बेडकर, इन दोनों में यह संघर्ष शुरू हुआ था। अस्पृश्यता के उच्चाटन के लिए शुरू किए संघर्ष के पूर्वार्ध में अम्बेडकर यह कहते थे कि हिंदू धर्म केवल सवर्ण हिंदुओं की ही संपत्ति नहीं है। चमार स्त्री के मुस्लिम धर्म स्वीकारने की खबर सुनते ही वे उस समय बैचेन हो जाते थे। जब तक स्पृश्य हिंदू अस्पृश्यों को हिंदू संबोधित करते थे, तब तक उन्हें मंदिर में प्रवेश अधिकार मिलना चाहिए इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। अस्पृश्य वर्गीय अपने संघर्ष से हिंदू धर्म को शुद्ध कर अपने खून से उस पर लगी हुई कालिमा दूर करेंगे, ऐसी उस समय उन्होंने घोषणा की थी। मसुरकर महाराज और कुछ अन्य हिंदू मिशनरियों को गोवा की पुर्तगाली सरकार ने जब गिरफ्तार किया था, तब गोवा की पुर्तगाली सरकार को जो निषेधपरक निवेदन तार से भेजा गया था, उस पर अम्बेडकर[7] ने भी हस्ताक्षर किए थे। गोलमेज परिषद् के समय अल्पसंख्यक समिति को प्रस्तुत किए गए निवेदन में अस्पृश्यों को प्रोटेस्टंट हिंदू कहा जाए, ऐसी इन्होंने मांग की थी। इन सब में विशेष ध्यान में रखने की बात है पुणे-करार पर किया हुआ उनका हस्ताक्षर! अम्बेडकर द्वारा अलग-अलग समय हिंदू धर्म में रहने के लिए प्रदर्शित की हुई इच्छा और उनकी तिलमिलाहट भी इन बातों से स्पष्ट हुई थी। इस युवा अस्पृश्य वर्गीय परिषद् के बारे में एक और बात दर्ज करने लायक है। परिषद् के दिनों में डॉ. सोलंकी के साथ अम्बेडकर पुणे के सिखों के भजन के कार्यक्रम में 13 जनवरी, 1936 को उपस्थित थे। उस समय सिख नेताओं ने उनसे विनती की थी कि अम्बेडकर सिख धर्म का स्वीकार करें। उसी सप्ताह में पुणे में दो मुसलमान प्रतिनिधि मंडलों ने अम्बेडकर से भेंट की और उन्हें मुस्लिम धर्म स्वीकारने की विनती की।

अस्पृश्यता के उच्चाटन के लिए शुरू किए संघर्ष के पूर्वार्ध में अम्बेडकर यह कहते थे कि हिंदू धर्म केवल सवर्ण हिंदुओं की ही संपत्ति नहीं है। चमार स्त्री के मुस्लिम धर्म स्वीकारने की खबर सुनते ही वे उस समय बैचेन हो जाते थे। जब तक स्पृश्य हिंदु अस्पृश्यों को हिंदू संबोधित करते थे, तब तक उन्हें मंदिर में प्रवेश अधिकार मिलना चाहिए इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। अस्पृश्य वर्गीय अपने संघर्ष से हिंदू धर्म को शुद्ध कर अपने खून से उस पर लगी हुई कालिमा दूर करेंगे, ऐसी उस समय उन्होंने घोषणा की थी। मसुरकर महाराज और कुछ अन्य हिंदू मिशनरियों को गोवा की पुर्तगाली सरकार ने जब गिरफ्तार किया था, तब गोवा की पुर्तगाली सरकार को जो निषेधपरक निवेदन तार से भेजा गया था, उस पर अम्बेडकर[7] ने भी हस्ताक्षर किए थे।

इन युवकों की परिषद् ने अम्बेडकर की घोषणा को एकनिष्ठता से साथ दिया और यह सिफारिश की कि सामूहिक कृति का महत्त्व सब लोग ध्यान में रखें।

संदर्भ

1. केलकर न.चि., गतगोष्टी, पृ. 959
2. The Times of India] 18 October 1935.
3. The Times of India, 16 October 1935.
4. विविधवृत, 3 नवम्बर 1935.
5. The Times of India, 20 November 1935.
6. दोंदे आचार्य मो.वा., जनता 14 अप्रैल, 1951.
7. क्षीरसागर गं.धो., गोमांतकशुद्धीचा इतिहास, परिशिष्ट पृ. 32.

अध्याय 14

हिंदू समाज की पुनर्रचना

जनवरी 1936 से अम्बेडकर लाहौर के जाति-पांति भंजक मंडल और वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्ष पद से किये जाने वाले भाषण की तैयारी कर रहे थे। वह सम्मेलन लाहौर में 'ईस्टर' त्यौहार के दिनों में संपन्न होने वाला था। उस सम्मेलन का अध्यक्ष-पद अम्बेडकर स्वीकार करें इस तरह का साग्रह अनुरोध वहां की जातिभेद विरोधी संस्था के नेताओं ने उन्हें किया था। उसके लिए इंद्रसिंह नामक एक कार्यकर्ता पंजाब से आकर बंबई में अम्बेडकर से मिले। डॉ. गोकुलचंद नारंग नाम विद्वान, अमीर और प्रसिद्ध नेता अम्बेडकर से विशेष विनती की थी कि सम्मेलन के दिनों में अम्बेडकर उनके

अतिथि के रूप में उनके घर पर रहें।

पुणे में युवकों की परिषद् के सम्मुख अम्बेडकर ने जो भाषण दिया, उसको साथ देने वाले चहेतों और हितचिंतकों के पत्र उन्हें प्राप्त हुए, वैसे ही विरोधियों और आलोचकों के पत्र भी प्राप्त हुए। वर्णाश्रम धर्म उनकी शिकायतें दूर करेगा, ऐसा कुछ लोगों का मत था। वर्णाश्रम धर्म के आधार पर समाज की पुनर्रचना करना मुश्किल है; सच्चा मार्ग एक ही है, जातियों का विनाश करना ऐसा अन्य अनेक लोगों का मत था। पंडित मदनमोहन मालवीय जैसे नेता नासिक जाकर अस्पृश्य हिंदू सचमुच धर्मान्तरण निर्माण करने वाली वह भयंकर घोषणा जिस विभाग से निकली, उस विभाग को स्पृश्य हिंदू भेंट दें।

15 मार्च, 1936 को बंबई में चित्तरंजन नाटक मंडली ने 'बांबे थिएटर' में अम्बेडकर का सत्कार किया। उस समय वह नाटक मंडली आप्पा साहब टिपणिस लिखित 'दक्खन का दीया' इस लोमहर्षक नाटक के प्रयोग करती थी। उस नाटक में पेशवाई के समय अस्पृश्यों के साथ कितनी अमानुष रीति से बर्ताव किया जाता था, उस संबंध में कुछ प्रसंग रेखांकित किए गए थे। पुणे के रास्तों से जाना-आना करना हो तो महार जाति के अस्पृश्यों को गले में मिट्टी का घड़ा और कमर में पेड़ की डाली लगानी पड़ती थी। अम्बेडकर नाटक का प्रयोग देखने जाने वाले है, यह खबर फैलते ही वहां काफी भीड़ लग गई। नाट्यगृह में चींटी को भी प्रवेश करने के लिए जगह नहीं थी।

सत्कार के समय अनंत हरि गद्रे प्रमुख वक्ता थे। गद्रे अत्यंत आस्थापूर्वक अस्पृश्यता निवारण का कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं में से एक अगाड़ी के वीर, महाराष्ट्र के सामाजिक समता के एक बड़े पुरस्कर्ता थे। अपने भाषण में गद्रे ने कहा कि, 'अस्पृश्यों के साथ पेशवाकालीन महाराष्ट्र में इतने अपमानास्पद और अमानुष रीति से बर्ताव किया जाता था कि नाटक में अभिनय करने वाले नट भी उनकी भांति गले में मिट्टी का बर्तन बांधकर रंगमंच पर आने के लिए शरमाते हैं।'

मार्च 1936 के अंत में जाति-पांति-भंजक मंडल ने अपना सम्मेलन मई महीने के मध्य तक स्थगित करने के लिए अम्बेडकर को सूचित किया। अम्बेडकर जैसे खुले 'हिंदू धर्म द्रवेष्टा' की सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई, यह देखकर पंजाबी समाचारपत्रों में बड़ी खलबली मच गयी थी। सनातनी लोगों ने तो जांति-पांति-भंजक' मंडल की कड़ी आलोचना की। इसका नतीजा यह हुआ कि भाई परमानंद, गोकुलचंद नारंग, महात्मा हंसराज और राजा नरेन्द्रनाथ जैसे प्रवीण नेताओं को भी मंडल के साथ के अपने संबंधों को तोड़ना पड़ा। अम्बेडकर को लाहौर की परिस्थिति की जानकारी देने के लिए संतराम ने हरभगवान नामक व्यक्ति को अम्बेडकर से भेंट करने के लिए बंबई भेजा। 9 अप्रैल को वे अम्बेडकर से मिले। अम्बेडकर से भेंट करने के लिए बंबई भेजा। 9 अप्रैल को वे अम्बेडकर से मिले। अम्बेडकर के अध्यक्षीय भाषण का जितना भाग पूरा हो गया था, उतना वे छापने के लिए ले गए। दूसरे दिन अम्बेडकर भी अमृतसर जाने के लिए तैयार हो गए। वहां सिख मिशनरी परिषद् 13 और 14 अप्रैल को संपन्न होने वाली थी। उस सिख मिशन की परिषद् के लिए सिख लोग प्रचण्ड संख्या में उपस्थित थे। अस्पृश्य वर्गीय लोग भी पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से परिषद् के लिए आये थे। सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश सरदार बहादुर हुकुम सिंह ने अध्यक्ष पद विभूषित किया था। उस परिषद् में भाषण करते समय अम्बेडकर ने कहा, 'सिख धर्म के सामाजिक समता के तत्व मुझे स्वीकार है। धर्मान्तरण कब करना है यह भले ही अभी तक तय नहीं हुआ हो, फिर भी हिंदू धर्म का त्याग मैं करने वाला हूं यह निश्चय ही तय हुआ है।' सर जोगेंद्र सिंह जी ने धर्मप्रसार का जीवित कार्य समझकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने विनती की कि उस कार्य के लिए एक निधि इकट्ठी की जाए और उसे सिख लोग ही इकट्ठा करें। इस परिषद् के बारे में एक महत्त्वपूर्ण बात कहने की है कि केरल के थिय्या समाज के नेता डॉ. कुहीर और चार अन्य नेताओं तथा अन्य प्रांतों के पचास अस्पृश्य प्रतिनिधियों ने उस परिषद् के समय सिख धर्म को स्वीकार किया।

हम सिख मिशन की परिषद् के लिए अमृतसर जाने वाले हैं, इस संबंध में अम्बेडकर ने हर भगवान के पास एक शब्द भी नहीं निकाला था। इसीलिए लाहौर से हर भगवान जी ने अम्बेडकर को लिखा, 'मेरे यहां पहुंचने पर मुझे मालूम हुआ कि आप अमृतसर आए थे। मेरा स्वास्थ्य ठीक होता, तो मैं आप से वहां मिला होता।' अम्बेडकर ने सिख मिशन की परिषद् में हिस्सा लेने से उनके बारे में जाति-पांति-भंजक मंडल के मन में संशय को और बल मिला। इसलिए उन्होंने अम्बेडकर अपने नियोजित भाषण से जाति-पांति-भंजक मंडल को पसंद न आये हुए भाग को काट दें, ऐसा अनुरोध किया और परिषद् अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की। अम्बेडकर के भाषण में श्रुति, स्मृति और वेद के बारे में कठोर उल्लेख था। वह उन्हें हटाना था। 'मैं उसमें से एक भी शब्द नहीं बदलूंगा,' उन्हें ऐसा उत्तर देकर अम्बेडकर ने वह कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। अम्बेडकर जान गए थे कि जाति-पांति-भंजक मंडल के इस फैसले का शायद यही कारण रहा होगा कि हम सिख नेताओं के साथ गोपनीय विचार-विमर्श चल रहा था। हम हिंदू के रूप में यह आखिरी भाषण कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपने मनोनीत अध्यक्षीय भाषण में कहा। इसलिए जाति-पांति-भंजक मंडल ने अम्बेडकर को अध्यक्ष के रूप में स्वीकृति देने से अंत में नापसन्दगी दर्शायी। ■

(पॉपुलर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित धनंजय कीर की लिखी पुस्तक डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जीवन चरित से साभार)

(क्रमशः शेष अगले अंक में)

आदिवासी जीवन एवं संस्कृति : एक सिंहावलोकन

■ शीला नरेन्द्र त्रिवेदी

मध्य प्रदेश के झाबुआ, आलीराजपुर जिले... आदिवासी बहुल क्षेत्र... अपने आप में एक अनुपम, अनूठी छबि छुपाये हुए गरीबी एवं पिछड़ेपन की मैली कुचैली चादर ओढ़े हुए... फिर भी, फिर भी इस गरीबी, अभाव, कष्टों का, इनकी सुगठित देह पर, लेशमात्र भी कोई प्रभाव नहीं... नामो निशां नहीं...

इनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता, जो शायद ही दुनिया के किसी कोने में देखी जा सकती है... वह है इनकी फ़क्कड़ता, अलमस्ती, निश्चिंतता-सिर्फ आप और हम नहीं... दुनिया का हर मानव.. जिंदगी के झमेलों में उलझा, चिंता के भार से दबा हुआ है... किंतु ये लोग जिंदगी की उलझनों से मुक्त हैं... निश्चिंत हैं... बेफ्रिक हैं... कोसों दूर हैं। क्या आप और हम ऐसी फ़ाकामस्ती में जी सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं... जीवन जीने के लिए सारे उपकरणों के बावजूद भी हम चिंता और फिक्र का दामन नहीं छोड़ पाते और ये... अरे! जनाब... इनकी फक्कड़ता और फाका मस्ती का क्या कहना? चिन्ता नाम की कोई चीज या कोई अल्फ़ाज, इनके जीवन में उसी तरह संभव नहीं... जैसे नेपोलियन के शब्द कोष में... असंभव शब्द...

सुबह मिला खाने... रूखा-सूखा... खा लिया... हमारी तरह विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों की चाट... इन्हें नहीं.. मक्का की बड़ी-बड़ी रूखी-सूखी रोटियां... कच्ची अमिया (कैरी), हरी मिर्च, नमक और प्याज मिल जाए, प्याज चाकू से कहां और कौन काटे? मुट्ठी के प्रहार से फोड़ा छीला, दांतों से तोड़ा, चबाया और निगला... ये भोजन... इनके लिए किसी राजा-महाराजा के शाही छप्पन भोग से कम नहीं... बड़े चाव से खाकर... लोटा भर पानी पीकर दाड़की (मजदूरी) करने में जी जान से ऐसे जुट जाएंगे जैसे 'शाही भोजन' से इनमें 'असीम-शक्ति' का संचार हो गया हो... सुबह खाया है... न मिला तो कोई गम नहीं... पानी पीकर ही ऐसी चैन की नींद सोयेंगे जैसे भरपेट भोजन करके सोये हों। दाड़की करते-करते थोड़ा थक गए हों, तो जमीन पर ही थोड़ी देर आराम कर लेते हैं...

सूर्योदय होते ही अपने गेती, फावड़े, हंसिया (दशंता) उठाये कंधों पर... और चल पड़े मजदूरी करने। घर की महिलाएं अल सुबह जल्दी उठकर भोजन पानी की व्यवस्था कर लेती हैं। नन्हें-नन्हें बच्चों को गोद में उठाकर या पीठ पर लादे 'झांसी की रानी' की तरह आदिवासी महिलाएं पुरुषों के साथ 'कंधे-से-कंधा' मिलाकर 'दाड़की' पर निकल पड़तीं हैं। बड़ी ही मेहनतकश होती हैं ये। हमारे समाज में यह जरूरी नहीं कि हर महिला 'कामकाजी हो, लेकिन इनमें हर बच्चा छोटा या बड़ा व हर महिला कमाती है जिसे ये लोग 'दाड़की पर जाना' कहते हैं... आप इन्हें परिवार नियोजन की शिक्षा देने जाएं... भीली भाषा में ऐसा करारा

जवाब मिलेगा कि साहब, आपकी बोलती बंद हो जाएगी।

आप इनसे कहिए - इतने सारे बच्चे? आप परिवार नियोजन अपना लीजिए... ज्यादा बच्चे? अच्छी बात नहीं है। अब जरा इसका जवाब भी सुन लीजिएगा... ''हमरा ओतरां पुरियां, तुहं कोई तकलीफ? हमरा जोतरां पुरियां होए ओतरा वारू। दहाड़की जाई, पोइंशा पाड़ले। तोतरा मानसा होवे नोतरो वारू. .. हमुं तो अपरेसन नहीं कराड़ जे, खेत मां काम कुण करसे? पुरियां नी होवे तो डाहवारा में कुण खवाड़से।''

अर्थात् हमारे इतने बच्चे हैं तो आपको क्या तकलीफ है। जितने बच्चे हों उतना अच्छा-मजदूरी करेंगे, पैसा कमायेंगे... बच्चे नहीं होंगे तो हमें बुढ़ापे में कौन खिलायेगा।

आदिवासी महिलाएं कठोर परिश्रमी होतीं हैं। सुबह जल्दी उठकर घट्टी से आटा पीसेंगी, ओखली में धान खांडेंगीं... जल्दी भोजन बनायेंगीं दिनभर खेत में काम करेंगीं। शाम को घर आकर पुनः पूरे परिवार के लिए भोजन बनायेंगीं... दूर से पानी सिर पर घड़ों पे घड़े, कमर व हाथ में भी घड़े रखकर लायेंगीं। सब्जी घर के आंगन में या पिछवाड़े में हो तो ठीक अन्यथा चटनी ही काफी है- खेत में हरी मिर्च हो तो ठीक अन्यथा लाल मिर्च पत्थर पर कूटी, पीसी, रोटियों पर रखी और खा ली। आटा कम है तो मक्का की राबड़ी या गेहूं भुट्टे उबालकर 'घुघरी' बना ली और गुड़ के साथ खा लिया। भुट्टे के मौसम में खेत की मेड़ पर भुट्टे सेंके और भरपेट खा लिये, नो टेंशन... इसी तरह हरे चने सेंके और खा लिए... हरा-भरा ताज़ा तरीन विटामिन्स से भरपूर पौष्टिक भोजन है, इनकी इनके जीवन में चिंता नहीं 'मुस्कान' बिखरी है... वह 'मधुर मुस्कान' जो हर हाल में इनकी अपनी है... आप और हम ऐसी बदहाल जिंदगी जी सकते हैं? नहीं... साहब... नहीं, चिंता के मारे या तो बिस्तर पकड़ लेंगे या फिर सूखकर कांटा हो जाएंगे। बाजार से यह केवल नमक और कपड़े ही खरीदते हैं, बाकी यहीं खेत में उगाते हैं और ऐश करते हैं। तिल या डोली (महुए का फल) का तेल खाते हैं। डोली के तेल से साबुन भी बना लेते हैं।

कन्या का जन्म इनमें बहुत ही शुभ माना जाता है। हांलाकि वारिस (बेटे) के लिए दो या तीन शादियां भी कर लेते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, पति पत्नी मिलकर हर काम करते हैं। उम्र का तकाज़ा इनमें नहीं... छोटी या बड़ी उम्र की युवती अपने से छोटे उम्र के युवक से विवाह कर लेती है। वैसे भी ये लोग बड़ी उम्र की लाड़ी (दुल्हन) लाते हैं वो इसलिए कि वह घर-गृहस्थी के साथ खेती-बाड़ी का काम भी निपुणता के साथ संभाल लें। शादी में सफेद साड़ी पर हल्दी के छापे (हाथ) वाली साड़ी और बांस की टोकरी जिसे 'उडे' कहते हैं और जो बेहद खूबसूरत, रंगीन और कलात्मक होती है 'दुल्हन' मिठाई भरकर अपने साथ लाती है... बहुत एडवान्स हैं... पाश्चात्य संस्कृति की छाप इन पर है। विवाह में किसी पंडित या पुरोहित की कतई जरूरत नहीं है... गांव का मुखिया ही शादी करवा देता है। वर पक्ष के लोगों से 'वधू पक्ष' मनचाहा एवं मुंह मांगी दहेज वसूलता है, अच्छी खासी खातिरदारी करनी पड़ती है-बारात... पैदल या ट्रैक्स, बोलेरो या बैलगाड़ी से भी जाती है... कोई धर्मशाला या होटल बुकिंग नहीं... गांव के बाहर छायादार वृक्ष के नीचे ठहरती है... दाल-चावल का भोज दिया जाता है... लड़की वाले दहेज में मुर्गा, बकरे का भोज लेते हैं- अनाज, बर्तन, चांदी के जेवरात, शराब, नकद रुपये भी लेते हैं।

इनके चांदी के जेवरात काफी वजनी और आकर्षक होते हैं, जैसे- गले में हंसली, तागली, हाथ-पैर के भारी भरकम कड़े, पायल, बिछिया, करधनी कान के झेले (लटकन) सिर का बोर (मांग टीका) कंगन, करमदी, अंगूठियां आदि... जब ये जेवरात पहनती हैं, तो बहुत सुंदर और आकर्षक लगती हैं। लगता है जैसे स्वर्ग की अप्सराएं धरा पर उतर आई हों।

आदिवासी लोग भूत-प्रेत, डायन जादू टोने में बेहद विश्वास रखते हैं। कई बीमारियों के इलाज के लिए ये अस्पताल और डॉक्टर्स के मुहताज़ नहीं, तंत्र-मंत्र के द्वारा बड़वे-भोपे, छोटी-मोटी काफी बीमारियों का इलाज भली भांति कर लेते हैं - बड़वे भोपे ही इनके डॉक्टर्स, वैद्य हैं। दिले में ये शराब और मुर्गा फीस के रूप में लेते हैं... बहुत ही ज्यादा बीमार हो तब ही हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। 108 जननी एक्सप्रेस या एम्बुलेन्स की बाट ये नहीं जोहते, बल्कि खटिया पर मरीज को लिटाकर चार लोग उठाकर ले आते हैं... कोसों दूर नंगे पैर-पैदल चलकर भी आ जाते हैं!

इन्हें प्रकृति की गोद में पलने की आदत है। जंगल में लकड़ी काटते या खेत में काम करते यदि महिला को प्रसव पीड़ा हुई, तो पेड़ के नीचे ही बच्चे को जन्म देकर, बच्चे की नाभि की नाल पत्थर की नोक से काटकर गोद में उठाकर सद्यः प्रसूता घर चली आती है... और हम लोग कितना आराम करते हैं? तीन चार दिन बाद ही ये पुनः दाड़की करने चल पड़ती हैं... सवा महीने का रास्ता नहीं देखती.. हम जहां अपने बच्चों की जितनी हिफाजत करते हैं... सर्दियों में ऊनी कपड़ों से लदे... रूम हीटर से गर्म कमरे या मखमल की कोमल रजाइयों में लिपटे रहेंगे, वहां ये और इनके बच्चे ठंडी हवाओं के थपेड़ों में या तो महीन पुराने फटे वस्त्रों में रहेंगे या निर्वस्त्र रहेंगे... मौसम की मार इन पर नहीं पड़ती। जापे में अण्डे या चूजे खाते हैं, जापे के लड्डुओं की इन्हें

जरूरत नहीं। शहद गोंद, जंगली जड़ी बूटियां उपयोग में लाते हैं। इनके शरीर में 'रोग प्रतिरोधक शक्ति, हम आपसे ज्यादा है... तीर या फलिया लगा हो तो एक प्रकार के जंगली पौधे की पत्तियां पीसकर बांध लेंगे, दवाइयों, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, ये तो 'जंगल के पुष्प' हैं अपने आप खिलते हैं, उन्हें किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। हमारे बच्चे नाजुक होते हैं, जरा सी ठंडी हवा लगने पर 'निमोनिया' की गिरफ्त में आ जाते हैं? वहां इनके बच्चे जमीन या पत्थर पर लेटे रहते हैं या झोली (झूला) में झूलकर ही बड़े हो जाते हैं। इनके बच्चों में भी 'रोग प्रतिरोधक शक्ति' इतनी है कि 'पछिया हवा' के शीतल झोंके भी इनका बाल बांका नहीं कर सकते।

आदिवासी लोग किसी शिल्पकार या मूर्तिकार से कम नहीं- इनके घर, छप्पर, बाड़े की बागड़, झापला (गेट) - ये बेहद खूबसूरती से बनाते हैं। किसी नौजवान युवक-युवती की हत्या, सर्पदंश से या आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो इनका दाह संस्कार अपने खेत या घर के आस-पास की ज़मीन में करते हैं। तब ये अपने घर (झोपड़ी) की छत से लकड़ी का एक डांडा (डंडा) ले जाकर चिता पर रखते हैं और फिर दाहसंस्कार करते हैं। इसीलिए यहां कहावत प्रचलित है - अस्पताल में नहीं मरना, घर के डांडे के नीचे ही मरना है। ये इनकी याद में 'गाते' (पत्थर पर मूर्ति उकेरना) बनाते हैं... खेत में गाड़ते हैं। सर्दी, धूप, बरसात से बचाने के लिए उन पर कपड़ा ढकते हैं। तीज, त्यौहार पर इनकी पूजा अर्चना करते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं ये गाते, इन्हें गाजे-बाजे से प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। तेरहवीं अपने हिसाब से करते हैं। मृतक का कोई स्मृति चिन्ह नहीं रखते। सफेद दाग या कुष्ठ रोग होने पर व्यक्ति को अपने साथ घर में नहीं रखते। घर से बाहर निकाल देते हैं या जीवित ज़मीन में गाड़ देते हैं। तीज त्यौहार पर पूर्वजों (पितृ देवता) की पूजा अर्चना करते हैं मिष्टान्न चढ़ाते हैं।

हरे-भरे खेत जब लहलहा उठते हैं तो नवान्न के रूप में उसे 'हरियाली अमावस्या' जिसे ये 'दिवासा' कहते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। नवान्न की पूजा के बाद ही नई फसल का उपयोग करते हैं। अपने सेठ या कर्जदाता, साहूकार को भुट्टे 1 ककड़ी, चवले मूंग की फलियां भेंट स्वरूप भी देते हैं। नृत्य, गीत, बांसुरी, मांदल (बड़े-बड़े ढोल), कुर्राही मारना इनके जीवन के अभिन्न अंग हैं। जंगल जाकर लकड़ी काटना, महुआ बीनना-बेचना सारे काम ये करते हैं और अपना जीवन-यापन करते हैं, कोई बहुत गरीब, तो कोई बहुत अमीर है।

हरे-भरे खेत जब लहलहा उठते हैं, तो नवान्न के रूप में उसे 'हरियाली अमावस्या' जिसे ये 'दिवासा' कहते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। नवान्न की पूजा के बाद ही नई फसल का उपयोग करते है। अपने सेठ या कर्जदाता, साहूकार को भुट्टे 1 ककड़ी, चवले मूंग की फलियां भेंट स्वरूप भी देते हैं। नृत्य, गीत, बांसुरी, मांदल (बड़े-बड़े ढोल), कुर्राही मारना इनके जीवन के अभिन्न अंग है। जंगल जाकर लकड़ी काटना, महुआ बीनना-बेचना, सारे काम ये करते हैं और अपना जीवन-यापन करते हैं, कोई बहुत गरीब, तो कोई बहुत अमीर है।

तीरंदाजी में इनका कोई सानी नहीं, आखिर ये एकलव्य के वंशज ठहरे, अंगूठे का प्रयोग नहीं करते। इनके निशाने महाभारत के कर्ण व अर्जुन की तरह अचूक होते हैं। यही नहीं, यारों के ये यार हैं और दुश्मनों के कट्टर दुश्मन। पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी चलती है और समझौता नहीं करते। जहर बुझे विषाक्त तीरों से, बंदूक से, फालिये से हत्या करने में नहीं चूकते। इनमें भी जाति पांति का बंधन है:- 1. भील, 2. भिलाला। भील से ऊंचे भिलाले होते हैं। इनमें 'रोटी और बेटी' का संबंध नहीं होता। गांव के मुहल्ले 'फलिए' कहलाते हैं, जैसे 'पुजारा फलिया', 'गाता फलिया' आदि। आपसी रंजिश को होली और दीपावली पर ये अंजाम देते हैं। निर्मम हत्या करने में ये नहीं चूकते। नृशंस हत्या करने में भी इनका हृदय नहीं पसीजता। विपत्तियों तथा विपरीत परिस्थितियों से जूझने पर भी मदमस्त हैं। इनके जीवन में मस्ती का आलम है, ताड़ी, शराब पीकर, मांदल की थाप पर रात भर थिरकते रहते हैं, ये थकते नहीं, आलस्य से कोसों दूर हैं-सदैव फुर्तीले और कर्मठ...

होली का त्यौहार इनके जीवन का सर्वाधिक रंगीन त्यौहार है। 'भगोरिया हाट' हर गांव में लगता है। 'साप्ताहिक हाट' के दिन घरों से भागकर युवक युवतियां अपनी पसंदीदा 'माशूका' से विवाह कर लेते हैं। यह 'प्रणयपर्व' है। युवक अपनी प्रियतमा को, जलेबी, हरी मिर्च के पकौड़े मिठाई, पान खिलाता

है। झूला झूलते हैं। मेले में दिन भर ''मौज मस्ती'' करके 'गंधर्व विवाह' कर लेते हैं। मेले में सजे-धजे युवक-युवतियों की एक अलग पहचान है। चांदी के भारी-भरकम जेवरातों से लक-दक, मांसल देहयष्टि, स्पेशल ड्रेस कोड, यानि पूरा ग्रुप एक जैसे घेरदार घाघरे... लुगड़े... चुस्त ब्लाउज... युवक पान चबाते हुए आंखों में कजरा लगाये, टाइट जींस-टॉप या धोती झुलड़ी (स्पेशल कढ़ाईदार सफेद या काली जैकेट) पहने कुर्राटी मारते हुए ताड़ी के नशे में मदमस्त नृत्य करते हैं तो समां बंध जाता है। दूर-दूर से लोग 'भगोरिया हाट बाजार' का नजारा देखने आते हैं और अपने कैमरों में इस मनमोहक अनूठी छबि को कैद करके ले जाते हैं। लोकप्रिय गीत-संगीत, भीली भाषा में अनुपम अनूठी छबि नयनाभिराम दृश्यों से और भी मनमोहक बन जाती है। आजकल भीली भाषा के गीत-नृत्य राष्ट्रीय पर्वो पर हमारी राजधानी दिल्ली में प्रतिवर्ष अपनी छटा बिखेरकर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। जिले की उज्ज्वल मोहक छबि बना रहे हैं। भगोरिया हाट में मेले जैसा माहौल होता है... युवतियां 'गुदने' गुदाती हैं यानि जैसे आजकल टैटू बनाने का चलन है। ये मशीन से गुदवाती हैं। गौर वर्ण की युवतियां ठोड़ी ❖ पर तिल जैसे गुदने-हाथ पैर पर ॐ या अपना नाम गुदवाती हैं तो इनके सौन्दर्य में चार चांद लग जाते हैं। बांसुरी की मन-मोहक, धुन बजाते युवक और युवतियों के झुंड के झुंड हर हाट बाजार में जाकर जिंदगी के आनंद का पूरा-पूरा उपयोग करते हैं। ताड़ी और महुए से बनी शराब इनके प्रिय पेय पदार्थ हैं। मेले में मीठा रंगीन शर्बत, बर्फ की मीठी चुस्कियां बड़े शौक से खाते-पीते हैं। शक्कर की मिठाई विशेषकर धागे में पिरोई हुई बुदकड़े-गोल शेप के काकड़े और बर्फी को माजम कहते हैं... बड़े शौक से खाते हैं। गुड़ व तेल से बनी जलेबियां भी बहुत पसंद हैं इन्हें। रात भर मांदल की थाप पर, थाली के संगीत पर नशे में धुत-ये गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं-यथा

''हमुं काका बाबा ना पुरयां,
खोंडाल्या खिलाय दो।
हमुं दारू पीने छक्यारे,
खोंडाल्या खिलाय दो।
हमुं मामा बुआ ना पुरयां,
खोंडाल्या खिलाय दो।''

अर्थात्

हम काका, बाबा के बच्चे हैं, हमें ग्रुप में खिलाओ।

हम दारू (शराब) पीकर छके हुए हैं, हमें समूह में खेल खिलाओ।

हम मामा बुआ के भाई बहन हैं, हमें खेल में खिलाओ न।

काली चिड़ी नू घणी नखराली रे
(काली चिड़िया तू बहुत नखरेबाज है)

माये सोरेकी सासू नी जोड़े सी दोलने मां तुकसे
(मां जैसी सास नहीं मिलेगी, तुझसे घट्टी पिसवायेगी)

बाबा सोरेक् सेसेरू नी जोड़े से, रांधने मे सिंध ने मां तुकसे
(पिता जैसे ससुर नहीं मिलेंगे, खाना पकाने एवं काम करने में कष्ट देंगे)

भाई सरेखू धेनी ना जोड़े से, हीरने मां फिरने मां तुकसे
(भाई जैसा पति नहीं मिलेगा, घूमने फिरने नहीं जाने देगा)

बयतुं सरेखी नोनंद नी जोड़ेसे, बहारनेमा सुरनेमा तुकसे
(बहन जैसी नंनद नहीं मिलेगी झाड़ू साफ सफाई करवायेगी)

इने घर बसतीली ने पोले घोरे बसतीली होई कला छोड़जे लाडी बेना घणुं मारोसे

अर्थात -

लाडी इस घर जाये बैठे, उस घर जाये बैठे

ये कला (आदत) छोड़ दे, वरना दूल्हा खूब मारेगा।

बाल विवाह के विरुद्ध गीत...

''छोटी सी उमर या म्हारी सादी कराय दी नी मायन्यो दादा, म्हारी सादी कराय दी-सादी कराय दी ने बड़ी धूम मचाय दी-छोटी''।

मधुर गीतों के साथ-साथ भीली कहावतें भी बहुत प्रचलित हैं यथा-

1. भूखला तो भूखला सूकला खरी
   भूखा ही सही पर सुखी तो हूं।
2. भील भोला ने चेला
   भील भोले होते हैं।
3. खारड़ा मां कांटो, भील मां आटो
   भील में बदले की भावना होती है।
4. पाली पपोली मनाव राखणूं घणो मुसकल है
   भील को खुशामद से मनाना बहुत मुश्किल है।
5. भील नो सौरो रोयो नी मरै ढोली नो सौरो गाद्यो नीभरे
   भील का लड़का रोने से और ढोली का लड़का गाने से नहीं डरता।
6. भील भाई ने उगले दीवे
   भील भले ही अभावग्रस्त रहे सदा निश्चिंत रहता है।

कहावतों के साथ भीली मुहावरें भी प्रचलित हैं:-

भीली मुहावरे	हिन्दी अर्थ
उंबु उंबु	तत्काल, तुरंत
ईंदारी रमवी	अंधेरे में खेलना, चोरी करना।
ओलखेण-पालखेण	दुआ-सलाम।
कालुं कालुं थावुं	क्रोधित होना।
थाक खायो	विश्राम करना।
रोटलो टूटवी	धन्धा छूटना।
केड़ बांदनी	कमर कसना, तैयार होना।
गुड़ी बालवी	घुटने टेकना, समर्पण करना।

भगोरिया हाट में अपने मनपंसद 'जीवन साथी' चुनाव कर लेते हैं-मेले में मौज-मस्ती करते हैं... पसंदीदा युवती से प्रणय प्रस्ताव रखकर 'विवाह बंधन' में बंध जाते हैं। भागकर शादी करना इनकी 'लव मैरज' है, जो भगोरिया में संभव होती है। 'प्रणय विवाह' बाद में पंचायत बैठाकर रीति रिवाजों विवाह से हो जाता है। युवक और युवतियां आधुनिक श्रृंगार करते हैं। ताड़ी, शराब के कारण नशे

में धुत रतनारी अंखियां कजरारी अंखियां और भी सुरमई हो उठती हैं। वैसे तो सभी जगह के 'भगोरिया हाट' बेहद प्रसिद्ध हैं। सुडौल, तराशी हुई मांसल देहयष्टि... सभी को अपनी ओर विशेष आकर्षित करती हैं। दूर-दूर से ये लोग वालपुर के भगोरिया हाट को देखने आते हैं। वीडियो शूटिंग, कैमरे सुंदर छबि को कैद कर लेते हैं। गीतों का एक स्वर, एक सी कदम-ताल, नयनाभिराम झांकी प्रदर्शित करती है। मन का मयूर नृत्य कर उठता है। प्रकृति की शुद्ध हवा के झोकों ने मानो इन्हें गति, शक्ति और विशिष्ट सौंदर्य प्रदान किया है।

दीवाली का त्यौहार भी ये बड़ी धूम-धाम से मनाते हैं। मिट्टी के घोड़े, ऊंट बनाकर रंग-रोगन करते हैं। इन्हें ये पूजते भी हैं, नारियल मिठाई, फूल माला का विशेष महत्त्व है। दीपावली के दूसरे दिन 'गोवर्धन पूजा' और 'गाय गोहरी' का पर्व मनाते हैं। झाबुआ में 'गोवर्धन पूजा' और 'गाय गोहरी' का पर्व मनाते हैं झाबुआ में गोवर्धन नाथ मंदिर (हमारे घर के सामने) के प्राङ्गण में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। गायों-बैलों की पूजा करके रंग-बिरंगे छापे लगाकर सजाते हैं, पुष्प माला पहनाते हैं, ढोल-ताशे बजते हैं। नंगे बदन, अधोवस्त्र धारण कर सड़क पर लेट जाते हैं। गाय बैलों के झुण्डों को हांककर लाया जाता है। झुण्ड लेटे हुए लोगों पर से निकलते हैं। यह क्रम कई वार चलता है। पटाखे चलाये जाते हैं विशेषकर 'रामबाण' और 'कशिश' हाथ से जलाकर फेंकी जाती है। इसे देखने काफी जन-सैलाब उमड़ता है। पशुओं का झुंड गुजरता है। किंतु मन्नतधारियों को खरोंच भी नहीं आती है, न ही सींगों से और न ही खुरों से! देव दीवाली पर मन्नततधारी लोग दकहते अंगारों पर चलते हैं, जिसे 'चूल चलना' कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये अंगारों पर नहीं फूलों पर चल रहे हैं, मज़ाल है कि एक छाला तो पड़ जाए... दीवाली के समय महिलाएं मटकी पर दीपक रखकर 'गरबानृत्य' करती हैं... घर घर जाकर रुपया, पैसा, अनाज इकट्ठा करती हैं और फिर पूरा ग्रुप गोट (पार्टी) करता है।

पूर्णिमा के दिन 'गल' का त्यौहार मनाते हैं 'गल' अर्थात् बहुत ऊंचे लोहे के खंभे पर चढ़ना। इस पर्व को देखने भी बहुत लोग आते हैं, एक मेले जैसा माहौल होता है। ये लोग ताड़ी के ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर भी चढ़ जाते हैं। मिट्टी का पात्र, जिसे 'वारिया' कहते हैं, ताड़ के पेड़ पर बांधते हैं... ताड़ का रस ही ताड़ी कहलाता है। सूर्योदय से पूर्व जो रस निकलता है वह 'नीरा' कहलाता है और सूर्योदय के पश्चात का रस 'ताड़ी' जिससे नशा होता है। 'नीरा' बहुत पौष्टिक होता है और कई रोगों में फायदेमंद होता है। खजूर के वृक्षों के फल को 'सिन्दोले' कहते हैं। ताड़ी एवं सिन्दोले से ये गुड़ बनाते हैं। इन वृक्षों पर चढ़ना आसान कार्य नहीं है। कई बार संतुलन बिगड़ जाने से गिर जाते हैं और मृत्यु भी हो जाती है। किंतु ये ठहरे निडर व साहसी लोग। सुदूर गांवों में आज भी ये लोग परम्परागत जीवन जी रहे हैं। मेलों में ये बांस की चिड़िया या मोर बनाते हैं और उसे नचाते हैं। ये कुशल धावक होते हैं। स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं बहुत आगे हैं, चाहे वह इनका पारंपरिक नृत्य हो या तीरदांजी या दौड़अव्वल रहते हैं।

सरकार द्वारा सुविधाएं प्राप्त होने के कारण, नयी पीढ़ी (लगभग दो दशक पूर्व) सुशिक्षित होने के कारण विभिन्न शासकीय पदों को सुशोभित कर रही है। पढ़े-लिखे युवक-युवतियां सर्विस कर रहे हैं। इनका रहन-सहन, खान-पान, बोलचाल नए जमाने के साथ काफी बदला है। कच्ची मिट्टी की झोपड़ियों ने आलीशान अट्टालिकाओं का रूप ले लिया है। पुरानी पीढ़ी ने इनकी 'संस्कृति' को संजोकर रखा है किंतु, नई पीढ़ी को देखकर लगता है कि इनकी संस्कृति धीरे-धीरे लुप्त प्राय: हो रही है। जमाना बदला है, तो ये भी बदले हैं। पहले ये पैदल-यात्रा ही करते थे, किंतु अब दो किलोमीटर भी जाना हो, तो पैदल नहीं जाते। बसों में इनकी भीड़ देखते ही बनती है। जगह न मिले तो टॉप पर चढ़ जायेंगे या फिर लटककर जायेंगे। पहले ये लोग सीट पर बैठे होते थे और कंडक्टर इन्हें दूसरों को सीट देने को कहते वे तो ये लोग सहर्ष उठ खड़े होते ये और अब आप इनसे कहिए तो तड़ाक से जवाब देते हैं। क्या हमने पैसा नहीं दिया है, हमको क्यों खड़ा कर रहे हो? मोटला (बड़ा) साब होगा तो अपने घर का।

सुशिक्षित लोगों में कई लोग - शिक्षक, व्याख्याता, प्राचार्य, एसडीएम, एसडीओपी, सीए, वकील, डॉक्टर्स, नर्सेस बाबू मिलेंगे। पहले ये तन पर मात्र लंगोटी पहनते थे और अब पेन्ट-शर्ट, जीन्स-टॉप में मिलेंगे। मोबाइल तो हर युवक-युवती के पास मिलेगा। झोपड़ी में भी रंगीन टी. वी. वगैरह मिल जायेंगे। चांदी का स्थान 'सोने' ने लिया है-काफी सोना चांदी रुपया-पैसा है इनके पास। बैलगाड़ियां नदारत हो गई हैं- इक्की-दुक्की कभी कभार दिख जाए तो दिख जाए। अब स्कूटी, स्कूटर कम बाईक, ट्रैक्स, ट्रेक्टर, ट्रक, कारें, बहुत कुछ है इनके पास। हल का स्थान ट्रैक्टर एवं आधुनिक यंत्रों मशीनों ने ले लिया है। सिंचाई के आधुनिकतम साधन इनके पास उपलब्ध हैं-घर देखिए-शानदार, शान-ओ-शौकत देखते ही बनती हं। घर एकदम माडर्न, घर के पास अब कुएं नहीं, बोरिंग हैं। 'लक्झरी लाइफ' जीते है, एकदम-अप-टू-डेट। इन्हें देखकर अब आप इन्हें 'आदिवासी' नहीं कह सकते युवतियां पारंपरिक परिधान छोड़कर 'ड्रेस कोड' में रहती हैं। आधुनिक वेश-भूषा में हमारी आपकी तरह ही रहने लगे हैं। काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ बदला है। इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये आदिवासी हैं एकदम मॉडर्न रहन-सहन-भीली भाषा बहुत कम बोलते हैं। 'हिन्दी' ही बोलते हैं इनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर हैं। कार, बंगलों के मालिक-पंच, सरपंच, विधायक से लेकर सांसद तक। आप इन्हें देखते ही रह

जायेंगे और दांतों तले उंगली दबाये बिना नही रह पायेंगे।

अब भी 'मक्का की रोटी' एक बार तो खाते ही हैं। उड़द की दाल विशेष प्रिय है-'दाल पानिये' बनाते हैं बेहद स्वादिष्ट। खाखरा के पत्ते, आंकड़े के पत्ते, बादाम के पत्तों पर आटे के टिक्के रखकर, पत्ते ढककर उपलों (कंडे) की आंच पर सेंकते हैं, पत्ते जल जाते हैं तो फिर टिक्के निकालकर कंडे की राख में दबाकर बादामी रंग के सेंककर शुद्ध घी में डुबोकर रखते हैं और गर्मागर्म दाल के साथ खाते हैं। इस स्वादिष्ट भोजन को सामान्य वर्ग भी पार्टियों में खाते हैं। 'लक्ष्मणी' में तो आर्डर देने पर आपको 'दालपानिये' तैयार मिल जायेंगे। खान-पान भी इनका बदला है। अब मक्का की राबड़ी या 'घुघरी' शौक से खाते हैं। मिट्टी की कढ़ाई में सब्जी तथा मिट्टी की 'कड़ेली' जिसे 'खापरी' कहते हैं, रोटियां बनाते हैं। विशिष्ट त्यौहार पर 'बेसन के ताये' (चीले) बनाते हैं। मुर्गी, बकरा शराब विशेष अवसर पर खाये जाते हैं।

यूं तो ये लोग भोले, भाले सीधे-सादे हैं, किंतु क्रोधी और क्रूर भी हैं। पत्नी के चरित्र पर यदि शंका हो जाए तो ये लोग धारदार हथियार, पत्थर से कुचलने में मौत के घाट उतारने में नहीं चूकते। भाई-भाई काका-चाचा में जमीन या पैतृक संपत्ति के बंटवारे में भी मरने-मारने में पीछे नहीं हटते। चोरी-डकैती या हत्या करने पर यदि ये पकड़े जाते हैं, तो हथकड़ी पहने सड़कों पर चलने में उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती। कई अंधे कत्लों का तो पता नहीं लगता, इतनी होशियारी से ये वारदातों को अंजाम देते हैं। युवतियां शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। पुलिस की भर्ती हो या अन्य जगह, ये आपको मिल ही जायेंगे। 'बेकलॉग' के पदों पर इनका 'आरक्षण' है ही। पारंपरिक गीत कर्णप्रिय एवं मधुर होते हैं-फाग के गीत-एक सी राग-एक सा तालमेल दर्शनीय है-भीली गीत डीजे पर बजते हैं-स्वागत में पारंपरिक वेश-भूषा में इनका सौंदर्य और घुघरूओं की आवाज की निराली छटा सराहनीय है। रायबुडले बनकर पैसा लेते हैं!

सुशिक्षित होने के कारण अब ये बड़वे-भोपे से इलाज बहुत कम करवाते हैं। अस्पताल जाते हैं, डिलीवरी भी हॉस्पिटल में करवाते हैं। शासकीय योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाते हैं। ठेठ गांवों में प्राचीन परंपरा आज भी है, किंतु नगरीय क्षेत्रों में काफी परिवर्तन आ रहा है। प्रणय पर्व भगोरिया भी अनूठा त्यौहार ही है जो यहां की संस्कृति का परिचायक है। घर से भागकर 'गंधर्व विवाह' अनूठी रीति है। झाबुआ जिले में 'रंभापुर' गांव में लबाना जाति के लोग बेहद खूबसूरत हैं। ये लोग चावल की खेती (जिसे कम्मोद के चावल कहते हैं) करते हैं। खस की टट्टियां लगाते हैं जिससे चावल बेहद खुशबूदार होता है, बासमती चावल से कहीं बेहतर किस्म का, एक घर पके तो दस घर खुशबू पहुंचे, किंतु शिक्षा के प्रसार से अब ये खेती कम ही करते हैं। इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है, चंपई रंग, तीखे नैन-नक्श, बिल्लौरी आंखें, सुगठित देह।

ये वनवासी मौसम की मार से भयभीत नहीं होते। गाड़ियों की छतों पर प्रचंड ग्रीष्म में बैठ जाते हैं। ओवर लोडिंग से तो जरा भी नहीं डरते। गर्मी हो या बरसात पर कड़ाके की ठंड हो इन पर कोई असर नहीं पड़ता। इन्हें देखकर तो यही लगता है कि न जाने किस मिट्टी के बने हैं ये लोग हर हाल में सदैव खुशहाल।

शिक्षा, धार्मिक त्यौहारों, अच्छे वातावरण का भी इन पर काफी प्रभाव पड़ा है। ये गायत्री शक्ति पीठ, रामापीर के भक्त बन गए हैं। इनके आचार-विचार, रहन-सहन में अद्भुत परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इन्होंने मांस, मदिरा पीना-खाना छोड़ दिया है। ये मांसाहारी नही, अब शुद्धतः शाकाहारी बन गए हैं। तेजाजी की पूजा करते, तेजा दशमी का मेला लगता है। ये व्रत उपवास रखते हैं-पूजा अर्चना करते हैं। एक दूसरे के घर पर 'भजन संध्या' रखते हैं, ईश्वर की सेवा करना, अपना परम धर्म मानते हैं। परिवार नियोजन भी अपनाया है। कई घरों में 'दो बच्चे' ही मिलेंगे। शिक्षा के साथ-साथ इनकी मान्यताएं भी बदली हैं। मुर्गे की बांग पर इनका सवेरा शुरू होता है, खेती-बाड़ी का ठेका दे देते हैं, स्वयं नहीं करते, क्योंकि शासकीय नौकरियों में इनके पास अब वक्त कहां? उच्च वर्ग की तरह ये जीवन-यापन कर रहे हैं। संयुक्त परिवार कभी था, अब एकल परिवार की प्रथा चल पड़ी है। ये चांद तारों को देखकर वक्त का अनुमान लगा लेते हैं। पक्षियों की आवाज से ही बहुत कुछ बातें जान लेते हैं, शकुन को बहुत मानते हैं। इनके बुजुर्गों को काफी अनुभव है उनके अनुभवों का लाभ इन्हें मिलता है। गुजरात में मज़दूरी करने से भी इन पर वातावरण का काफी प्रभाव पड़ा है। वहां पैसा मज़दूरी करने से भी इन पर वातावरण का काफी प्रभाव पड़ा है वहां पैसा ज्यादा मिलता है, इनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है अब इन्हें 'गरीब' नहीं कहा जा सकता। इनके घरों में मुर्गा-मुर्गी, गाय, बैल, बकरे रखते हैं।

सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाएं इन्हें उपलब्ध होने से इनमें काफी परिवर्तन आया है। जगह-जगह शिक्षा-स्कूल, कॉलेज एवं छात्रावास की सुविधाएं होने से शैक्षणिक स्तर सुधरा है। अब ये अपने छोटे-छोटे बच्चों को होस्टल में रख देते हैं, जिससे वे पढ़-लिखकर एक अच्छे नागरिक बन रहे हैं। जन-चेतना, जागृति इनमें है। अब ये अपने अधिकार समझने लगे हैं चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या राजनैतिक ये अपने अधिकारों के प्रति पूर्णतः सजग हैं। एक नई क्रांति का शंखनाद हुआ है। आजादी के 68 वर्षों में प्रगति के नये आयाम, उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर भी 'संस्कृति' धरोहर के रूप में संजोयी हुई है, जो अपने आप में हर दृष्टि से 'अनुपम और अनूठी' है। झाबुआ, अलीराजपुर जिले की ये शान है, गौरव है, जो सदैव अक्षुण्ण रहेगा। ■

(लेखिका पूर्व प्राचार्य हैं।)

''संविधान के घेरे में हिन्दी की बिन्दी''

■ बलराम प्रसाद

भारत एक पुरातन देश हैं। किंतु राजनीतिक दृष्टि से देखा जाय तो एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत का विकास एक नए सिरे से ब्रिटेन के शासनकाल में स्वतंत्रता संग्राम के साहचर्य में और राष्ट्रीय स्वाभिमान के नवोन्मेष के सोपान में हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। हिन्दी भाषा एवं अन्य प्रादेशिक भारतीय भाषाओं ने राष्ट्रीय स्वाभिमान और स्वतंत्रता संग्राम के चैतन्य का शंखनाद घर-घर तक पहुंचाया, स्वदेश प्रेम और स्वदेशी भाव की मानसिकता को सांस्कृतिक और राजनीतिक आयाम दिया, नवयुग के नवजागरण को राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय स्वशासन के साथ अंतरंग और अविच्छिन्न रूप से जोड़ दिया। भारतीय स्वाधीनता के अभियान और आंदोलन को व्यापक जनाधार देते हुए लोकतंत्र की इस आधारभूत अवधारणा को संतुष्ट करती रहीं कि जब आज़ादी आएगी तो लोक-व्यवहार और राजकाज में भारतीय भाषाओं का प्रयोग होगा।

आज़ादी के बाद संविधान बनाने का उपक्रम शुरू हुआ। संविधान का प्रारूप अंग्रेजी में बना, संविधान की बहस अधिकांशतः अंग्रेजी में हुई। यहाँ तक कि हिन्दी के अधिकांश पक्षधर भी अंग्रेजी भाषा में ही बोले। यह बहस 12 सितम्बर, 1949 को 4 बजे दोपहर में शुरू हुई और 14 सितम्बर, 1949, के दिन समाप्त हुई। प्रारंभ में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अंग्रेजी में ही एक संक्षिप्त भाषण दिया। उन्होंने कहा कि भाषा के विषय में आवेश उत्पन्न करने या भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए कोई अपील नहीं होनी चाहिए और भाषा के प्रश्न पर संविधान सभा का विनिश्च समूचे देश को मान्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि भाषा सम्बन्धी अनुच्छेदों पर लगभग सौ या उससे भी अधिक संशोधन प्रस्तुत किए गए।

14 सितम्बर की शाम बहस के समापन के बाद जब भाषा संबंधी संविधान का तत्कालीन भाग 14 'क' और वर्तमान भाग 17, संविधान का भाग बन गया, तब डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अपने भाषण में बधाई के संबोधन कुछ इस प्रकार कहे थे। वे संबोधन आज भी प्रतिध्वनित होते हैं। उन्होंने तब कहा था, ''आज पहली ही बार ऐसा संविधान बना है जब कि हमने अपने संविधान में एक भाषा रखी है, जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी।'' उन्होंने आगे कहा था, ''इस अपूर्व अध्याय का देश के निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा।'' उन्होंने आगे इस बात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। संविधान सभा ने अत्यधिक बहुमत से भाषा-विषयक प्रावधानों को स्वीकार किया। अपने वक्तव्य के उपसंहार में उन्होंने जो कहा वह अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा, ''यह मानसिक दशा का भी प्रश्न है, जिसका हमारे समस्त जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। हम केन्द्र में जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उससे हम एक-दूसरे के निकटतर आते जाएंगे।

''आखिर अंग्रेजी से हम निकटतर आए हैं, क्योंकि वह एक भाषा थी। अंग्रेजी के स्थान पर हमने एक भारतीय भाषा को अपनाया है। इससे अवश्यमेव हमारे संबंध घनिष्ठतर होंगे, विशेषतः इसलिए कि हमारी परंपराएं एक ही हैं, हमारी संस्कृति एक ही है और हमारी सभ्यता में सब बातें एक ही हैं। अतएव यदि हम इस सूत्र को स्वीकार नहीं करते, तो परिणाम यह होता कि या तो इस देश में बहुत-सी भाषाओं का प्रयोग होता या वे प्रांत पृथक हो जाते जो बाध्य होकर किसी भाषा विशेष को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। हमने यथासंभव बुद्धिमानी का कार्य किया है और मुझे हर्ष है, मुझे प्रसन्नता है और मुझे आशा है कि संतति इसके लिए हमारी सराहना करेगी।''

संविधान-सभा की भाषा-विषयक बहस लगभग 278 पृष्ठों में मुद्रित हुई है। इन भाषा-विषयक पृष्ठों में दर्ज है कि संघ की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी, किन्तु देवनागरी में लिखे जाने वाले अंकों तथा अंग्रेजी को 15 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक प्रयोग करते रहने के बारे में बड़ी लम्बी-चौड़ी गरमा-गरम बहस हुई। अंत में अंकों को छोड़कर संघ की राजभाषा के प्रश्न पर अधिकांश सदस्य सहमत हो गए। अंकों के बारे में भी यह स्पष्ट था कि अंतर्राष्ट्रीय अंक भारतीय अंकों का ही एक नया संस्करण है।

आशंकाओं की विफलता तब दिखाई देने लगी, जब पंद्रह वर्ष की कालावधि के बाद भी अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की बात सामने आई। वे आशंकाएं सच साबित हुईं। पन्द्रह वर्ष 1965 में समाप्त होने वाले थे। उससे पूर्व ही संसद में उस अवधि को अनिश्चित काल तक बढ़ाने का प्रस्ताव पेश हुआ। स्व. लालबहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू की मंत्रिपरिषद के

वरिष्ठ सदस्य थे और उन्हीं को यह कठिन काम सौंपा गया था। एक सवाल के जवाब में शास्त्रीजी की वेदना मुखर हुई। वह इस प्रकार है: ''आपकी बात मैं समझता हूँ, सहमत भी हूँ, किंतु लाचारी है, आप इस लाचारी को भी तो समझिए।'' अब संवैधानिक स्थिति यह है कि नाम के वास्ते तो संघ की राजभाषा हिन्दी और अंग्रेजी सह-भाषा है, जबकि वास्तव में अंग्रेजी ही राजभाषा है और हिन्दी केवल एक सह-भाषा। लगता है कि संविधान में इन प्रावधानों का प्रारूप बनाते समय कुछ संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में यह बात पहले से थी। हुआ यह कि राजनीति की भाषा और भाषा की राजनीति ने मिलकर हिन्दी की नियति का अपहरण कर लिया।

जब संविधान पारित हुआ तब यह आशा और प्रत्याशा जागरूक थी कि भारतीय भाषाओं का विस्तार होगा, राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में द्रुतगति से प्रगति होगी और संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होगी।

संविधान के अनुच्छेद 350 में निर्दिष्ट है कि किसी शिकायत के निवारण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संघ या राजा के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में प्रतिवेदन देने का अधिकार होगा। 1956 में अनुच्छेद 350 'क' संविधान में अंत: स्थापित हुआ और यह निर्दिष्ट हुआ कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाए। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति गठित करने का निर्देश दिया गया। प्रयोजन यह था कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग हो, संघ और राज्यों के बीच राजभाषा का प्रयोग बढ़े, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को सीमित या समाप्त किया जाए। हिन्दी भाषा के विकास के लिए यह विशेष निर्देश अनुच्छेद 350 में दिया गया कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे। जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके एवं उसका शब्द भंडार समृद्ध और संवर्धित हो।

महात्मा गांधी भी हिन्दी को भारत में एक राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के पक्षधर थे। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूंगा हो जाता है। हिन्दी को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में एक राजनैतिक शख्सियत के रूप में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान है। दूसरी ओर वैचारिक मतभेद के बावजूद डॉ. अम्बेडकर भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाये जाने के पक्ष में थे। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार हिन्दी ही राष्ट्रभाषा के पद पर सुशोभित होने की वास्तविक अधिकारिणी है, अत: हम सभी भारतवासियों का यह अनिवार्य कर्त्तव्य है कि हिन्दी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं।

भारतीय राजनेताओं में गांधीजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने द्रविड़ प्रदेश में राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए हिन्दी को विधिवत् सिखाया जाना आवश्यक समझा और उसके लिए ठोस योजना प्रस्तुत की जिसके अंतर्गत पुरुषोत्तम दास टंडन, वेंकटेश नारायण तिवारी, शिव प्रसाद गुप्ता सरीखे हिन्दी-सेवियों को लेकर दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का गठन किया। गांधीजी शिक्षा के माध्यम के लिए मातृभाषा को ही सर्वोत्तम मानते थे। उनका स्पष्ट मत था कि शिक्षा का माध्यम तो प्रत्येक दशा में मातृभाषा ही होनी चाहिए। उनके अथक प्रयास से ही 1917 में भरूच (गुजरात) में सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता प्रदान की गई थी। तत्पश्चात् 14 सितम्बर, 1949, को संविधान सभा ने एकमत से हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया तथा 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के द्वारा हिन्दी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया।

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के अनुरोध पर 1953 से 14 सितम्बर को 'हिन्दी-दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान किए गए।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग का गठन किया गया। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 1960 में आयोग की स्थापना के बाद 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ, तत्पश्चात् 1968 में राजभाषा संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया।

राजभाषा अधिनियम की धारा 4 के तहत राजभाषा संसदीय समिति 1976 में गठित की गई। राजभाषा नियम 1976 में लागू किए गए तथा राजभाषा संसदीय समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा 'राजभाषा नीति' बनाई एवं लागू की गई।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में प्रावधान है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह राजभाषा का प्रचार-प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। सरकार ने इस संदर्भ में राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा संकल्प 1968 तथा राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 जिसमें राजभाषा के रूप में हिन्दी के विकास कार्यों को क्रियान्वित करने का आदेश है, इसके क्रियान्वयन के स्तर पर कई तरह की प्रोत्साहन योजनाओं का भी विधान किया है।

इसके अनुपालन में राजभाषा विभाग द्वारा हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम बनाया जाता है, जिसमें केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा एक वर्ष में हिन्दी में कार्य करने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। राजभाषा नीति के अनुपालन के विचार से राजभाषा नियम 1976 में देश में 'क',

'ख' एवं 'ग' क्षेत्र बनाए गए हैं। 'क' क्षेत्र में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह संघ शासित राज्य शामिल हैं। 'ख' क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं। शेष सभी संघ राज्य क्षेत्र 'ग' क्षेत्र में आते हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके लिए राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुसार शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में या द्विभाषी रूप में करना अपेक्षित है। इनमें राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित कागज़ात जैसे- सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प, प्रेस विज्ञप्तियां संविदाएं, करार, संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले कागज़ात आदि द्विभाषी रूप में जारी करना, हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में भेजा जाना, कार्यालयों के लिए आवश्यक उपकरण द्विभाषी ही खरीदना आदि शामिल हैं। वार्षिक कार्यक्रम में 'क', 'ख' एवं 'ग' तीनों क्षेत्रों के लिए अन्य मदों जैसे केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के साथ पत्राचार हिन्दी में करना, देवनागरी टाइपराइटर खरीदना, हिन्दी में पुस्तकें खरीदना आदि कार्य निर्धारित परिमाण में करना अपेक्षित है।

राजभाषा विभाग यह सुनिश्चित करता है कि राजभाषा में प्राप्त पत्रों के जवाब शत-प्रतिशत राजभाषा में दिए जाएं। अन्य भाषा में प्राप्त पत्रों के जवाब क्षेत्र 'क' में हिन्दी तथा अंग्रेजी में, 'ख' में 60 प्रतिशत हिन्दी-अंग्रेजी व शेष अंग्रेजी में तथा 'ग' में 40 प्रतिशत हिन्दी-अंग्रेजी तथा शेष अंग्रेजी में दिए जा सकते है। यह आंकड़ा धीरे-धीरे हिन्दी-अंग्रेजी की ओर बढ़ाया जाए तथा 'क' भाषी क्षेत्रों में पूर्णतः राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।

राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है कि भारत सरकार के उच्चस्तरीय अधिकारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेरित करें और राजभाषा के गतिशील विकास में पूर्ण योगदान देकर देश को गौरवान्वित करें।

राजभाषा विभाग प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है, साथ ही राजभाषा नियम 1976 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन मासिक, त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से सतत् निगरानी एवं विश्लेषण का कार्य करता है तथा अपनी समेकित रिपोर्ट संसदीय राजभाषा समिति जिसमें कि 30 सदस्य 'क्रमशः 10 राज्यसभा और 20 लोकसभा से होते हैं; के समक्ष प्रस्तुत करता है, जोकि समय-समय पर विभिन्न विभागों का दौरा कर वस्तुस्थिति का अध्ययन करती है तथा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है।

केन्द्र शासन के अधीन प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा संबंधी एक त्रैमासिक बैठक का प्रावधान पिछली तिमाही में किए गए कार्यों, तिमाही में आयोजित कार्यशाला एवं राजभाषा के प्रशिक्षण संबंधी उपलब्धता एवं परिमार्जन हेतु सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु किया गया।

राजकीय विभागों में राजभाषा के प्रयोग हेतु सर्वाधिक प्रभावी प्रक्रिया पत्राचार है, क्योंकि उसी के आधार पर मिसिल अथवा फाइलों में टिप्पणी लिखी जाती है। अतः जब भी त्रैमासिक बैठकों में विचार-विमर्श होता है, तब सबसे ज्यादा सूक्ष्म विश्लेषण त्रैमासिक पत्राचार पर होता है, आंकड़ों की निगरानी भी होती है, कठिनाइयां सामने आती हैं और सुधार हेतु उपाय भी खोजे जाते हैं ताकि राजभाषा का अधिकाधिक प्रयोग पत्राचार में बढ़ाया जा सके।

विभाग प्रमुख की अध्यक्षता में होने वाली इन बैठकों में विभाग के विभिन्न अनुभागों के जिम्मेदार अधिकारियों के बीच एक स्वस्थ प्रतियोगिता भी पनपती है कि वह और अधिक बेहतर परिणाम दैनंदिनी पत्रों में राजभाषा के प्रयोग द्वारा दे तथा उसके प्रयास सभी के बीच सराहे जा सकें।

यह हमारी विडम्बना रही है कि देश में राजभाषा के रूप में हिन्दी को संविधान में लागू होने के पूर्व कभी भी आधिकारिक मान्यता नहीं मिली थी। मुगलों के समय राजभाषा के रूप में अरबी-फारसी का बोलबाला था, तो अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी और उर्दू को राजकाज चलाने में इस्तेमाल किया। दरअसल, हिन्दुस्तान में खड़ी बोली और हिन्दी जन-भाषा के रूप में मान्य रही और निरन्तर पुष्ट होती चली गई।

आज भी सरकार ने राष्ट्रभाषा के रूप में राजभाषा को स्वीकार नहीं किया है, मगर जनता ने इसे राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकार कर लिया है। इसकी व्यापक स्वीकृति शीघ्र इसे विश्वभाषा का दर्ज़ा प्रदान करवा देगी। इसके पीछे देवनागरी का संस्कृति होना भी है।

नासा ने संस्कृत संगणक (कम्प्यूटर) पर सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा के रूप में मान्यता पर सहमति को स्वीकार किया, मगर संस्कृत का प्रचार-प्रसार अत्यल्प होने के कारण उसकी निकटतम भाषा के रूप में तथा व्यापकता ही दृष्टि से हमारी राजभाषा हिन्दी को फायदा मिलना सुनिश्चित है।

हमारे नीति-निर्माताओं ने व्यापक सोच के स्थान पर भाषायी संकीर्णता और क्षेत्रीयता को तरजीह दी, फलतः 22 भाषाओं को राज्यों की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। हम एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बना सके और यही कारण है कि हमें आज राजकीय त्रैमासिक पत्रों के विश्लेषण के माध्यम से अधिकारी-कर्मचारियों के राजभाषा हिन्दी के विकास में योगदान पर चर्चा करनी पड़ती है।

यह हिन्दी की जीत है कि जिन क्षेत्रों से हिन्दी का विरोध हुआ था उन्हीं

क्षेत्रों के नाम पर 'चेन्नई एक्सप्रेस' जैसी हिन्दी फिल्में 3 दिन में 100 करोड़ और 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर वैश्विक फिल्म का दर्जा पा रही हैं।

शासकीय कर्मचारी-अधिकारी देश के एक भाग से दूसरे भाग में आ-जा रहे हैं। स्थानांतरण के कारण तो वे राजभाषा के ध्वजवाहक बने हुए हैं। वैश्वीकरण का लाभ निश्चित रूप से हिन्दी को देश में पुष्टता प्राप्त करने में हुआ है।

इंटरनेट ने देशों की दूरियां कम की हैं तब अधिकारियों-कर्मचारियों को भाषा की महत्ता समझ में आ रही है। हम अब अच्छी तरह जान गए हैं कि वैश्विक स्तर की तरक्की के लिए अंग्रेजी जरूरी नहीं है।

हमारे देश में अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र प्रमुख एवं विदेशी प्रतिनिधि मंडल आते हैं तो सरकारी दुभाषिए से काम चलाते हैं। क्योंकि इंग्लैंड-अमेरिका के लोगों को छोड़ दें तो ज्यादातर लोग अंग्रेजी नहीं जानते। शासकीय स्तर पर खासकर तकनीकी, न्यायालयीन, कर, राजस्व आदि क्षेत्रों में मान्य मानक शब्दावली की हिन्दी में अनुपलब्धता ने राजभाषा के प्रयोग में बड़ी बाधा खड़ी की हुई है, जिसका निराकरण भाषाविदों से अपेक्षित था। विभिन्न राजकीय अधिकारियों-कर्मचारियों ने इसका निदान व्यावहारिक तौर पर पत्राचार के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्रों में नए प्रयोग से तकनीकी हिन्दी शब्दों का विकास किया है। तकनीकी शब्दावली आयोग भी प्रयासरत है, यद्यपि एकरूपता का अभाव बना हुआ है।

परन्तु इस सबके बावजूद एक शुभ शकुन है कि शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों में राष्ट्रीयता की भावना, एक राष्ट्र- एक भाषा की आवश्यकता और राष्ट्रीय एकता की सोच स्पष्ट है। वह सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति भी सचेत है और अपनी सीमाओं में रहकर राजनेताओं के मंसूबे अच्छी तरह पहचानता है अतः राजभाषा के उन्नयन में समर्थ और सार्थक योगदान दे रहा है। स्वतंत्र भारत के लोगों के प्रतिनिधियों का यह पहला कर्तव्य हो कि वे हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को उत्तरोत्तर प्रयोग में लाने एवं अंग्रेजी को त्यागने का निरन्तर प्रयास करें।

सन् 1949 से लेकर आज तक अर्द्धशताब्दी में हम राष्ट्रीय जीवन के यथार्थ में राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त की यह घोषणा साकार नहीं कर पाए।

"है भर्त्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी।"

सन् 1949 से लेकर आज तक अर्द्धशताब्दी में हम राष्ट्रीय जीवन के यथार्थ में राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त की यह घोषणा साकार नहीं कर पाए।

"है भर्त्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी।"

स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी ने देश के भविष्य के लिए, देश की एकता और अस्मिता के लिए हिन्दी को ही राष्ट्र की संपर्क भाषा माना।

नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु बाबू ने सूत्ररूप में कहा, "निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल।"

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने एक निबंध में लिखा है, "जिस हिन्दी भाषा के खेत में ऐसी सुनहरी फसल फली है, वह भाषा भले ही कुछ दिन यों ही पड़ी रहे, तो भी पौष मास में नवान्न उत्सव होगा।" कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने कहा था, "हिन्दी ही हमारे राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे शक्तिशाली और प्रधान माध्यम है। यह किसी प्रदेश या क्षेत्र की भाषा नहीं, बल्कि समस्त भारत की भारती के रूप में ग्रहण की जानी चाहिए।" नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने यह घोषणा की थी कि "हिन्दी के विरोध का कोई भी आंदोलन राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। संविधान निर्माता बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर ने भी राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकारते हुए आह्वान किया, "हम सभी भारतवासियों का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि हम हिन्दी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं।"

एक बार महात्मा गांधी ने भागलपुर में पंडित मदनमोहन मालवीय का हिन्दी भाषण सुनकर अनुपम काव्यात्मक शब्दों में कहा था, "हिन्दी भाषण इस तरह चमका है- जैसे मानसरोवर से निकलती हुई गंगा का प्रवाह सूर्य की किरणों से सोने की तरह चमकता है।" संविधान एवं सरकार से इतर हम सब भारतवंशियों का यह कर्तव्य है कि राष्ट्र की अस्मिता के लिए हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करें। एक गूंगा राष्ट्र चाहे जितना भी तरक्की कर ले, जब तक उस तरक्की का सुमधुर हृदयनाद अपनी भाषा में गुंजायमान न कर सके तो वह तरक्की जन-जन की तरक्की नहीं कही जा सकती। असली तरक्की तभी सम्भव है जब राष्ट्रभाषा में जन-प्रतिनिधि से लेकर देश की पूरी जनता उस तरक्की को अपनी भाषा में पढ़े, सुने, बोले, लिखे और गर्व करे। आइए हम शपथ लें कि हम राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को स्थापित करने का निरन्तर प्रयास करेंगे और जब तक हिन्दी को इसका हक न मिल जाए तब तक हर वह प्रयास करें जिससे उसका हक यथाशीघ्र मिल जाए।■

(लेखक राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, बेंगलुरू में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक है।)

जनमानस के विकास व अधिकार के मसीहा-बाबासाहेब

■ रामफेर

आज भी यह सोचनीय एवं विचारणीय बिन्दु है कि जबकि आजादी के लगभग 70 साल पूरे होने को हैं, इस देश की भोली-भाली, शिक्षित, अशिक्षित, गरीब, असहाय, दलित जन-मानस की यह दशा है, तो आज के लगभग डेढ़-सौ साल पहले इस देश की जनता की क्या दशा रही होगी। हमारे देश की भोली-भाली जनता पर कितने जुल्म या अत्याचार होते रहे हैं, जिनके कुछ उदाहरणों की झलकियां आज भी देखने को मिल रही हैं जबकि आज के मानव को कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, शायद इन सब का ज्ञान आज भी शिक्षित, अशिक्षित या सभी आम जनों को मालूम नहीं है। जिन मुट्ठी भर मानवों को ज्ञात है और वह शिक्षित हैं, जागरूक हैं, वे अपने अधिकार पाने के लिए तत्पर हैं। इस विकासशीलता के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने को तैयार हैं। इस समय देश में त्रेता युग के राम राज्य से भी कहीं अधिक आम जन-मानस मजदूर, किसान, व्यापारी, श्रमिक, गरीब, अमीर, महिला-पुरुष, रिक्शावाला, सब्जीवाला, फलवाला आदि सभी स्वतंत्र रूप से सांस लेकर अपना सम्पूर्ण विकास कर रहे हैं। आज खुले वातावरण में सांस लेकर, आजाद रहकर, स्वतंत्र रहकर जीवन बिता रहे हैं। शायद उस युग के रामराज से भी कहीं अधिक आज का जन-मानस खुश होकर स्वतंत्र होकर विकास कर रहा है। आजाद इतना शायद उस समय नहीं रहा होगा। जितना कि आज का जन मानस हो रहा है। इस 95 प्रतिशत जन मानस के राम राज, खुशी, स्वतंत्रता, विकास के जनक, मसीहा केवल-केवल मात्र बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ही हैं।

जबकि आज भी हमारे देश के ग्रामीण इलाकों एवं कस्बाई क्षेत्रों में इतना अत्याचार, अन्ध-विश्वास, बुराई, भेद-भाव, छुआ-छूत, जबरई, जातिवाद, भाई-भतीजावाद, वंशवाद, परिवारवाद की बीमारी फैली हुई है, तो बाबासाहेब के बचपन काल के समय की क्या दशा रही होगी। बाबासाहेब ने क्या-क्या नहीं सहा होगा, झेला होगा, भोगा होगा, सहन किया होगा। तब जाकर कहीं इस विषय पर अध्ययन, चिन्तन, मनन, विचार-विमर्श के पश्चात आज हमें इतना दे गये हैं, जो आज हमें एवं हमारे कुछ भाइयों को कल्पना ही लगने लगी है या लग रही होगी इसलिए कि 'जिनके पांव न फटी बिवाई, वे क्या जाने पीर पराई' यह जुमला आज कुछ हमारे ही बीच के विद्वानों पर पूर्णरूप से लागू हो रहा है, जो बाबासाहेब के उद्देश्य को भूल रहे हैं, उन्हीं के अथक प्रयास से कुछ विकसित हो चले हैं, वे आज भी अपनी पहचान छुपाते घूम रहे हैं, उनके पांव जमीं पर नहीं पड़ते हैं। बाबासाहेब ने भारतीय संविधान बनाते समय इतने नियम, अधिकार सोच-समझकर ही बनाये होंगे और फिर कितने ही संघर्ष विरोध के बाद संविधान बनाकर पारित कराया होगा, जिसका सम्पूर्ण पालन हो पाना आज भी सपना ही लग रहा है। कुछ हमारी अनेकता के कारण ही आज हमारे विकास की नींव, समानता पाने का सरल रास्ता (आरक्षण) बिना उद्देश्य पूर्ति के ही खतरे में पड़ता दिख रहा

है। भारत रत्न बाबासाहेब उस समय भारत के ही नहीं विश्व के विद्वानों में अपनी पहचान बनाने वाले पहले भारतीय विद्वान थे। विश्व के अनेक देशों के विद्वान बाबासाहेब की विवेकशीलता का लोहा मानते थे। तब जाकर कहीं देश के 95 प्रतिशत जन-मानस के उद्धार के लिए

बाबासाहेब ने अनेकों अधिकार बनाकर एक संविधान के रूप में देश को सौंप दिए जो विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में मिल पाना आसान नहीं है। आम जन-मानस समान संपूर्ण अधिकार के साथ अपना विकास करने और खुशहाली पूर्ण जीवन जीने को तत्पर है।

कोई माने या न माने 95 प्रतिशत जन-मानस के भगवान बाबासाहेब ही हैं। भारत का इतिहास ही रहा है राजा, रजवाड़ों का, तो उस समय राजा, महाराजा, रजवाड़े, सामन्त, जमींदार, तालुकेदार आदि कुछ मुट्ठी भर गिने-चुने लोग ही कुछ स्वतंत्र हुआ करते थे, जो स्वतंत्र एवं खुशहाल जीवन यापन करते थे, किन्तु इन गिने-चुने शाही परिवारों में भी 50 प्रतिशत यानि महिला वर्ग प्रताड़ित, शोषित, अधिकार हीन ही अधिक हुआ करती थी, सामान्य जन-मानस की तो बात ही क्या। फिर कानून व्यवस्था इन्हीं के हाथ में थी और इन्हीं के हाथ की कठपुतली थी, जो सामान्य जन को संपूर्ण खुशी नहीं दे पाती थी। अब रह गयी बात आम जन-मानस एवं वर्ग, उपवर्ग की, तो जो सामान्य वर्ग था उसकी 50 प्रतिशत आबादी यानि महिला वर्ग कभी भी पूर्ण स्वतंत्र या आज की तरह पूर्ण आजाद उस समय नहीं था। इस अधिकार विहीन वर्ग को फर्श से अर्श तक लाने का कार्य किसने दिखाया? बाबासाहेब ने। तो इस 95 प्रतिशत अधिकार विहीन समाज के भगवान कौन हुए? स्वयं चुनें। आज सरकारी दफ्तरों में जो बाबासाहेब की तस्वीर टंगी दिख रही है, उसकी आवश्यकता आज देश के हर घर-घर के कोने-कोने में ही नहीं है, बल्कि हर शोषित वर्ग के दिलो-दिमाग में होनी चाहिए। वह चाहे जिस भी वर्ग, समुदाय का क्यों न हो, क्योंकि जहां सबसे दबा कुचला, अछूत वर्ग ही है जिसे दलित वर्ग कहा जाता है, आज जहां शोषित वर्ग है वही बाबासाहेब का संविधान है वहीं अधिकार हैं। इसलिए हर घर के कोने-कोने पर और प्रताड़ित वर्ग के दिलो-दिमाग पर बाबासाहेब की तस्वीर हर मन मस्तिष्क में विचार विमर्श हेतु होनी चाहिए और उनके उद्देश्यों को मानना, पूरा करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अपने अधिकार पाने के लिए अब जागरूक हो जाना चाहिए।

कोई माने या न माने 95 प्रतिशत जन मानस के भगवान बाबासाहेब ही हैं पर मैं मानता हूं कुछ इस तरह से बताता भी हूं कि-भारत का इतिहास ही रहा है राजा, रजवाड़ो का तो उस समय राजा, महाराजा, रजवाड़े, सामन्त, जमींदार, तालुकेदार आदि कुछ मुट्ठी भर सरहंग गिने-चुने लोग ही कुछ स्वतंत्र हुआ करते थे, जो स्वतंत्र एवं खुशहाल जीवन यापन करते थे किन्तु इन गिने-चुने शाही परिवारों में भी 50 प्रतिशत यानी महिला वर्ग प्रताड़ित, शोषित, अधिकार हीन ही अधिक हुआ करती थी, सामान्य जन मानस की तो बात ही क्या फिर कानून व्यवस्था इन्हीं के हाथ में थी और इन्हीं के हाथ की कठपुतली थी जो सामान्य जन को संपूर्ण खुशी नहीं दे पाती थी।

बाबासाहेब के संविधान में मतदान नहीं, मताधिकार का अधिकार न होता तो शायद आज यह 95 प्रतिशत जन-मानस आज भी इतना स्वतंत्र न हो पाता, क्योंकि हमारे समाज के धर्म के ठेकेदारों द्वारा जो संचालन की व्यवस्था थी, वही शोषणयुक्त, अधिकार विहीन थी। हर समाज में समाज के ठेकेदार हुआ करते थे, और हैं, जो विद्वान धर्मशास्त्र, साहित्य आदि की रचना करते थे, उसे अपने तरीके से आगे-पीछे कर लेते थे। अधिकार विहीन लोगों का उचित स्थान नहीं देते थे। अशिक्षित लोगों को भ्रमित करते रहते थे। शायद कुछ इस तरह हिन्दू धर्म के पवित्र ग्रन्थों जैसे रामचरितमानस एवं मनुस्मृति में वर्णन भी मिलता है, जैसे 'ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी'। जिस पवित्र ग्रन्थ को पढ़ने मात्र से मानव जाति को मुक्ति का मार्ग मिलता हो, या मुक्ति मिलती हो या ऐसी धारणा को आम साधारण जन-मानस में रचा बसा दिया गया हो, आज हिन्दू धर्म के लोगों में यह अटूट विश्वास हो गया हो कि यह पाठन करने कराने से मन, मस्तिष्क शान्त एवं पवित्र होता है, घर-परिवार में शान्ति रहती है तो उक्त ग्रन्थों में इस प्रकार की चौपाई का आशय हमारी समझ से परे है। इस प्रकार के कुछ ग्रन्थ और भी हैं, जिनमें महिला और शूद्र वर्ण को शिक्षित होने एवं विकास करने के समान अधिकार नहीं है, जो आज मानव को मानव का ही दुश्मन बना देता है। जो एक दूसरे का शोषण करने में दिन-रात जुटे रहते हों वे यही अपना सही धर्म एवं कर्म समझते हैं, यही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। इन कुछ कुण्ठित मुट्ठी भर मानसिकता के लोगों को

इसी व्यवस्था में आनन्द मिलता है। इसे आज भी सुधारना नहीं चाहते हैं। यह सोचनीय और शर्म की बात है। सच्चे ईश्वर के यहां पर ऐसी कुण्ठित व्यवस्था नहीं है। सबके समान अधिकार हैं, सबकी अपनी-अपनी स्वतंत्रता, मर्यादाएं हैं। यह सब समान रूप से सबको मिलें, इसका श्रेय किसको जाता है? कम से कम अब पढ़े-लिखे हर वर्ग के लोग नर-नारी इस बात को समझें और जागरूक होकर समाज का खुले मन से नेतृत्व करें, अपने अधिकारों को समझें-जानें, जिससे सामान्य रूप से सभी को शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, सामान्य जीवन निर्वाह का अधिकार, कल्याण ाकारी अर्थव्यवस्था का अधिकार, सामान्य स्वतंत्र जीवन विकास का अधिकार मिले, जियो और जीने दो का नारा अपनाएं जिससे समस्त मानव जाति समान रूप से विकास कर सके और अपना जीवन खुशहाली पूर्वक बिता सके।

आज हमें बाबासाहेब ने जो दिया है उसे ताउम्र भुलाया नहीं जा सकता है। जो अधिकार, नैतिकता, आजादी हमें मिली है, उसमें अगर बढ़ोत्तरी न करें तो कम से कम उसमें कमी भी न होने दें और अपनी 95 प्रतिशत जनता को और ऊपर उठाएं। इस धारा पर अगर बाबासाहेब जैसे व्यक्तित्व न बना पाएं तो उन्हें कायम तो रखें। अगर बाबासाहेब इस शोषित वर्ग के उत्थान के लिए ऐसी सोच न रखते, इनके विषय में विचार, विमर्श, चिन्तन, मनन न करते, तो आज शायद भारत जैसे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ही न हो पाते। प्रथम महिला राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री श्रीमती सरोजिनी नायडू एवं श्रीमती सुचेताकृपलानी न हो पातीं। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी न हो पाती। बाबासाहेब का संविधान न होता, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल शायद न हो पातीं बाबासाहेब की ही देन है कि डॉ. के.आर. नारायणन, जैसे व्यक्ति भी भारत के सर्वोच्च पद (राष्ट्रपति के पद) पर सुशोभित हुए। आजादी के इतने सालों बाद भी वही हावी है। गरीबों को सम्पूर्ण स्वतंत्र विकास आज भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। बाबासाहेब ने स्वयं ही कहा है। ''मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम रहा होगा।'' इसके लिए शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। यही विकास का मूल मंत्र है। आज हम मुट्ठी भर कुछ लोग शिक्षित तो हैं, पर एकजुट नहीं हैं। सब अपनी-अपनी मस्ती (पद प्रतिष्ठा) में चूर हैं। अपने ही भाई को नीचा दिखाने में लगे हैं। भगवान बुद्ध और बाबासाहेब के मैत्री, एकता, विकास के मंत्र को भूल रहे हैं, जिसका नतीजा आज सामने दिखने लगा है। अभी दलित, शोषित वर्ग अपना विकास नहीं कर पाया, बाबासाहेब का सपना पूरा नहीं हो पाया। हमारा आरक्षण ही खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। कम से कम अब तो जाग जाओ, कब तक सोते रहोगे, बिना संघर्ष के अधिकार नहीं मिलेगा। बाबासाहेब न बनो, तो कम से कम उनके अनुयायी तो बने रहो। नहीं तो वही पुरानी स्थिति में आने में देर नहीं लगेगी। ■

आज हमें बाबासाहेब ने जो दिया है उसे ताउम्र भुलाया नहीं जा सकता है। जो अधिकार, नैतिकता, आजादी हमें मिली है, उसमें अगर बढ़ोत्तरी न करें तो कम से कम उसमें कमी भी न होने दें और अपनी 95 प्रतिशत जनता को और ऊपर उठाएं। इस धारा पर अगर बाबासाहेब जैसे व्यक्तित्व न बना पाएं तो उन्हें कायम तो रखें। अगर बाबासाहेब इस शोषित वर्ग के उत्थान के लिए ऐसी सोच न रखते, इनके विषय में विचार, विमर्श, चिन्तन, मनन न करते, तो आज शायद भारत जैसे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ही न हो पाते। प्रथम महिला राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री श्रीमती सरोजिनी नायडू एवं श्रीमती सुचेताकृपलानी न हो पातीं। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी न हो पातीं। बाबासाहेब का संविधान न होता तो प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल शायद न हो पाती बाबासाहेब की ही देन है कि डॉ. के.आर. नारायणन जैसे व्यक्ति भी भारत के सर्वोच्च पद (राष्ट्रपति के पद) पर सुशोभित हुए।

बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉ. भीमराव अम्बेडकर

■ सपना मांगलिक

एक होनहार बालक जिसके बाल काटने, को कोई भी नाई तैयार नहीं होता था और उसे अपनी बड़ी बहन से अपने बाल कटवाने पड़ते थे। जिसे बेलगाड़ी पर कोई बैठाने को तैयार नहीं होता था। कक्षा में सहपाठी उससे दूरी बनाकर रहते और उसे छूना पाप समझते थे अध्यापकजन उसकी लिखी कॉपी जांचने में हिचकिचाते। कुत्ते बिल्ली के मल मूत्र जहां उनके लिए शुद्ध थे वहीं इस निचली जाति के बालक द्वारा दिया गया गंगाजल भी उन्हें अपवित्र लगता था। एक बड़ा अफसर बनने के बाद भी उसके कर्मचारी और मातहत उसे आदर से कार्य की फाइल सौंपने के बजाय उसकी टेबल पर फेंक जाया करते थे। बचपन से लेकर युवा होने तक और प्रौढ़ होने पर भी। जिस मेधावी इंसान का बार-बार हर बार निरादर होता रहा मात्र इस वजह से कि उसने उस जाति में जन्म लिया है, जिसे समाज के तथाकथित उच्च वर्गीय लोगों ने नीची जाति मान लिया था वो भी अपनियो अशिक्षित और दकियानूसी सोच के कारण तो सोचिए उस इंसान की मनोस्थिति क्या होगी? उसका हृदय कितना दुखता होगा उस पर क्या बीतती होगी? एक अत्यधिक शिक्षित इंसान का शोषण और अपमान कुछ अल्प शिक्षित और अशिक्षित लोगों द्वारा किया गया और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारे संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे। 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र की महार जाति के रामजी मालोजी और उनकी पत्नी भीमा बाई के घर महू छावनी मध्यप्रदेश में बाबासाहेब का जन्म ऐसी ही परिस्थिति में हुआ

था जब देश में सामन्तवादी ताकतों का बोलबाला था तथा लोगों के अन्दर इस तरह की मानसिकता थी कि वे जानवर को स्पर्श करना धर्म समझते थे, किन्तु दलितों को स्पर्श करना उनके लिए अधर्म था। जातिगत भेदभाव के प्रति बाबासाहेब के दिल में चुभन थी और उन्होंने अपने कष्ट, प्रबलतम विरोध, घनघोर अभाव एवं अमानवीय पीड़ा का सामना करते हुए उपर्युक्त प्रश्नों का हल ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा कि जब तक वर्ण नहीं टूटता तब तक वर्ग नहीं बदलेगा और बिना वर्ग तोड़े समता आएगी नहीं, समता लाने के लिए वर्ग और वर्ण दोनों ही तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समता के बिना प्रजातंत्र चल ही नहीं सकता है। यदि प्रजातंत्र को बचाना है तो वर्ण और वर्ग दोनों को ही तोड़ना पड़ेगा।

बाबासाहेब ने सर्वप्रथम 2 जनवरी, 1920 को 'मूकनायक' पत्रिका निकाली तथा उसमें समाज के समस्त वर्गों को समझाने की कोशिश की कि सभी इंसान बराबर है और एक इंसान यदि दूसरे इंसान से घृणा करता है, छूत मानता है तो यह सबसे बड़ा अधर्म है तथा वैसे लोग अपराधी माने जाएंगे। उन्होंने राष्ट्र के समक्ष ऐसा सार रखा जो बुद्ध की प्रज्ञा, मोहम्मद साहेब की सचेत समता और ईसा मसीह की मैत्री को बराबर का दर्जा दिया। पुनः वे सन् 1924 के 20 जुलाई के दिन 'बहिष्कृत हितकरण ाी' की सभी में अपना आन्दोलन शुरू किया तथा 2 मार्च, 1929 को नासिक में स्थित कालाराम मंदिर में दलितों को प्रवेश दिलाकर यह साबित कर दिया कि दलितों में भी भगवान के प्रति आस्था है, तो किसी की भी आस्था को तोड़ना चाहिए।

कबीर पंथी परिवार

बाबासाहेब का पूरा परिवार कबीरपंथी था इस कारण से उन्हें भक्ति भावना प्रदान हुआ। मान्यवर ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणवाद से विरोध करने का सहयोग दिया और महामानव तथागत बुद्ध के आदर्शों उन्हें मानसिक और दार्शनिक पीपासा बुझाने वाला अमृत प्रदान किया।

उन्होंने महसूस किया जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक अधिकारों के प्रति संगठित हुए बिना वे अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर सकते। अत: उन्होंने समस्त दलितों को शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो का संदेश देकर समाज को जगाने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि दलितों के जीवन के चारों क्षेत्रों यानी सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में जब तक इनकी स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक दलितों का उत्थान संभव नहीं है। इसे मजबूत करने के लिए हिन्दुस्तान में एक आन्दोलन छेड़ दिया।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर सिर्फ समाज सुधारक ही नहीं, सिर्फ देशभक्त ही नहीं, बल्कि दुनिया ने विद्वान के रूप में भी जाना। सर्वप्रथम कोलम्बिया विश्वविद्यालय, अमेरिका ने 5 जून, 1952 को विधान विशेषज्ञ डॉ. अम्बेडकर को एल एल बी डिग्री से विभूषित किया तथा अनेको डिग्रियां अम्बेडकर ने विदेशों में प्राप्त की तथा दुनिया के छठे विद्वान के रूप में वे जाने गये जो भारत के लिए गौरव की बात थी। बाबासाहेब की योग्यता से ब्रिटिश सरकार भी अवगत हो चुकी थी तथा भारत के वाइसराय ने 2 जुलाई, 1942 को उन्हें अपनी कार्यकारिणी समिति का सदस्य नियुक्त किया और उनकी योग्यता और कर्मठता को देखकर उन्हें श्रम मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। सन् 1946 ई. में वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा में संविधान प्रारूप समिति की नियुक्ति की गयी।

14 नवम्बर, 1948 को संविधान सभा के संविधान में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि 'तमाम भारतीयों से मेरी अपील है कि जिस जात-पात से सामाजिक जीवन में अलगाव आया है, ईर्ष्या, द्वेष तथा घृणा का जन्म हुआ है, उसे त्याग कर एक आदर्श राष्ट्र बने। यदि इस संविधान से आम लोगों की भलाई और प्रगति नहीं हुई तो दोष संविधान का नहीं होगा, बल्कि यह कहा जायेगा कि संविधान को चलाने वाले लोग ही गलत हैं।'

डॉ. अम्बेडकर ने सिर्फ दलितों के उत्थान के लिए ही काम नहीं किया बल्कि देश के नारी और ओबीसी उत्थान में भी सहयोग दिया। बालश्रम पर रोक लगायी तथा हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई को समान रूप दिया। वे एक सच्चे देशभक्त थे तथा राष्ट्र में लोकतंत्र का स्थापना चाहते थे, इस बात का सबूत देखने को मिला जब अंग्रेज सरकार ने अपनी सत्ता सिमटती देख 1930 में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। डॉ. अम्बेडकर भी पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में शामिल होकर उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आवाज उठाते हुए कहा कि 'भारत की सभी पिछड़ी जातियों की मांग है कि ब्रिटिश सरकार की जगह लोकतंत्र बने। हमने इतने जुल्म और अत्याचार सहे हैं कि हमारे जख्म अभी हरे हैं। अंग्रेज सरकार के 150 वर्षों के शासनकाल में देश का कल्याण नहीं हुआ तो ऐसी सरकार की भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को सुनकर गांधी ने भी गर्व महसूस करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि भारत वर्ष में 85 प्रतिशत गुलाम नागरिकों की दो ही प्रमुख समस्याएं हैं, निरादर और दरिद्रता। सही पहचान थी बाबासाहेब में कि जब तक सत्ता के अन्दर गरीबों की साझेदारी नहीं होगी तब तक उनकी तकदीर में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने संविधान में इस बात का प्रावधान किया कि सत्ता की साझेदारी में गरीबों का हिस्सा होना चाहिए।

और इस तरह हमारे राष्ट्र में लोकतंत्र की स्थापना हुई तथा संविधान के अनुसार देश को चलाने का संकल्प लिया गया, डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में तैयार किया गया भारतीय संविधान का प्रारूप तथा संसद के प्रथम सत्र में सफलतापूर्वक पारित कराया गया। वर्तमान भारतीय संविधान का प्रारूप तथा संसद के प्रथम सत्र में सफलतापूर्वक पारित कराया गया। वर्तमान भारतीय संविधान देश के नागरिकों के लिए एक प्रकार से मनोवांछित विकास के अधिकारों को प्रदान करते हेतु एक सपनों की इबारत बनकर सामने आया। जिसकी वजह से आम नागरिक अपने अधिकारों की बात कर सकता है और राष्ट्र नागरिकों को उनके कर्त्तव्यों के प्रति आगाह कर सकता है।

वास्तव में हम अगर बाबासाहेब

> **डॉ. भीमराव अम्बेडकर सिर्फ समाज सुधारक ही नहीं, सिर्फ देशभक्त ही नहीं, बल्कि दुनिया ने विद्वान के रूप में भी जाना। सर्वप्रथम कोलम्बिया विश्वविद्यालय, अमेरिका ने 5 जून, 1952 को विधान विशेषज्ञ डॉ. अम्बेडकर को एल.एल.बी. डिग्री से विभूषित किया तथा अनेको डिग्रियां अम्बेडकर ने विदेशों में प्राप्त की तथा दुनिया के छठे विद्वान के रूप में वे जाने गये जो भारत के लिए गौरव की बात थी। बाबासाहेब की योग्यता से ब्रिटिश सरकार भी अवगत हो चुकी थी।**

आदर्शों को मानने के लिए वचनबद्ध हैं, तो दिल और दिमाग से वर्ण और वर्गवाद के फासले को खत्म करना होगा। यही वह रास्ता है जिस पर चलकर हम एकजुट हो देश की प्रगति और विकास को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं देश का विकास किसी एक वर्ण या वर्ग के बस की बात नहीं है अपितु यह तो पूरे राष्ट्र की एकता और समर्पण को ओर आगे बढ़ाने की चाहत है जो विकास के रूप में सामने आती है। हम चीन, जापान, अमेरिका जैसे विकसित देशों से यह सबक ले सकते हैं। युवा कवि पदम् गौतम की लिखी पांक्तियां मेरे कथन को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होगी–

सूत गठकर डोर बनती
कितनी काली भोर बनती

अर्थात् जिस रोज देश की पांचों अंगुलियां (विभिन्न वर्ण एवं वर्ग) आपस में जुड़कर मुट्ठी बन जाएगी, हम एक हो जाएंगे, तब हमारे पास सिर्फ एक ही मकसद होगा तरक्की और एक ही काम होगा वो है नव निर्माण।

हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो भष्टाचार मुक्त हों, अपराध मुक्त हो, आतंकवाद मुक्त हो, गरीबी मुक्त हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां सभी लोग स्वस्थ हों, शक्तिशाली हों, प्रबुद्ध हों, खुश हों, सुखी हों, सम्पन्न हों, न्यायप्रिय हों, जहां जातिवाद न हो, असमानता न हो, अंधविश्वास न हो, कुरीतियां न हो, आडम्बर न हो, अज्ञानता न हो, भेदभाव न हो, जहां लोगों में एकता, बन्धुत्व, समानता, ईमानदारी और आपसी प्रेम हो।

डॉ. अम्बेडकर की दलितों को सीख

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने सयाजीराव गायकवाड से कहा था– ''महाराज! मैं अध्ययन कर पता लगाऊंगा कि, जिस समाज में मेरा जन्म हुआ हैं, उस की ऐसी दुर्दशा क्यों हैं, और उसकी दुर्दशा के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगा।''

बचपन से लेकर, जब मैंने यह समझना शुरू किया कि जीवन का अर्थ क्या हैं, मैंने अपने जीवन में हमेशा एक ही सिद्धांत का पालन किया है और वह सिद्धांत हैं-अपने समाज के लोगों की सेवा करना। मैं जहां कहीं भी और जिस हैसियत में भी रहा हूं मैं हमेशा अपने भाईयों की बेहतरी के लिए विचार और कर्म करता रहता हूं। मैंने इतना अधिक ध्यान किसी और समस्या पर नहीं दिया हैं। समाज के लोगों के हितों की रक्षा करना ही मेरे जीवन का मकसद रहा हैं और भविष्य में भी वह जारी रहेगा। मोटी रकम वाले आकर्षक वेतन के साथ मुझे अनेक लुभावने पदों के प्रस्ताव दिये गये परन्तु मैंने सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया क्योंकि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य हैं और वह उद्देश्य हैं अपने समाज के लोगों की सेवा करना।

मैं अपने विद्यार्थियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप लोग डिग्री लेकर नौकरी पाने के बाद अपने समाज के लिए क्या करेंगे? आप लोगों को अपने घर-संसार में ही मग्न न होकर, अपने समाज की सेवा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अपने समाज के लिए अपने वेतन से यथाशक्ति अधिकाधिक धन देना चाहिए।

नवयुवकों तथा विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध हैं कि वे अपने समुदाय की सेवा का भाव अपने मन में जगायें, समुदाय की बेहतरी का भावी भार उन्हीं के कन्धों पर होगा और वे किसी भी जगह और किसी भी हैसियत में क्यों न रहें, उन्हें इस बात को किसी भी हालत में हरगिज नहीं भूलना चाहिए।

हमारे देश को आजादी मिल गई यह तभी माननाचाहिए जब ग्रामीण लोग, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा लेंगे।

मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी से प्रेम नहीं करता, प्रेम केवल उनके कार्य से ही करता हूं। जो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है वही मुझे अच्छा लगता है।

अच्छे काम करने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। हर तरक्की की कीमत अदा करनी पड़ती है और जो लोग इसके लिए त्याग करते हैं, उन्हें तरक्की के लाभ मिलते हैं।

युवाओं को मेरा पैगाम है कि एक तो वे शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम न रहें। दूसरे, ऐशो-आराम में न पड़कर समाज का नेतृत्व करें। तीसरे, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभाले तथा समाज को जागृत और संगठित कर

मैं अपने विद्यार्थियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप लोग डिग्री लेकर नौकरी पाने के बाद अपने समाज के लिए क्या करेंगे? आप लोगों को अपने घर-संसार में ही मग्न न होकर, अपने समाज की सेवा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अपने समाज के लिए अपने वेतन से यथाशक्ति अधिकाधिक धन देना चाहिए। नवयुवकों तथा विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध हैं कि वे अपने समुदाय की सेवा का भाव अपने मन में जगायें, समुदाय की बेहतरी का भावी भार उन्हीं के कन्धों पर होगा और वे किसी भी जगह और किसी भी हैसियत में क्यों न रहें, उन्हें इस बात को किसी भी हालत में हरगिज नहीं भूलना चाहिए।

उसकी सच्ची सेवा करें।

एक आत्म-सम्मानी व्यक्ति, तर्क की कसौटी पर यह निश्चित करता है कि अमुक बात अच्छी हो या बुरी। तर्क बुद्धि ही उसे सच खोजने में सहायता करती है।

दलितों का आह्वान

1) तुम्हीं भारत के मूल निवासी और सहोदर भाई हो।
2) तुम्हीं हो इससे पहले अनार्य, असुर, राक्षस, शूद्र, अछूत और अब दलित या हरिजन कहा जाता है।
3) आर्यों और अनार्यों के युद्ध में तुम्हारी हार का परिणाम तुम्हारी गुलामी है।
4) समस्त भारत भूमि तुम्हारे पूर्वजों की धरोहर है।
5) तुम्हीं इसके सच्चे और सही उत्तराधिकारी हो।
6) तुम्हें बलात गुलाम बनाया गया है।
7) तुम्हारे धन और धरती पर बलात कब्जा किया गया है।
8) तुम्हारी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, इतिहास और धर्म नष्ट कर दिया गया है।
9) शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो विजय तुम्हारी है।
10) जाति के आधार पर किसी को ऊंचा मानना पाप है और नीचा मानना महापाप।
11) हिन्दू धर्म की आत्मा वर्ण जाति और ब्राह्मण हितैषी कर्मकांडों में है।
12) वर्ण और जाति के बिना हिन्दू धर्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती।
13) हिन्दू धर्म में कर्म नहीं जाति प्रधान है।
14) जब तक तुम हिन्दू धर्म के गुलाम रहोगे तुम्हारा स्थान सबसे नीचा रहेगा।

सामाजिक स्थिति के लिए संदेश

1) तुम्हें सम्मान, मानव अधिकार, सामान अधिकार, सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया है।
2) तुम अनार्य (हिन्दू) समाज की परिधि-रेखा के बाहर के आदमी हो।
3) इसीलिए विद्या अर्ज तुम्हारे लिए अर्जित था।
4) धन इकट्ठा करना पाप था।
5) शारीरिक क्षमता बढ़ाना मन था।
6) राजनीति की बात तो सोचना स्वप्न में भी मना था, तुम्हारे हिस्से सिर्फ काम ही काम दिया गया।
7) तुम्हारी मुख्य समस्या तुम्हारी गरीबी नहीं बल्कि जाति के आधार पर तुम्हारा धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक शोषण हो रहा है।

15 अगस्त 1947 को दिया संदेश

1) तुम्हारी विरासत पर तीन बार हमला हुआ:
   - आर्यों का
   - मुसलमानों का
   - अंग्रेजों का
2) तुम दूसरी और तीसरी गुलामी में फंस गए।
3) 15 अगस्त 1947 को तुम्हें गुलाम बनाने वाले आजाद हो गए पर तुम्हें चार हज़ार वर्ष पूर्व गुलाम बनाने वालों ने तुम्हें आजाद नहीं किया।
4) तुम्हारी लड़ाई चंद अधिकारों की लड़ाई नहीं है ये तो आजादी की लड़ाई है।
5) इस लड़ाई के लिए मैंने तुम्हें महान अस्त्र दिया है।
6) ये अस्त्र है - एक व्यक्ति का वोट (मताधिकार)।
7) राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं, तुम्हारे वोट की जरूरत है।
8) तुम अपने वोट से खुद राजा बन सकते हो।
9) तुम्हें जो आरक्षण मिला है ये किसी की दया या भीख नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है।
10) अधिकार मांगने से नहीं मिलता इसे छीनना होता है, इसे छीन लो।
11) ऐसा करने में कुरबानी देनी होती है, जिस कौम में कुरबानी देने वाले नहीं वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती, कुरबानी दो आगे बढ़ो।
12) सावधान रहो अपने खिलाफ की जाने वाली साजिशों को पहचानो और विफल करो।
13) तुम्हें अपने पैर चाहिए बैसाखी नहीं।
14) संस्कार में दिए गए सुअर, भेड़, बकरे, मुर्गे, जूता सिलने की मशीन तुम्हारा आर्थिक उत्थान नहीं कर सकेंगे।
15) ये तुम्हारे और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को खराब करने की साजिश है, इसका बहिष्कार करो।
16) पूना-पैक्ट की वजह से तुम्हारा राजनैतिक अधिकार बेमानी हो गए हैं।
17) इससे तुम्हारा राजनैतिक प्रतिनिधित्व ही नहीं बल्कि लकवाग्रस्त हो गया है।
18) नौकरी में आरक्षण पूरा न होने के कारण तुम्हारे लाखों-करोड़ों भाई बेकार है।
19) इससे तुम्हारे समाज का लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को बचाओ।
20) याद रखो तुम्हारे प्रति जो सवर्णों का आकर्षण है, वो प्रेम नहीं बल्कि तुम्हारे खो जाने का भय है।
21) इक्कीसवीं सदी तुम्हारी होगी इसे कोई रोक नहीं सकता इस पर विश्वास करो।
22) याद रखो अन्याय का विरोध सम्मान और अधिकार की प्राप्ति ही जीवन है। ■

लोक अधिकारों के प्रबल समर्थक डॉ. भीमराव अम्बेडकर

■ सिल्वी पासा

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक महान विचारक, लेखक तथा उच्चतम स्तर के नेता थे। स्वतंत्र भारत के लिए उनकी राजनीतिक और संवैधानिक देन इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में लिखी गयी है। वे उन लोगों के प्रमुख थे जिन्होंने धर्म निरपेक्ष, समाजवादी और गणतांत्रिक भारत की नींव रखी थी। वे वास्तव में अछूतों और गरीबों के मसीहा थे, साथ ही वे हर वर्ग के लोगों के लिए समान अधिकारों के लिए जीवन भर लड़ते रहे और संविधान में मौलिक अधिकारों और मानवधिकारों के लिए विस्तृत व्यवस्था प्रदान की।

डॉ. अम्बेडकर का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, जो मानसिक हीनता के गर्त में डूबा हुआ था। बालक भीम की बुद्धि अत्यंत प्रखर थी। हालांकि कक्षा में वे हमेशा सामान्य ही रहा करते थे। बचपन में उनकी जाति का उन पर इतना प्रभाव था कि वे पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब उन्होंने शिक्षा के महत्त्व को समझा तो वह उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। अपनी सारी शक्ति पढ़ाई लिखाई में लगा दी। उन्हें पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था, परंतु स्कूल की किताबें कम पढ़ा करते थे।

उनका जन्म एक अछूत (महार) जाति में हुआ था इसके कारण उन्हें हर जगह भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एक बार उन्हें एक बैलगाड़ी से उठा कर फेंक दिया गया। स्कूलों में बड़ी मुश्किल से नामांकन मिल पाता था। फिर जल्दी ही स्कूल से उन्हें निकाल दिया जाता था। छात्रों के बीच और छात्रावासों में अवहेलना झेलनी पड़ती थी। इस सामाजिक कलुषता से काफी दु:खी रहा करते थे। बचपन से ही वे इस असमानता और हीनता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। इसके लिए वे सदा चिंतनशील रहा करते थे। यद्यपि हिन्दुओं में वर्णाश्रम व्यवस्था कर्म पर आधारित थी जिसे कट्टरता और अंधविश्वास के कारण इसे रूढ़ि बना दिया गया और खानदानी सूत्रों में लपेट दिया गया था, जिसने अम्बेडकर के हृदय में विद्रोह की ज्वालाएं भी दी थीं।

तत्कालीन बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की आर्थिक मदद से वे अमेरिका पढ़ने जा सके। वहां से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ौदा नरेश के यहां सैनिक सचिव बने। परन्तु उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जो विदेशों में मिला। बड़ौदा में सैनिक सचव रहते हुए भी वे अछूत ही रहे। हर कर्मचारी उनसे दूर रहकर ही बातें करता था। एक दिन की बात है कि वे एक पारसी मंदिर में चले गए। यह एक बड़ा अपराध माना गया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया जबरदस्ती। वे वहां से पैदल ही चल पड़े। चलते-चलते एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। थक कर चूर और भूख से व्याकुल हो गए थे। वे रोने लगे और खूब रोये। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वहीं उन्होंने सारी रात बिता दी। बड़ौदा नरेश भी उनकी कोई मदद नहीं कर सके। क्योंकि, अम्बेडकर 'महार' जो थे। उनकी विद्वता की कोई कदर नहीं की गयी। वहां से वापस बम्बई आ गए। अपने को अत्यंत एकांत और शांत महसूस करने लगे। पर, निराश नहीं हुए और अंतिम सांस तक देश और समाज की दकियानुसी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करते रहने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने समझा और अनुभव किया कि अमेरिका में भी नीग्रो लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता होगा। वे अमेरिका के बी.टी. वाशिंगटन से बहुत प्रभावित थे। वे हमेशा सोचते रहे कि आखिर इन अस्पृश्यता को को कैसे दूर किया जाए। उन्होंने इसे अपने जीवन का मिशन बना लिया और ढूंढ़ने लगे कि कौन उनके मिशन में सहायक हो सकता है। परंतु समस्या थी कि लंदन की बाकी पढ़ाई कैसे पूरी हो। इसके लिए उन्हें नौकरी चाहिए थी। पैसे भी बचाने थे, अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए। परन्तु हर जगह अस्पृश्यता सामने आ खड़ी होती थी। फिर भी संघर्ष जारी रखा और समाज के दलितों और अछूतों को जागृत करने का प्रयास भी जारी रखा। उन्होंने 20 जुलाई 1924 को अस्पृश्यों के उत्थान के लिए 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की। उन्हें काफी हद तक सफलता मिली। लोग समझने लगे कि उनके लिए लड़ने वाला कोई नेता मिल गया। उन्हें लगने लगा कि आखिरकार उन्हें मानवाधिकार अवश्य मिलेंगे। डॉ. अम्बेडकर ने यहां अपने संघर्ष को एक दिशा प्रदान की। पूरे समाज में एक क्रांति सी फैलने लगी।

डॉ. अम्बेडकर ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार के समक्ष भी गुहार लगायी। सरकार अछूतों के लिए कुछ कानून भी बनाए। अछूतों को कुछ आवश्यक सुविधाएं भी मुहैया कराई गई।

डॉ. अम्बेडकर ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार के समक्ष भी गुहार लगायी। सरकार अछूतों के लिए

कुछ कानून भी बनाएं। अछूतों को कुछ आवश्यक सुविधाएं भी मुहैया कराई गई।

उनके हृदय में राष्ट्रीयता की भावना भरी हुई थी। 4 अप्रैल 1938 में कर्नाटक के लिए अलग प्रांत के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव पर बोलते हुए बम्बई विधानसभा में क्षेत्रवाद और प्रांतवाद की संकुचित धारणाओं को उन्होंने कटु आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि हम सब भारतीय हैं। इसी भावना के निर्माण का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में- ''धर्म, संस्कृति, भाषा आदि की प्रतिस्पर्धी निष्ठा के रहते हुए भारतीयता के प्रति निष्ठा नहीं आ सकती है। मैं चाहता हूं कि लोग पहले से ही भारतीय हों और अंत तक भारतीय रहें। भारतीय के अलावा और कुछ भी नहीं। क्योंकि, भारतीय समाज में दो बातों का विशेष रूप से अभाव रहा है-सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, जिनकी पूर्ति राष्ट्र हित में अत्यावश्यक है।'' उन्होंने यह भी समझा कि देश में अधिकतम आबादी अछूतों की है। उन्हें आजाद कराएं बिना देश की आजादी का कोई मतलब नहीं। अपने विचारों के कारण ही उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अपनी जगह बनाई और संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष चुने गये।

डॉ. अम्बेडकर ने 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की ओर से 'इंडियन स्टैचुटोरी कमीशन को 29 मई 1928 को एक ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस संसार में बहुत सारे लोग परिस्थितियों के दबाव के कारण नीचे गिरने को मजबूर हो जाते हैं, हालांकि, वे फिर से ऊपर उठने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरी तरफ एक दबा हुआ वर्ग नीचे और दबता ही चला जाता है। क्योंकि, कुछ धार्मिक कट्टरपंथी उनका उत्थान नहीं चाहते। ऐसे में पुलिस शक्ति के द्वारा उनके विकास तथा उत्थान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा हो नहीं पाएगा। ऐसे में एक विशेष व्यवस्था के तहत उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस बात पर उनका पूरी तरह से विरोध किया गया था। उन्होंने मांग की थी कि एक चुनाव क्षेत्र निर्धारित कर दबे-कुचले लोगों के लिए जगह आरक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षा, राजनीति तथा अन्य क्षेत्रों में उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाने चाहिए। वे पूरी तरह जानते थे कि राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से प्रभावशाली राजनीतिक सहभागिता के बिना अछूतों को उद्धार नहीं हो सकता। वे गांधी जी के विचारों से सहमत थे कि काफी हद तक हिन्दू लोग स्वयं ही अस्पृश्यता के लिए जिम्मेवार हैं।

डॉ. अम्बेडकर ने 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की ओर से 'इंडियन स्टैचुटोरी कमीशन को 29 मई 1928 को एक ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस संसार में बहुत सारे लोग परिस्थितियों के दबाव के कारण नीचे गिरने को मजबूर हो जाते हैं, हालांकि, वे फिर से ऊपर उठने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरी तरफ एक दबा हुआ वर्ग नीचे और दबता ही चला जाता है। क्योंकि, कुछ धार्मिक कट्टरपंथी उनका उत्थान नहीं चाहते। ऐसे में पुलिस शक्ति के द्वारा उनके विकास तथा उत्थान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा हो नहीं पाएगा। ऐसे में एक विशेष व्यवस्था के तहत उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर के विचार से दबा-कुचला वर्ग ही अल्पसंख्यक वर्ग है। इस पर उन्होंने साइमन कमीशन के एक गोलमेज कांफ्रेंस में सभी अल्पसंख्यक वर्गों के लोग (प्रतिनिधि) उपस्थित थे। इसमें तय किया गया कि संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो।

संविधान निर्माण के लिए समस्या थी कि संविधान बनाए कौन? डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा (Constitutent Assembly) के गठन का प्रस्ताव दिया। इसे सभी ने स्वीकार किया और इस संविधान सभा का गठन हो गया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान सिर्फ भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बनाया जाए तथा इस संबंध में उनकी राय अवश्य ली जाए। यह उन्हीं के संघर्षों का परिण ाम था कि संविधान में अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया। वे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष चुने गये, फिर स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री बने, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किया। वे सुबह से शाम तक काम करते-रहते थे। उन्होंने सब की स्वतंत्रता, समानता और न्याय के लिए काम किया। गरीबो और अछूतों के लिए वे पूरी तरह समर्पित थे। अनेकों जगह उन्हें भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी।

डॉ. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत को नया न्यायिक और संवैधानिक स्तर प्रदान किया। संविधान सभा के अध्यक्ष और सदस्य किसी वैधानिक समस्या के आने पर उनसे मशविरा किया करते थे। वे

सदन में हमेशा अल्प संख्यकों और अछूतों की समस्याएं उठाया करते थे। क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण गरिमा के साथ 'ड्राफ्टिंग कमेटी' के अध्यक्ष पर काम कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ संविधान को लिखा ही नहीं बल्कि उसमें अपनी सारी प्रतिभा लगा दी थी। वे जो कुछ भी लिखते थे उन्हें संविधान सभा के समक्ष बेझिझक रखते थे।

डॉ. अम्बेडकर दलितों के मसीहा था, जिन्होंने संविधान में उन्हें स्थान दिलाया। उन्होंने सारे भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों को भी शामिल किया ही, दलितों और अछूतों के लिए उसका विशेष प्रावधान किया। उन्होंने हर कदम पर सामाजिक न्याय पर बल दिया। उन्होंने अधिकारों की रचना की जिनमें कहीं भेदभाव और असमानता नहीं दिखाई देती है। उन्होंने संविधान सभा में सुझाव दिया था कि सारे देश के लोगों को एक योजनाबद्ध आर्थिक जीवन देना होगा जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक आर्थिक ढांचे में गहरा संबंध है। डॉ. अम्बेडकर के संबंध में डा. के. वी. राव ने कहा था-''अम्बेडकर दूसरों के विचार लेते हैं, उन पर वे अपने ढंग से सोचते हैं और जब उनको व्यक्त करते हैं तो लगता है कि ये विचार उनके अपने हैं।'' वास्तव में भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे प्रमुख स्थान उन्हीं का था। वे जानते थे कि अपने संविधान के द्वारा ही देश में अछूतों, दलितों और पिछड़ों को दासता से मुक्त कराया जा सकता है। हालांकि उन्होंने पिछड़ी जातियों के अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार से भी कानून बनाने का आग्रह किया था और उनकी एक संस्था भी बनाई थी। पर उन्हें सफलता नहीं मिली थी। अपने संविधान में कानून बनाकर उन्हें सचमुच काफी संतोष मिला होगा। वे अपने मिशन के पूरा होने तक संघर्षशील रहे।

उन्होंने सारे भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों को भी शामिल किया ही, दलितों और अछूतों के लिए उसका विशेष प्रावधान किया। उन्होंने हर कदम पर सामाजिक न्याय पर बल दिया। उन्होंने अधिकारों की रचना की जिनमें कहीं भेदभाव और असमानता नहीं दिखाई देती है। उन्होंने संविधान सभा में सुझाव दिया था कि सारे देश के लोगों को एक योजनाबद्ध आर्थिक जीवन देना होगा जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक आर्थिक ढांचे में गहरा संबंध है। डॉ. अम्बेडकर के संबंध में डा. के.वी. राव ने कहा था-''अम्बेडकर दूसरों के विचार लेते हैं, उन पर वे अपने ढंग से सोचते हैं और जब उनको व्यक्त करते हैं तो लगता है कि ये विचार उनके अपने हैं।''

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि गणतंत्र या प्रजातंत्र राजनीतिक समाज या समूह से भिन्न होता है। यह समाज का एक ढांचा होता है, जहां सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था इस ढंग की होती है कि उससे राजनीति स्वतंत्रता सुदृढ़ होती है। वे स्वयं कहते हैं-''एक प्रजातांत्रिक सरकार एक प्रजातांत्रिक समाज की रचना करती है। पहले की सारी जनतांत्रिक धारणाएं सही नहीं थीं, क्योंकि वहां जनतांत्रिक समाज का गठन नहीं हो सका और न वहां सामाजिक जनतंत्र का ही कोई स्थान था। राजनीतिज्ञों ने कभी यह महसूस नहीं किया कि जनतंत्र किसी सरकार का कोई रूप नहीं, बल्कि निश्चित रूप से यह समाज का एक रूप है।'' उनके समाज में कोई बंधन या रुकावट नहीं होगी। उनके विचार से भारतीय प्रजातंत्र का तब तक कोई अर्थ नहीं होगा जब तक समाज में प्रजातंत्र नहीं होगा। सबको समान आजादी और समान अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

भारतीयता के संबंध में उन्होंने जो कहा था-''धर्म, संस्कृति और भाषा आदि प्रतिस्पर्धी निष्ठा के रहते हुए भारतीयता के प्रति निष्ठा नहीं पनप सकती। मैं चाहता हूं कि लोग पहले भी भारतीय ही हों और अंत तक भारतीय ही रहें। भारतीय के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि भारतीय समाज में दो बातों का विशेष अभाव रहा है-सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, जिनकी पूर्ति राष्ट्रहित में अत्यंत आवश्यक है।'' यह कथन आज भी उतना ही समीचीन है जितना उस समय था।

6 दिसम्बर 1956 को इस महापुरुष ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके जीवन मिशन वास्तव में दलितों और पिछड़ों में आत्मसम्मान का विकास, मानवीयता का विकास तथा मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करना था। इसके लिए उन्होंने जीवन भर कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया। वे वास्तव में उनके जीवन का सही निर्माण करना चाहते थे। यही उनके जीवन का एक मात्र उद्देश्य और लक्ष्य था। मुझे विश्वास है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हमारा देश विकास की चोटियों को अवश्य छू सकेगा। ■

सम्पादक के नाम पत्र

पत्रिका का योगदान सराहनीय है

सम्पादक महोदय,

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर आप सभी को ढ़ेरो शुभकामनाएं। 26 नवम्बर 2015 को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में बाबासाहेब के योगदान को शत-2 नमन। समतामूलक समाज की रचना में संविधान की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। बाबासाहेब ने संविधान की रचना द्वारा भारतीय समाज के प्रत्येक नागरिक और हाशिये पर खड़े अंतिम, दलित शोषित जन को भी अधिकारों की गारंटी देकर उनके सम्मानपूर्वक जीवन जीने की दिशा दिखाई। 'शिक्षा, समानता एवं बंधुत्व' जैसे विचारों द्वारा अम्बेडकर ने संपूर्ण मानवता को सामाजिक न्याय का संदेश दिया। अब इस दिशा में 'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका का योगदान सराहनीय है।

वन्दना
दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

पत्रिका से पाठक को लाभ मिलता है

सम्पादक महोदय,

सामाजिक न्याय संदेश पत्रिका से जुड़ कर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने इस पत्रिका में जो नरेन्द्र मोदी जी के मन की बात को देना प्रारम्भ किया है वह सराहनीय है। आप पत्रिका में अक्सर कुछ नया जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं इससे पाठक वर्ग को बहुत लाभ मिलता है।

सुनीता
अम्बेडकर विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

डॉ. अम्बेडकर ज्ञान के भंडार

सम्पादक महोदय,

अब समय आ गया है जब समाज डॉ. अम्बेडकर के योगदान और ज्ञान को समझने लायक हो गया है जिस भारत को विकास की पटरी पर दौड़ने के लिए डॉ. अम्बेडकर ने अथक प्रयास किए वह समाज अब शिक्षित हो रहा है। उस समाज तक डॉ. अम्बेडकर के विचारों को पहुंचाने का काम सामाजिक न्याय संदेश पत्रिका लगातार कर रही है। मैं पत्रिका और उसकी टीम को बधाई देता हूं।

अनीता
द्वारका, नई दिल्ली

विभिन्न पहलु के लेख पढ़ने को मिलते हैं

सम्पादक महोदय,

'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका का सितम्बर अंक भाषा की दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण रहा। हिन्दी भाषा के तकनीकी राजनैतिक व सामाजिक सभी पहलुओं पर विभिन्न लेख पत्रिका में पढ़ने को मिले। विशेषकर मैं बताना चाहती हूं कि यह जो एक कहानी आप प्रत्येक अंक में देते हैं वह हमें लोक भावना से जोड़ती है। कहानी बहुत ही सहज व प्रभावी रहती है।

धन्यवाद

अंकुश,
द्वारका कोर्ट, दिल्ली

तर्कशील विचारों की मशाल

सम्पादक महोदय,

यह पत्रिका समतावादी विचार की संवाहक है। विभिन्न खांचों में बंटे समाज के भीतर ऐसी पत्रिका का होना बहुत जरूरी है जो बाबासाहेब अम्बेडकर के तर्कशील विचारों की मशाल जो पाठक वर्ग के बीच जलाए हुए है। डॉ. अम्बेडकर के लेखन का जो मौलिक अंश आप पत्रिका में देते हैं वह पाठक वर्ग को बाबासाहेब के विचारों से सीधे तौर पर जोड़ता है।

एलिश
उत्तम नगर, नई दिल्ली

डॉ. अम्बेडकर के मूल विचारों का समावेश

सम्पादक महोदय,

मुझे 'सामाजिक न्याय संदेश : समतावादी विचार का संवाहक' पत्रिका का अक्टूबर 2014 का अंक पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ पत्रिका के सामाजिक न्याय के संदेश को समझते हुए बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर जी के मूल विचारों को पढ़ने और समझने को मिला। इस पत्रिका के द्वारा यह भी ज्ञान मिला कि जाति व्यवस्था की जड़ों में ही समाज की असमानता समाई हुई है जिसका अंत बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर जी के मूल विचारों का अनुसरण करके और उनके बताये गए रास्ते पर चलकर ही मिल सकता है। भारतीय समाज में सामाजिक एकता, अखंडता बनाने के लिए और वंचितों, पिछड़ों को सामाजिक न्याय के प्रति जागरूक करने तथा बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर जी के मूल विचारों को पढ़ने और समझने के लिए यह पत्रिका एक सर्वोत्तम उपाय है।

मनोज कुमार
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संगठन) की मासिक पत्रिका

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

सम्पादक : सुधीर हिलसायन

सम्पादकीय सम्पर्क : 011-23320588/सब्सक्रिप्शन सम्पर्क : 011-23357625

मई 2015

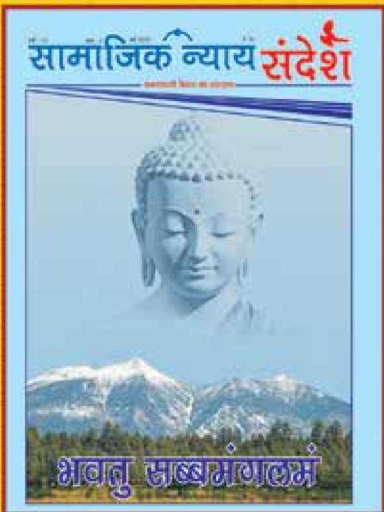

जून 2015

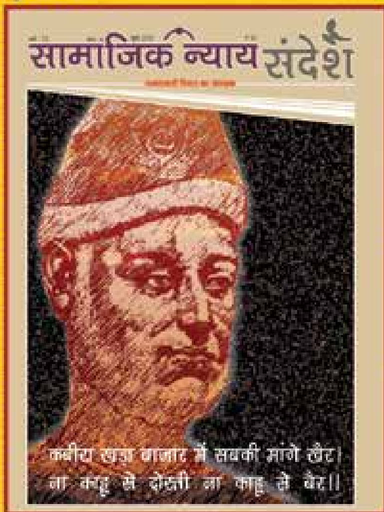

जुलाई 2015

अगस्त 2015

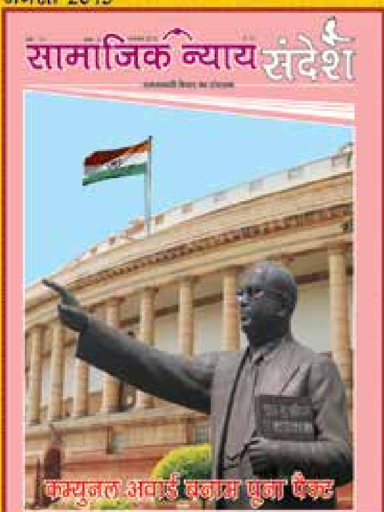

सितम्बर 2015

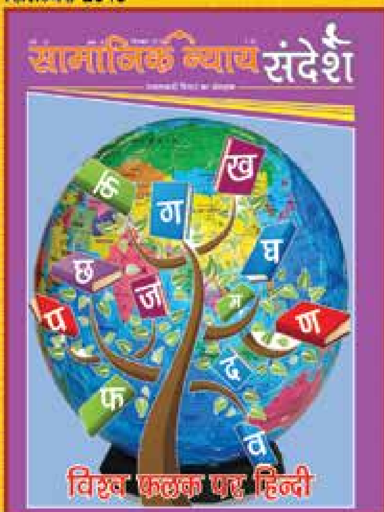

अक्टूबर 2015

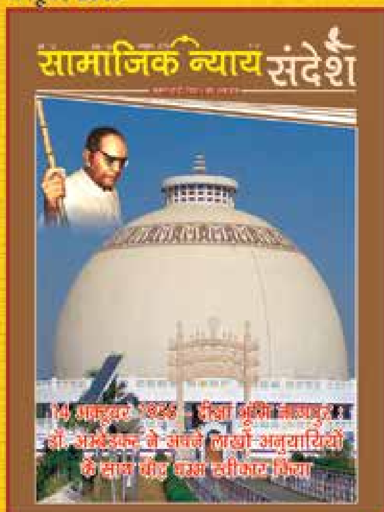

स्वयं पढ़े एवं दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें।

पाठक सदस्य बनें

कार्यालय : 15, जनपथ, नई दिल्ली–110001, फोन नं. 011–23320588, 23320589, 23357625 फैक्स: 23320582
E-mail: hilsayans@gmail.com / Website: www.ambedkarfoundation.nic.in

पत्रिका उपर्युक्त वेबसाइट पर पढ़ी/देखी जा सकती है।

सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका *'सामाजिक न्याय संदेश'* का प्रकाशन पुनः आरम्भ हो गया है। समता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व एवं न्याय पर आधारित, सशक्त एवं समृद्ध समाज और राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के संदेश को आम नागरिकों तक पहुंचाने में 'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'सामाजिक न्याय संदेश' देश के नागरिकों में मानवीय संवेदनशीलता, न्यायप्रियता तथा दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए समर्पित है।

'सामाजिक न्याय संदेश' से बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों व उनके दर्शन को जानने/समझने में मदद मिलेगी ही तथा फाउन्डेशन के कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त होगी।

सामाजिक न्याय के कारवां को आगे बढ़ाने में इस पत्रिका से जुड़कर आप अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज ही पाठक सदस्य बनिए, अपने मित्रों परिवार-समाज के सदस्यों को भी सदस्य बनाईए, पाठक सदस्यता ग्रहण करने के लिए एक वर्ष के लिए रू. १००/-, दो वर्ष के लिए रू. १८०/-, तीन वर्ष के लिए रू. २५०/-, का डिमांड ड्राफ्ट, अथवा मनीऑर्डर जो **'डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन'** के नाम देय हो, फाउन्डेशन के पते पर भेजें या फाउन्डेशन के कार्यालय में नकद जमा करें। चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पत्रिका को और बेहतर बनाने के लिए आपके अमूल्य सुझाव का भी हमेशा स्वागत रहेगा। पत्रिका को फाउन्डेशन की बेबसाइट www.ambedkarfoundation.nic.in पर भी देखी/पढ़ी जा सकती है।

– सम्पादक

सामाजिक न्याय संदेश सदस्यता कूपन

मैं, डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' का ग्राहक बनना चाहता /चाहती हूं/

शुल्कः वार्षिक सदस्यता शुल्क रू. 100/-, **द्विवार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 180/-, **त्रैवार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 250/-। (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

मनीऑर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट नम्बर..दिनांक.........................संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर 'डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन' के नाम नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

....पिन कोड ....

फोन/मोबाईल नं...................................ई.मेलः ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित निम्न पते पर भेजिए :

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन

15 जनपथ, नई दिल्ली-110 001 फोन न. 011-23320588, 23320589, 23357625

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के 60वें महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित करने के उपरांत बौद्ध भिक्षुओं को उपहार भेंट करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री विजय सांपला

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की मासिक पत्रिका सामाजिक न्याय संदेश के प्रसार को बढ़ाने के उद्देश्य से बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण भूमि 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली स्थित लगाए गए पंडाल में 'सामाजिक न्याय संदेश' का स्टॉल लगाया गया। इस अवसर पर मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं सदस्य सचिव श्री बी.एल. मीणा, (मध्य में), बाएं से दाएं प्रतिष्ठान के सम्पादक श्री सुधीर हिलसायन, प्रतिष्ठान के निदेशक श्री जी.के. द्विवेदी, श्री सुशील कुमार, श्री मनोज कुमार, श्री बलबीर सिंह एवं प्रतिष्ठान के जनसंपर्क अधिकारी श्री तनप्रवेश।

RNI No. DELHIN/2002/9036

प्रकाशक व मुद्रक जी.के. द्विवेदी द्वारा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के लिए इण्डिया ऑफसेट प्रेस, ए-1, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110064 से मुद्रित तथा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित।
सम्पादक : सुधीर हिलसायन